

उदीयमान भारत

आजीविका में विविधता से ग्रामीण गरीबी हटाने के प्रयास
अमरजीत सिन्हा

ऊर्जा क्षेत्र से मिलेगी सामाजिक-आर्थिक विकास को रफ्तार
सुमंत सिन्हा

ज्ञान आधारित समाज के विकास की परिकल्पना
गोपालन माधवन नायर

फोकस

शासन प्रणाली में सुधार
योगेश सूरी

विशेष आलेख

5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी कौशल
दिलीप चेनाय



Skill India



My Mobile... My Bank... My Wallet...
BHIM
SMART INTERFACE FOR MONEY



Smart City



एक कदम स्वच्छता की ओर



Housing for all



Digital India



मुख्य बातें



- स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं।
- आज देश के अनेक भागों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ सभी संगठन, नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं।
- दस हफ्ते के भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35ए का हटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद, 70 दिन के भीतर अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का काम भारत के दोनों सदनों ने, राज्य सभा और लोक सभा ने, दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया।
- अगर इस देश में, हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल-विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन-देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। दस हफ्ते के भीतर हमारे मुस्लिम माताओं और बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया।
- आतंक से जुड़े कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया गया।
- हमारे किसान भाइयों-बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है।
- हमारे किसान भाई-बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई-बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि कभी उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है।
- जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा, यह भी चर्चा होती है, उन चीजों को पहले से ही सोच करके, केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाएं, इसके लिए एक अलग जल-शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है।
- हम आने वाले दिनों में जल-जीवन मिशन को आगे ले करके बढ़ेंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम इस मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है।
- हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। मेडिकल एजुकेशन को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था। हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है।
- अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है।
- हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, उसके लिये देश अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है, हमें ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी।



प्रधान संपादक : शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : वी के मीणा
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें

एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,

कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003



इस अंक में

आजीविका में विविधता से ग्रामीण गरीबी हटाने के प्रयास
अमरजीत सिन्हा.....7



5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के बढ़ते कदम
रणजीत मेहता.....13

जल संरक्षण-एक राष्ट्रीय आंदोलन
सविता.....17

फोकस

शासन प्रणाली में सुधार
योगेश सूरी.....22

विकास पथ

चंद्रयान-2 अभियान की शुरुआत (22 जुलाई, 2019) पर प्रधानमंत्री के संदेश
ज्ञान आधारित समाज के विकास की परिकल्पना

गोपालन माधवन नायर.....27

ऊर्जा क्षेत्र से मिलेगी सामाजिक-आर्थिक विकास को रफ्तार
सुमंत सिन्हा.....31

प्रकाशन विभाग की कई ई-परियोजनाओं का शुभारंभ.....34

विशेष आलेख

5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कौशल
दिलीप चेंनाय.....37

क्या आप जानते हैं?

भूजल संचयन के सर्वोत्तम तरीके.....41

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत.....42

स्वास्थ्य सेवाओं की कायापलट
चन्द्रकांत लहरिया.....44

अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचा
कृष्ण देव.....49



समावेशी नीति से सबका विकास
शशि रानी.....56







उच्च शिक्षा : संभावनाएं और चुनौतियां
जितेन्द्र कुमार पाण्डेय.....61

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा राष्ट्रपति को गांधी एलबम भेंट.....65

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

| | | | |
|--------------|--|--------|--------------|
| नयी दिल्ली | पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड | 110003 | 011-24367260 |
| दिल्ली | हाल सं. 196, पुराना सचिवालय | 110054 | 011-23890205 |
| नवी मुंबई | 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर | 400614 | 022-27570686 |
| कोलकाता | 8, एसप्लानेड ईस्ट | 700069 | 033-22488030 |
| चेन्नई | 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर | 600090 | 044-24917673 |
| तिरुअनंतपुरम | प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट | 695001 | 0471-2330650 |
| हैदराबाद | कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुडा सिकंदराबाद | 500080 | 040-27535383 |
| बैंगलुरु | फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला | 560034 | 080-25537244 |
| पटना | बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ | 800004 | 0612-2683407 |
| लखनऊ | हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज | 226024 | 0522-2325455 |
| अहमदाबाद | द्वितीय तल, अलखनंदा हॉल, भद्रा, मदन टेरेसा रोड | 380052 | 079-26588669 |

हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन



प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003




पुस्तक खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट
publicationsdivision.nic.in देखें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24367260, 24365610

ई-मेल : businesswng@gmail.com

द्विपर पर फॉलो करें  @DPD_India



प्रगति के पथ पर

भारत आज कई क्षेत्रों में लगातार विकास की बुलंदियां छू रहा है। आधारभूत संरचना, नवोन्मेष, अंतरिक्ष तकनीक, संसाधनों के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में हमारे देश का प्रदर्शन बेहद सराहनीय है। शासन संचालन के तौर-तरीकों, नीतियों के निर्माण और संस्थानों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार से लेकर अंतरराष्ट्रीय मापदंड तैयार करने तक, भारत खुद को आधुनिक राष्ट्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में उसने अपनी मजबूत पारंपरिक जड़ों को भी सुरक्षित रखा है। भारत ने वैश्विक मंच पर विशिष्टता और सम्मान हासिल किया है।

देश में बदलाव का पहिया ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां सरकार न सिर्फ 'प्रदाता' है, बल्कि वह अब 'लोगों को सक्षम बनाने' की भूमिका में है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, "अगर भारत को बदलाव की चुनौती का मुकाबला करना है, तो सिर्फ सामान्य विकास से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत है।" जैसा कि उन्होंने कहा है कि भारत में बदलाव, शासन में बदलाव के बिना नहीं हो सकता और शासन प्रणाली में परिवर्तन, सोचने के तौर-तरीकों में बदलाव के बिना संभव नहीं है। सोचने के तरीके में बदलाव परिवर्तनशील विचारों के बिना मुमकिन नहीं है।

भारत में शहरी-ग्रामीण, कृषि-औद्योगिक और संगठित-असंगठित कौशल आदि का अनोखा मिश्रण है। इसी तरह, भारत की विकास योजना भी विचारों और प्रणालियों के लिहाज से अलग है। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी बसती है और इसके मद्देनज़र यहां जबरदस्त संभावनाएं हैं। प्रगति की दिशा में रोज़गार और कौशल विकास के लिए योजनाएं, एमएसएमई पर जोर और 'भारत में अध्ययन' जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, चंद्रयान-2 अभियान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे उपायों के कारण भारत विकास की दौड़ में काफी आगे निकल चुका है। देश के जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के मकसद से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है।

साल 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए आधारभूत संरचना, वित्तीय सेवाएं, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य देख-भाल और संभार तंत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं भारत को इस लक्ष्य के लिए तैयार करने में काफी मददगार होंगी। देश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, स्मार्ट शहर, स्वच्छ भारत, भारतमाला समेत कई तरह के अभियान शुरू किए गए हैं।

प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी तंत्र राष्ट्र निर्माण का एक अहम हिस्सा है, जो यथासंभव तेज़ विकास के लिए समग्र राह तैयार करेगा।

इन उपायों से सार्वजनिक भागीदारी और समावेशी अभियान पहले से बेहतर तरीके से संभव हुआ है और आम लोग विकास की कहानी में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। इस प्रक्रिया में भारत वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ है और इस दिशा में हो रहे वैश्विक प्रयासों में भी योगदान कर रहा है। जनता के हित में, विकासोन्मुखी, पारदर्शी और सक्रिय भूमिका के जरिये सरकार लोगों को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रही है। □

**सिविल सेवा परीक्षा में हर वर्ष
100 से अधिक परिणाम**

**राज्य पी.सी.एस. परीक्षाओं में
सफलता की असाधारण दर**



**नया फेस टू फेस केंद्र
अब गोमती नगर
(लखनऊ) में**

- अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट क्लासरूम
- स्थाई फैकल्टी के मध्यम से लगातार शैक्षणिक सहायता
- पूरे भारत के प्रसिद्ध शिक्षकों की टीम
- अंग्रेज़ी और हिंदी माध्यम में सिविल सेवा और पी.सी.एस. परीक्षा के लिए अलग - अलग बैच
- निबंध एवं क्वालीफाइंग प्रश्न पत्र के लिये विशेष कक्षाएं
- समर्पित साक्षात्कार कार्यक्रम
- अध्ययन कक्ष की विशेष सुविधा

CP-1, Jeewan
Shopping Complex, Viram
Khand 5, Near Husariya Chauraha,
Gomti Nagar, Lucknow (UP)
7234000501, 7234000502

HEAD OFFICE:
Mukherjee Nagar, Delhi
9205274741

**OUR OTHER
FACE TO FACE CENTRES**

DELHI NCR : Laxmi Nagar
011 43012556,
Old Rajendra Nagar 9205274745
Greater Noida 9205336037
Allahabad 8853467068
Aliganj 9506256789
Bhubaneswar 8599071555

FOR DETAILS VISIT US ON
WWW.DHYEYAIAS.COM
OR CALL ON **011 49274400**

आजीविका में विविधता से ग्रामीण गरीबी हटाने के प्रयास

अमरजीत सिन्हा

जैसा कि चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, इसलिए इससे निपटने के लिए कई तरह के उपाय करना जरूरी है। नीचे दिये गये चित्र में गरीबी से मुक्त ग्रामीण समुदायों के निर्माण की चुनौती को प्रदर्शित किया गया है। स्थिति में बदलाव लाने के लिए कृषि से इतर गतिविधियों से आजीविका कमाने और रोजी-रोटी के एक से अधिक साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र का आधा और सेवा क्षेत्र का एक तिहाई पहले ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। जाहिर है कि आजीविका विकास और इनमें विविधता लाने के कार्यक्रमों के जरिए आय और रोजगार बढ़ाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।

पिछले चार वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और इसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के वित्तीय खर्च में काफी बढ़ोतरी की गयी है। तालिका-1 में दिये गये ग्रामीण विकास विभाग का 2012-13 से 2017-18 का वास्तविक खर्च और वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों से यह बात साफ तौर पर सामने आ जाती है।

2017-18 में वार्षिक खर्च 2012-13 के खर्च से दो गुने से अधिक है। यह बात ध्यान में रखने की है कि इस अवधि के दौरान गरीबी की समस्या के समाधान के लिए 4 अतिरिक्त स्रोत थे:

- कार्यक्रम के अंतर्गत हिमालयी राज्यों के लिए साझेदारी का अनुपात 90:10 और गैर-हिमालयी राज्यों के लिए 60:40 था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, जिनमें पहले केन्द्र और राज्य की साझेदारी 75:25 की थी, वहीं साझेदारी 60:40 हो जाने पर राज्य सरकारों के तीन साल में 45,000 करोड़ रुपये के खर्च पर केन्द्र ने 81,975 करोड़ रुपये का व्यय किया। इसी तरह दिसंबर 2015 से राज्यों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी 40 प्रतिशत अंशदान देना प्रारंभ किया। इससे राज्यों को 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने लगी जो पहले उपलब्ध नहीं थी। ऐसी ही बढ़ोतरी 75:25 की साझेदारी से 60:40 के तहत लाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि में भी हुई।



तालिका 1 : ग्रामीण विकास विभाग का वास्तविक खर्च

| वर्ष | ग्रामीण विकास योजनाओं का खर्च (करोड़ रुपये) |
|-----------------|---|
| 2012-13 | 50,162 |
| 2013-14 | 58,630 |
| 2014-15 | 67,263 |
| 2015-16 | 77,321 |
| 2016-17 | 95,099 |
| 2017-18 (सं.अ.) | 1,05,448* |
| 2018-19 | 1,12,403.92** |

* वर्ष 2017-18 के लिए, संशोधित अनुमान

** वर्ष 2017-18 के लिए, बजट अनुमान

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

- 2017-18 से आवास कार्यक्रम के अंतर्गत बजट से इतर संसाधनों से भी धन जुटाया गया। 2017-19 तक कुल 21,975 करोड़ रुपये की बजट से इतर राशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए जुटाई गयी है/जुटाई जा रही है।
- 14वें वित्त आयोग के निर्णय के तहत राज्यों को धनराशि के अंतरण में इससे पहले के 13वें वित्त आयोग के आवंटन की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसे तालिका 2 में देखा जा सकता है।

तालिका 2 : 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि

| वर्ष | कुल जारी (करोड़ रुपयों में) |
|---------|-----------------------------|
| 2015-16 | 21510.46 |
| 2016-17 | 33870.52 |
| 2017-18 | 32423.72 |

ध्यान देने वाली चौथी महत्वपूर्ण बात है-महिला स्वयं सहायता समूहों को इस अवधि के दौरान मिली धनराशि। महिला स्वयं सहायता समूहों ने पिछले 5 वर्षों में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में जुटाए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक ऋण की बकाया राशि जो 2013-14 में 31,865 करोड़ रुपये थी 2017-18 में 69,733 करोड़ रुपये हो गयी है।

इसके अलावा ग्रामीण गरीबी कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन पर जोर देने, कृषि मंत्रालय और गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे व आजीविका के अन्य कार्यक्रमों तथा ग्रामीण भारत को वित्तीय संसाधनों का पूर्ण

अंतरण जैसे कदम भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस धनराशि का काफी बड़ा हिस्सा रोजगार और आमदनी बढ़ाने पर खर्च हो जाता है।

ग्रामीण विकास विभाग ने इस दौरान गरीब परिवारों की आजीविकाओं के विकास और उनमें विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जुलाई 2015 में जारी सामाजिक-आर्थिक जाति गणना-2011 में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए प्रमाण पर आधारित मानदंड उपलब्ध कराये गये हैं। सामाजिक-आर्थिक जाति गणना के निर्धनता के मानदंडों को उज्वला योजना के तहत रसोई गैस, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन और हाल में आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम में लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि विकास के फायदे समाज के सबसे निर्धन लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा के तहत राज्यों के श्रमिक बजट को अंतिम रूप देने में सामाजिक-आर्थिक जाति गणना के उपयोग और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर जोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि गरीब परिवारों की अधिकता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले। तालिका-3 में निर्धनता के प्रकारों को दर्शाया गया है।

ग्रामीण विकास के तमाम कार्यक्रमों का आजीविका विकास और आजीविकाओं में विविधता लाने के कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा ने टिकाऊ परिसंपत्तियों और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और खेती के तालाब, कुएं, बकरियों के बाड़े, मुर्गीबाड़े, आवास निर्माण में सहयोग और मवेशियों के बाड़े जैसे आजीविका के अवसर पैदा करने वाले व्यक्तिगत लाभ प्रदान किये। सब्सिडी कार्यक्रमों को पशुधन संसाधन और कृषि कार्यक्रमों से जोड़े जाने से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली। पिछले चार वर्षों में फलों और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी और पशुधन संसाधनों में शानदार वृद्धि का कारण ग्रामीण आजीविकाओं के विकास और उसमें विविधता लाने के कार्यक्रम पर जोर दिया जाना है। पिछले तीन साल में आजीविका के अवसर पैदा करने और आमदनी व रोजगार में मदद करने वाली पहलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

1. जल संरक्षण कार्यक्रमों से 143 लाख हैक्टेयर भूमि को फायदा
2. इस दौरान सिंचाई के लिए करीब 15 लाख तालाब और 4 लाख कुओं के अलावा बड़ी संख्या में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक ढांचों का निर्माण किया गया।
3. इस अवधि में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 6,222 कस्टम हायरिंग सेंटर पूरी तरह चालू हुए।
4. स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों में से 11,000 बैंक सखियां और 773

तालिका-3 : सामाजिक-आर्थिक जाति गणना 2011 के अंतर्गत निर्धनता

| विवरण | निर्धन परिवार |
|---|---------------|
| बिना कमरे या सिर्फ एक कमरे और कच्ची दीवार व कच्ची छत वाले परिवार (डी-1) | 2,37,31,674 |
| ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 साल की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं (डी-2) | 65,15,205 |
| महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 साल की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं (डी-3) | 68,96,014 |
| विकलांग सदस्य वाले परिवार जिसमें कोई भी तंदुरुस्त वयस्क सदस्य नहीं (डी-4) | 7,16,045 |
| अ.जा./अ.ज.जा. परिवार (डी-5) | 3,85,82,225 |
| परिवार जिनमें 25 साल से अधिक का कोई भी साक्षर सदस्य नहीं है (डी-6) | 4,21,47,568 |
| हाथ से काम करने वाले खेतिहर मजदूर परिवार (डी-7) | 5,37,01,383 |
| 16 लाख अन्य परिवार स्वतः ही निर्धनतम परिवारों में शामिल | |



तालिका-4 : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक दिन में बनी सड़कों की कुल औसत लंबाई

| वर्ष | प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक दिन में बनी सड़कों की कुल औसत लंबाई (कि.मी. में) |
|---------|--|
| 2011-12 | 85 |
| 2012-13 | 66 |
| 2013-14 | 69 |
| 2014-15 | 100 |
| 2015-16 | 100 |
| 2016-17 | 130 |
| 2017-18 | 134 |

सड़क निर्माण कार्यक्रम में जोरदार बढ़ोतरी से भी रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण की कुल लागत का औसतन एक चौथाई कुशल, अर्धकुशल और अकुशल दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार देने में खर्च होता है। स्पष्ट है कि इस दौरान इन की भी आमदनी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केन्द्र सरकार का वार्षिक आबंटन पिछले तीन साल में बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे राज्यों के हिस्से में भी 8,000 करोड़ रुपये से 9,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले तीन वर्षों में अकेले ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये से 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। जाहिर है इस राशि का 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष रोजगार पर खर्च हुआ होगा। इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलने का संकेत मिलता है और इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी और रोजगार पर भी निश्चित रूप से असर पड़ा होगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आजीविका की सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें इस दौरान पूरी पारदर्शिता दिखाई दी है।

- मनरेगा को कारगर तरीके से लागू करने में केन्द्र सरकार की वचनबद्धता इसके लिए बजट आबंटन में लगातार बढ़ोतरी में परिलक्षित होती है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट आबंटन 55,167 करोड़

बैंक मित्रों को बैंकिंग कॉरिस्पॉण्डेंट के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

5. गैर-रासायनिक कृषि-पारिस्थितिकीय पहल के तहत 33 लाख महिला किसानों को मदद दी गयी।
6. 86,000 उत्पादक समूह और 126 कृषि उत्पादक कंपनियों की स्थापना।
7. ग्रामीण परिवहन के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत महिला ड्राइवर्स द्वारा 449 वाहन चलाए जा रहे हैं।
8. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान आदि के दूर-दराज इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों की 4000 सदस्यों ने हिस्से-पुर्जे जोड़कर 9 लाख से ज्यादा सोलर लैंप बनाए।
9. 6,000 से अधिक लोगों को तकनीशियन के रूप में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणपत्र दिये गये।
10. पिछले 4 साल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत 3.54 लाख उम्मीदवारों को मजदूरी वाले रोजगार दिये गये और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देकर 12.65 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार प्रदान किया गया।

11. आवास कार्यक्रम के अंतर्गत 10,949 ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रमाणपत्र प्रदान किये गये।

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी) के आमदनी और रोजगार में पड़ने वाले असर का आकलन करने को कहा गया। संस्थान की रिपोर्ट में पाया गया कि “वर्ष 2016-17 से बनाए जा चुके और बनाए जा रहे मकानों के बारे में आवास सॉफ्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का उपयोग करके हमने अनुमान लगाया कि इस योजना से 52.47 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराये गये। दोनों वर्षों में इसमें से 20.85 करोड़ दिहाड़ियां कुशल मजदूरों के लिए और शेष 31.62 करोड़ अकुशल मजदूरों के लिए थीं”।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रमुख कार्यक्रम है और पिछले 4 साल में 1.69 लाख कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया है। 2011-12 से साल भर में बनी सड़कों की औसत लंबाई तालिका-4 में प्रदर्शित की गयी है।



रुपये रहा जो इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद से सबसे अधिक है।

| वर्ष | बजट आवंटन (करोड़ रु.) |
|---------|-------------------------|
| 2014-15 | 33000 |
| 2015-16 | 37346 |
| 2016-17 | 48220 |
| 2017-18 | 55167 |

- धनराशि का उपयोग : धनराशि के उपयोग में (जिसमें केन्द्र और राज्य, दोनों का हिस्सा शामिल है) भी पिछले वित्त वर्षों की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल खर्च करीब 64,288 करोड़ रुपये (अस्थायी) है जो शुरुआत के समय से ही सबसे अधिक है।
- पिछले तीन साल में मनरेगा के तहत सालाना 235 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। यह पहले से अधिकांश वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है और इससे यह संकेत मिलता है कि टिकाऊ परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत लाभ योजनाओं पर जोर दिये जाने से मनरेगा कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ी है। नीचे दिये गये चित्र में मनरेगा की टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से आजीविका की सुरक्षा की ऊंची मांग की पुष्टि होती है।

| वर्ष | काम की दिहाड़ियां (करोड़ रुपये) |
|---------|-----------------------------------|
| 2014-15 | 166.21 |
| 2015-16 | 235.14 |
| 2016-17 | 235.6 |
| 2017-18 | 234.3 |

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विस्तार करके 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूँ और 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर

से चावल उपलब्ध कराने से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली है। इस अवधि में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में मामूली बढ़ोतरी होने से कृषि मजदूरों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी मामूली तौर पर बढ़ा है, क्योंकि कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करने में जिन जिनसों और सेवाओं को शामिल किया जाता है उनमें काफी बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों का होता है। कृषि मजदूरों की मजदूरी की दरें तय करते समय चावल और गेहूँ पर सब्सिडी तथा गरीब परिवारों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न की उपलब्धता का ध्यान रखना जरूरी है। वास्तविक मजदूरी में मामूली बढ़ोतरी से ही क्रय शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि चावल और गेहूँ जैसी महंगी वस्तुओं की कारगर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है।

ग्रामीण गरीबी सही अर्थों में बहुआयामी है और व्यापक प्रभाव के लिए इन सभी आयामों पर एकसाथ कार्रवाई करना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली विभिन्न पहलों को समेकित करने के प्रयास किये गये हैं ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों की दशा में सही अर्थों में बदलाव लाकर खुशहाली लायी जा सके। इन सब कदमों के तहत पारिवारिक गरीबी और क्षेत्रीय गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें योगदान करने वाले घटक इस प्रकार हैं:

पारिवारिक गरीबी

- शिक्षा और कौशल की कमी
- अल्प पोषण और बीमारी
- रोजगार के अवसरों की कमी
- परिसंपत्तियों की कमी
- सुरक्षित आवासों की कमी
- सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच
- बिचौलियों के चंगुल/भ्रष्टाचार/सूदखोरी
- सामाजिक पूंजी-महिला समूहों/युवाओं/

गरीब परिवारों के समूहों का अभाव

भौगोलिक गरीबी

- उत्पादों का कम मूल्य - आपदाएं
- हिंसा/अपराध
- बारानी खेती/मानसून की अनिश्चितता
- बुनियादी ढांचे - सड़क, बिजली, इंटरनेट की कमी
- बाजारों और रोजगार तक पहुंच की कमी
- गैर-कृषि रोजगार की कमी

इन आंकड़ों और उपायों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं और महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक बड़े पैमाने पर बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इन सब उपायों से आमदनी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि आजीविका में विविधता आयी है और उसका विकास हुआ है। इस विविधता को दर्शाने वाले कुछ उदाहरण ऊपर बताये जा चुके हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण गरीबी की चुनौतियों पर ऊपर बताये गये कई उपायों के जरिए कारगर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (आई.आर.एम.ए.) आणंद के मूल्यांकन अध्ययनों से भी उन गांवों में आमदनी, उत्पादक परिसंपत्तियां और उद्यमों में बढ़ोतरी की पुष्टि होती है जहां दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इसी तरह आर्थिक विकास संस्थान द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कराये गये जल संरक्षण कार्यों के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आमदनी, उत्पादकता, क्षेत्रफल और भूमिगत जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की बढ़ोतरी से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। □



IAS

एक ईमानदार प्रयास



PCS



An Honest Effort

सामान्य अध्ययन

3

SEPT

12 PM

भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा

नये फाउंडेशन बैच हेतु

निःशुल्क कार्यशाला

10

SEPT

6 PM

समाजशास्त्र

वैकल्पिक विषय

by

DR. S. S. PANDEY

नये फाउंडेशन बैच हेतु

निःशुल्क कार्यशाला

3

SEPT

9

AM

यदि आप मेधावी, किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर हैं और IAS/PCS बनना चाहते हैं....

तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर.... दिल्ली में दीक्षांत IAS द्वारा एक

भारत सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्तपोषित

FREE COACHING & SCHOLARSHIP PROGRAMME

जल्दी करें...

शुरू किया गया है
जो आपके सपनों को साकार कर सकता है..

दीक्षांत चलें...

Add. : 289, Dhaka Johar, Near Dushahara Ground, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 ☎ 011-27608204, 9312511015, 8851301204



Visit us:
dikshantias.com



9312511015
8851301204



facebook.com
/dikshant.ias.7



youtube.com
/dikshantias



twitter.com
/dikshantias



instagram.com
/dikshantias



t.me
/dikshantias

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच प्रारंभ

17 सितंबर
शाम 6:30 बजे

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

| | | |
|--|--|--|
| सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स) | सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स) | इतिहास (वैकल्पिक विषय) (12 बुकलेट्स) |
| सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स) | सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स) | दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय) (4 बुकलेट्स) |
| सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स) | | हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय) (13 बुकलेट्स) |
| उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 + 10 बुकलेट्स) | मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स) | राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (34 बुकलेट्स) |
| सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 बुकलेट्स) | सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स) | बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (25 बुकलेट्स) |
| उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये | | छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये |
| सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स) | सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स) | सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (35 बुकलेट्स) |
| | | सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (35 + 6 बुकलेट्स) |

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के बढ़ते कदम

रणजीत मेहता

गणतंत्र बनने के 70 साल के भीतर आज भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर लगातार अग्रसर है। हम जो कर रहे हैं उससे हमारे अपने लोगों के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व के लिए जबरदस्त संभावनाएं पैदा हुई हैं। हम जिस तरह के 'न्यू इंडिया' के निर्माण का सपना देखते हैं और जिस तरह की विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं उसके लिए इससे हमारे सामने संभावनाओं के द्वार खुलने के साथ-साथ इसका दायित्व भी प्राप्त हो जाएगा।

भारत का उभर कर सामने आना एक ऐसे भारत की फिर से कल्पना करने का अवसर है जो चिरस्थायी खुशहाली, आनंद, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वाधीनता, समावेशी विकास, शांति और पारस्परिक सम्मान जैसे सर्वोच्च सभ्यतागत आदर्शों के अनुरूप है। जब ये आदर्श हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं तो इनमें विविधतापूर्ण विश्व व्यवस्था को आकार देने की क्षमता आ जाती है। भविष्य के संभावित नेताओं और निर्माताओं के रूप में वर्तमान वैश्विक परिवेश हमसे अपेक्षा करता है कि हम एक समावेशी वैश्विक

व्यवस्था की परिकल्पना करें और इसे साकार करने की दिशा में प्रयत्नशील हों। भारत को एक स्वप्न और एक ऐसी महान परिकल्पना की आवश्यकता है जिसके साथ हम अपने कार्यों का तालमेल बिठाकर संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में कार्य कर सकें तथा चिरस्थायी खुशहाली और प्रगति के लिए व्यक्तियों, राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच संपर्क सेतु का कार्य कर सकें।

भारत का विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण

अगर विश्व घटनाचक्र पर विचार करें तो भारत का विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसमें आर्थिक तथा सामरिक संबंधों की अंतर्धाराएं जोर पकड़ने लगी हैं। यह नया दृष्टिकोण हमारी विदेश नीति के 'पंचामृत' स्तंभों में परिलक्षित हो रहा है। ये स्तंभ हैं: सम्मान (गरिमा और प्रतिष्ठा), संवाद (संपर्क और वार्तालाप), समृद्धि (साझा खुशहाली), सुरक्षा (क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा) और सभ्यता (संस्कृति एवं सभ्यतागत संपर्क)। पंचामृत ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तौर-तरीकों पर भी असर डालना शुरू कर दिया

है। 'नेबरहुड फस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की नीति के तहत हमारे वैश्विक संपर्कों में भी इसे स्थान मिला है। 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाना और जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के प्रधानमंत्रियों का शामिल होना इसके प्रमाण हैं।

अभी हाल ही में इस सरकार के दूसरे कार्यकाल में सार्क के स्थान पर बिमस्टेक और इंडियन ओशन रीजन (हिन्द महासागर क्षेत्र-आई.ओ.आर.) पर अधिक जोर दिया जा रहा है और भारत के क्षेत्रीय संपर्क की प्राथमिकता सार्क की बजाय बिमस्टेक के देश बनते जा रहे हैं।

उक्त नीति के अनुरूप प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा मालदीव और श्रीलंका की उन्होंने फिर कहा कि भारत अपने पड़ोसियों को तरजीह देने (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति और 'सागर' सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देता है। सागर का मतलब है- सिक्वोरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन-एस.ए.जी.ए.आर. (संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा और विकास)। प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित इस सिद्धांत का उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र को सुरक्षित और शांतिमय बनाए रखना है। यह कदम हिन्द महासागर क्षेत्र के द्वीप देशों के बारे में भारत के इस निष्कर्ष का परिचायक है कि ये देश भारत की सामरिक-भौगोलिक सुरक्षा का आधार हैं। इस दिशा में एक शुरुआत 2015 में तब हुई जब प्रधानमंत्री ने सेशैल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की यात्रा की और 'सागर' अवधारणा पर प्रकाश डाला। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक था।



लेखक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) नई दिल्ली में प्रधान निदेशक हैं। ईमेल: ranjeetmehta@gmail.com



5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

हाल में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने 2024 तक भारत के लिए पांच ट्रिलियन डॉलर (5-लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की घोषणा की। अगर सामान्य से हटकर कुछ करके दिखाना हो, तो इसके लिए बड़ी सोच की आवश्यकता होती है, क्योंकि आमूल परिवर्तन सामान्य योजनाओं से नहीं आ सकता। 'न्यू इंडिया' की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित 5-ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इसके लिए अभिकल्पना, वित्तपोषण और अभिशासन की आवश्यकता होगी। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7 प्रतिशत निर्धारित की है जो पिछले साल के 6.8 प्रतिशत से अधिक है। पांच ट्रिलियन डॉलर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक समीक्षा में एक रूपरेखा दी गयी है जिसमें कहा गया है कि भारत का विकास 8 प्रतिशत की दर से होना चाहिए।

आर्थिक समीक्षा में '2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए' कामकाज के तौर-तरीकों में बदलाव करने को भी मुख्य विषय बनाया गया है। इसमें निवेश का, खास तौर पर निजी निवेश का, प्रमुख प्रेरक के रूप में समर्थन किया गया है क्योंकि इससे मांग में तेजी आती है, क्षमता-निर्माण होता है, श्रम की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, नयी टेक्नोलॉजी का समावेश होता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसमें यह भी सुझाव

दिया गया है कि निर्यात को विकास के मॉडल का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए क्योंकि बचत में बढ़ोतरी से घरेलू उपभोग में भी तेजी आती है जो अंततः मांग की प्रेरक है। समीक्षा में सद्चक्र या दुश्चक्र की बात कही गयी है। इसमें कहा गया है कि जब अर्थव्यवस्था सद्चक्र के दौर में होती है तो निवेश, उत्पादकता वृद्धि, रोजगार सृजन, मांग और निर्यात जैसे घटक एक-दूसरे का पोषण करते हैं और अर्थव्यवस्था संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में सक्षम होती है।

सरकार के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने संरचनात्मक सुधार, नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता तथा जोखिम और संसाधनों के

**भारत का उभर कर सामने आना
एक ऐसे भारत की फिर से
कल्पना करने का अवसर है जो
चिरस्थायी खुशहाली, आनंद,
उत्तरदायित्वपूर्ण स्वाधीनता,
समावेशी विकास, शांति और
पारस्परिक सम्मान जैसे सर्वोच्च
सभ्यतागत आदर्शों के अनुरूप है।
जब ये आदर्श हमारी विदेश नीति
को प्रभावित करते हैं तो इनमें
विविधतापूर्ण विश्व व्यवस्था को
आकार देने की क्षमता आ जाती है।**

आवंटन में दक्षता के प्रयास शुरू करके अनुकूल माहौल तैयार करने के प्रयास जारी रखे हैं। तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हमें रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सुचिंतित नीतियों के जरिए पूंजी बाजार को सहायता देने की भी आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक गतिविधियों के वित्तपोषण में और अहम भूमिका निभा सकें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

6.5 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो रोजगार के करीब 12 करोड़ अवसर पैदा करते हैं और देश के आर्थिक उत्पादन में 30 प्रतिशत का योगदान करने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी 30 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं, तो उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल में एमएसएमई क्षेत्र में कई आमूल परिवर्तनकारी सुधार किये हैं।

विनिर्माण संबंधी नयी गतिविधियों से भारत दुनिया की गिनी-चुनी वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन सकता है और इससे देश के निर्यात को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। भारत को उत्पाद समूहों का उत्पादन करनेवाली विनिर्माण पारिस्थितिकीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उत्पादों का विनिर्माण करने वाली मशीनरी की स्थापना करने, खास तौर पर सामग्री, बायोलॉजिकल्स, नैनोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इम्बेडेड सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेज का उत्पादन करने वाली प्रणाली स्थापित करने जैसे कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं कम्प्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, मोटर वाहनों के हिस्से पुर्जो, खिलौने, फर्नीचर, जूते-चप्पल और वस्त्र उत्पादन की ओर भी ध्यान देना होगा। कौशल और श्रम-प्रधान ये उत्पाद कृषि या अनौपचारिक क्षेत्र के फालतू लोगों को खपाने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा लचीले श्रम कानून पर जोर देने की भी आवश्यकता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर विनिर्माण की पूर्व शर्त है।

कृषि क्षेत्र पर जोर

भारत की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि कार्यों में संलग्न है। सरकार ने 2022 तक किसानों की

आमदनी दुगुनी करने का संकल्प लिया है। असली मुद्दा उत्पादकता के स्तर का नहीं है, उत्पादों को किसानों की आमदनी का निर्धारण करने वाली लागत में बदला जाए। आज कोई भी औद्योगिक राष्ट्र कृषि के बिना अपना अस्तित्व बनाए नहीं रह सकता। विश्व भर में दुलाई किये जाने वाली वस्तुओं का 60 से 80 प्रतिशत हिस्सा कृषि पदार्थों का होता है।

आज कृषि का फोकस प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने की बजाय खेती पर निर्भर परिवारों को कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में लगाने और फसल कटाई के बाद उपज के मूल्यसंवर्धन के लिए जमीन की चकबंदी करके एकमुश्त फसल हासिल करने पर परिवर्तित हो गया है। इसका उद्देश्य बाजार में किसानों की मोलभाव करने की क्षमता में बढ़ोतरी करना है। हाल में कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण और एग्री-लॉजिस्टिक्स के बीच तालमेल कायम कर उसका उन्नयन करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। किसानों के उत्पादों को बेहतर दामों पर बेचने के कई उपायों में से एक ग्रामीण कृषि बाजार (जीआरएएम-ग्राम) का सृजन करना और उन्हें किसानों की इलेक्ट्रॉनिक मंडियों (ई-नाम) से जोड़ने का है ताकि किसान अपने उत्पादों को पूरे देश में कहीं भी बेच सकें।

और ऐसा करने के लिए सरकार ने भारत में टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डिवेलपमेंट (एन.सी.सी.डी.) निजी क्षेत्र, कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और इसकी विकास दर भी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर के लिहाज से दूसरी सर्वाधिक तेज है। हमारे समावेशी डिजिटल मॉडल में डिजिटल अंतराल लगातार कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के सभी वर्गों को मिलने लगा है।

सेवा क्षेत्र पर जोर

सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद में 56.5 प्रतिशत का योगदान करती हैं लेकिन इनसे रोजगार के सिर्फ 30 प्रतिशत अवसर उत्पन्न होते हैं। अब तक सूचना टेक्नोलॉजी की भूमिका प्रमुख रही है। यह उद्योग अपने 150 अरब डॉलर के कारोबार का 80 प्रतिशत निर्यात कर रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि सूचना टेक्नोलॉजी के राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक अमेरिका से आता है इसलिए अमेरिका की मौजूदा नीतियों की पृष्ठभूमि में भविष्य बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

अब इस क्षेत्र को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रिएलिटी और इनके अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के विकास की आवश्यकता है। सेवा के नये उभरते अन्य क्षेत्रों में यात्रा और पर्यटन, स्वास्थ्य और पेशेवर सेवाएं शामिल हैं।

बुनियादी ढांचा, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रदान करने से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने रोजगार के चार करोड़ अवसर उत्पन्न किये और सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत में पर्यटकों के आकर्षण के अनेक केन्द्र होने से किफायती बजट होटलों, चिकित्सा पर्यटन, पर्यटक सुरक्षा और नये पर्यटक आकर्षणों के सृजन जैसे परियोजना निर्देशित निवेश से इस क्षेत्र में कई गुना विकास किया जा सकता है।

एक अन्य बड़ा अवसर वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्य के क्षेत्र में है जो 8 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बन चुका है और जिसमें अगले 15 वर्षों में 10 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता होगी। अगर भारत के 600 जिला अस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग और अर्धचिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाए तो उनमें 50 लाख डाक्टरों, नर्सों और अर्धचिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देकर विश्व की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। वे हर साल विदेशी मुद्रा के रूप में अरबों डॉलर स्वदेश को ला सकते हैं। निर्माण क्षेत्र में भी जबरदस्त क्षमता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का योगदान करता है और रोजगार के अवसर पैदा करने में कृषि क्षेत्र के बाद इसी का स्थान है।

डिजिटल इंडिया में ट्रिलियन डॉलर के अवसर

डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई, 2015 को की थी। डिजिटल आधारभूत ढांचे और डिजिटल इंडिया पहल के जरिए विस्तारित डिजिटल पहुंच की मजबूत बुनियाद से आज भारत विकास के नये दौर में पहुंचने को है। यह दौर जबरदस्त आर्थिक लागत के सृजन और नये डिजिटल अनुप्रयोगों के एक के बाद दूसरे क्षेत्र में पहुंचने से नागरिकों के सशक्तीकरण का दौर होगा। 2025 तक भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था से एक ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक लागत का सृजन कर सकता है जो इस समय सृजित होने वाली 200 अरब की लागत के अतिरिक्त होगी।



डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और इसकी विकास दर भी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर के लिहाज से दूसरी सर्वाधिक तेज है। हमारे समावेशी डिजिटल मॉडल में डिजिटल अंतराल लगातार कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के सभी वर्गों को मिलने लगा है। 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक मूल्य का सृजन क्षमता का आधा वित्तीय सेवाओं, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, लॉजिस्टिक्स व परिवहन, रोजगार तथा कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नयी डिजिटल पारिस्थितिकी से प्राप्त हो सकता है।

अंत में, इतना निःसंदेह कहा जा सकता है कि हमारे नीति निर्माता इसे कितनी जल्दी नीतिगत प्रोत्साहन दे पाते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य कितनी तेजी से प्राप्त कर पाते हैं।

प्रधानमंत्री ने 'न्यू इंडिया' का जो स्वप्न देखा है उसके अनुसार भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया के लिए सुशासन

डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और इसकी विकास दर भी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर के लिहाज से दूसरी सर्वाधिक तेज है। हमारे समावेशी डिजिटल मॉडल में डिजिटल अंतराल लगातार कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के सभी वर्गों को मिलने लगा है।


की एक मिसाल बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के लिए जो परिकल्पनाएं की हैं वे ऐसे भारत की हैं जो:

1. गरीबी से मुक्त और खुशहाली से भरपूर हो,
2. भेदभाव से मुक्त और समता से ओत-प्रोत हो,
3. अन्याय से मुक्त और न्याय से परिपूर्ण हो,

4. गंदगी से मुक्त और स्वच्छता से आवृत हो,
5. भ्रष्टाचार से मुक्त और पारदर्शिता से पूर्ण हो,
6. बेरोजगारी से मुक्त और रोजगार से समृद्ध हो,
7. महिलाओं पर अत्याचार से मुक्त और उनके लिए सम्मान की भावना से भरा हो, और
8. निराशा से मुक्त और आशाओं से परिपूर्ण हो।

भारत में आमूल परिवर्तन लाने के बारे में 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' की उनकी परिकल्पना देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाली और भारत को दुनिया की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने की है।

यह बात अत्यंत आवश्यक है कि एक ऐसे ढांचे पर कार्य किया जाए जो कारोबारी सुविधाएं उपलब्ध कराए और जिसमें पूर्वानुमान लगाया जा सके। आज समय आ गया है जब देश की ऊर्जाओं को ऐसा माहौल उपलब्ध कराने में लगाया जाए जिसमें निजी क्षेत्र के निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिले। □



OJAANK IAS ACADEMY

12^{वीं} के बाद करे IAS की तैयारी

UNDER GUIDANCE OJAANK SIR

CLASSROOM PROGRAM ONLINE CLASSES

WWW.OJANKIASACADEMY.COM

CALL NOW LIMITED SEAT ONLY FOR LUCKY CHARMS

8285894079/8750711144

YH-1253/2019

जल संरक्षण—एक राष्ट्रीय आंदोलन

सविता

भारत एक ऐसे देश में बदल रहा है, जिसे अब पूरी दुनिया 'न्यू इंडिया' के रूप में पहचान रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब तेजी से समृद्ध, आत्मनिर्भर, विकसित, निवल खाद्य निर्यातक, पारदर्शी और जीवंत देश में परिवर्तित हो रहा है, जहां भली-भांति विकसित बुनियादी ढांचे के साथ कुशल और गतिशील युवा हैं, अद्यतन संचार, उन्नत स्वास्थ्य और शैक्षिक प्रणाली के साथ, बेहतर प्रशासन और बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विशेष रूप से, हाल के समय में भारत आईटी उद्योग, स्वास्थ्य पर्यटन, अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग और कई अन्य क्षेत्रों में विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित केंद्र बन गया है।

इसके अलावा, भारत न केवल जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम करने, मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और शांति जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक योजनाबद्ध उपलब्धियों और सतत विकास की वैश्विक कार्यसूची में सार्थक योगदान के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वास्तव में, भारत तेजी से जनोन्मुखी, भागीदारीपूर्ण, प्रत्यक्ष और अनुकूल आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य देश की विविध और बेजोड़ प्राकृतिक विरासत की रक्षा करते हुए पारिस्थितिकी सुरक्षा के उसके दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना है।

जल संकट - एक प्रमुख बाधा

भारत में वैश्विक आबादी का लगभग छठा हिस्सा और पशुधन का सबसे बड़ा हिस्सा (51.2 करोड़ मवेशी) है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र दुनिया का मात्र 2.4 प्रतिशत है। इसलिए, विभिन्न क्षेत्रों में ऊपर वर्णित उल्लेखनीय प्रगति और उपलब्धियों के



बावजूद, भारत को अपने लोगों के सपने, उम्मीदों और बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक बाधाओं और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से, परस्पर संबद्ध जल संकट और खाद्य असुरक्षा जैसी बाधाएं विशेष ध्यान आकर्षित करती हैं क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचा विकास; कृषि का विस्तार और गहनता; वनों और प्राकृतिक संसाधनों (जंगलों, घास के मैदानों, नदियों सहित आर्द्रभूमि, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र) का ह्रास; विभिन्न क्षेत्रों की आपूर्ति और मांगों के बीच बड़े अंतराल और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि ऐसे कारण हैं, जो इन बाधाओं के जोखिमों को शीर्ष स्तर पर पहुंचा देते हैं।

सीमित पहुंच के माध्यम से पानी की कमी के संकेत, मात्रा में गिरावट और बिगड़ती गुणवत्ता चारों ओर स्पष्ट है क्योंकि पानी का संकट बढ़ रहा है, वह भी तब जब

सभी को पता है कि पानी न केवल सभी जीवन रूपों के लिए आवश्यक है बल्कि यह जीवन के हर पहलू को जोड़ता है। मानव शरीर पंचतत्वों से बना है— पांच तत्व: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और अंतरिक्ष, जहां शरीर का लगभग 72 प्रतिशत भार पानी की मात्रा के कारण होता है। पानी प्रकृति के लिए प्रेरक शक्ति है।

धरती मुख्य रूप से (70 प्रतिशत) जल से आच्छादित है, परंतु, पृथ्वी पर ताजा जल केवल 2.5 प्रतिशत है। दुनिया के ताजा जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही भारत में है। मिठे पानी का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा आसानी से झीलों और नदियों में उपलब्ध है। आनुपातिक रूप से, अकेले कृषि क्षेत्र में मानव द्वारा ताजे पानी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा काम में लाया जा रहा है। मानवता के लिए पानी के महत्व को भली-भांति समझे जाने के बावजूद, देश के विभिन्न हिस्सों में पानी की

भारत न केवल जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम करने, मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और शांति जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक योजनाबद्ध उपलब्धियों और सतत विकास की वैश्विक कार्यसूची में सार्थक योगदान के लिए भी पूरी तरह से तैयार है



कमी की सीमा और गंभीरता बढ़ती जा रही है, जिसके अनेक कारण हैं, जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वनों के हास और हरित आच्छादन क्षेत्र तथा शहरी 'हरित' वातावरण में कमी; बदलती जीवन शैली और बढ़ते खपत पैटर्न; भूजल के सिंचित कृषि और परिणामी दोहन का विस्तार; बड़े जलाशयों/बैराज में पानी के भंडारण और नहरों द्वारा पानी के पथ-परिवर्तन के लिए अग्रणी भौतिक अवरोधों का निर्माण; रिसाव और उपेक्षा से पानी की बर्बादी; रीसाइक्लिंग और वर्षा जल भंडारण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं; और इससे भी महत्वपूर्ण बात, शहरी अपशिष्टों के सीवेज और डंपिंग द्वारा पानी का प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्टों का अनियंत्रित प्रवाह। ऐसे समय जब देश में चौतरफा तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताजे पानी की उपलब्धता और पहुंच विकास कार्यों में बाधा डालती है। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम होने के कारण देश में जल संकट की स्थिति की आशंका व्यक्त की जा रही है। कई महानगरों और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भी भारी कमी है। देश के कई हिस्सों में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा है और ऐसे क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य प्रमुख चिंता का विषय है। दूरदराज के कई ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में, जल संकट नीरसता का कारण है, क्योंकि लंबी दूरी से पानी लाने से महिलाओं पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है और उन्हें परिवार की देखभाल से इतर काफी समय पानी लाने में जाया करना पड़ता है।

इससे आर्थिक अवसरों का नुकसान भी होता है। पानी की मांग अगले कुछ दशकों में कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे समय पर, जब देश को त्वरित खपत, पर्यावरण में गिरावट और जलवायु परिवर्तन के बहुआयामी प्रभावों, व्यापक विज्ञान-आधारित मार्गों, नवाचारों, प्रौद्योगिकियों की जरूरतों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह समय की आवश्यकता है कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कुशलता से देश के मीठे पानी के दुर्लभ संसाधनों और प्रतिस्पर्धी मांगों का कारण प्रबंधन किया जाये।

प्रकृति, जल और जन

प्रकृति, जल और जन का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि प्रकृति जल चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने में मौलिक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वह एक नियामक, स्वच्छ करने वाली और या जल की आपूर्ति करने की भूमिका निभाती है। हरे भरे घने वनों और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों (घास के मैदान और नमी वाली भूमि) को बनाए रख कर यह सीधे जल सुरक्षा को मजबूत करती है। केवल वन पर्यावास के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए।

प्राकृतिक विशेषताएं, विभिन्न पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं के साथ-साथ इसकी गत्यात्मक शैलियां मृदा निर्माण और क्षय के अलावा मिट्टी के यहां से वहां ले जाने और इसके जमाव को प्रभावित करती है और इन सबका जल विज्ञान और जल की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब प्रकृति के स्थल दायरे की बात

होती है, तो इसमें वन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जल चक्र में जल विज्ञान घास के मैदान, नमी वाली भूमि और कृषि भूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी के भंडारण और रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता संचालनगत भूमिका अदा करती है, क्योंकि यह पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय कार्यों को नियंत्रित करती है। जल संकट के कारणों के आकलन और देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय विकसित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता देश के विभिन्न क्षेत्रों/परिदृश्यों का अंतरसंबंध समझने की है।

जल संरक्षण

जल संरक्षण काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर मानव बहुलता वाले भारत जैसे देश में। अत्यधिक उपयोग, बर्बादी, प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मौजूदा गंभीर स्थिति सामने आई है। देश की अधिकांश नदियां और जलनिकाय सूख रहे हैं। जमीन में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है और बढ़ती आबादी के लिए समुचित जल वितरण कठिन होता जा रहा है। जल संरक्षण के मूल रूप से निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं।

1. पानी की उपलब्धता बढ़ाना: यह लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें एक मिश्रित रणनीति अपनानी होगी, जिसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र (वन, घास के मैदान और नदियों सहित नमी वाली भूमि) के विस्तार और संरक्षण पर ध्यान देना, हरित भूमि का दायरा बढ़ाना, उसके स्रोत को बनाए रखने पर ध्यान देते हुए, जल स्रोत के तटवर्ती वनों का प्रबंधन, पानी के न्यूनतम उपयोग वाली विविध कृषि प्रणाली अपनाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, मृदा और नमी संरक्षण प्रयास, जलाशयों में जल भंडारण, सोच समझ कर पानी का उपयोग, पुनःचक्रण और पुनःउपयोग सहित रणनीतियों पर विशेष ध्यान देना होगा।
2. जल गुणवत्ता में सुधार: संबंधित कानूनों और नियमों को इस ढंग से लागू करना कि उनके सही उद्देश्य पूरे हो सकें। प्रदूषण नियंत्रण, मलजल, शहरों की गंदगी, औद्योगिक कचरे के निस्तारण

पर प्रतिबंध, कृषि में कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों के उपयोग पर पाबंदी, मलजल उपचार संयंत्र और जल उपचार संयंत्र लगाना तथा जैव उपचार तकनीक अपनाने पर भी ध्यान देना होगा।

3. जल संबंधी जोखिम कम करना: देश का काफी बड़ा क्षेत्र हर वर्ष सूखे, बाढ़ और विभिन्न संकटों की चपेट में आता है। जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण उपाय, जलवायु अनुकूल कृषि, वैकल्पिक आय सृजन गतिविधियों में बढ़ोतरी और सतत आजीविका के एकीकृत उपाय अपनाने से इन जोखिमों को कम किया जा सकेगा और सटीक आपदा प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

राष्ट्रीय आंदोलन

जल संकट की तीव्रता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए और जल संरक्षण के ऊपर वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 'सहज स्वीकार्य' दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। बहुमूल्य जल संसाधनों की योजना, उपयोग और प्रबंधन बढ़ाने की दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयास करना होगा तथा साक्ष्यों पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त जल स्रोतों के कुशल उपयोग और जल संरक्षण की पारम्परिक विधियों, संयंत्रों, तकनीकों और अभ्यासों को बेहतर रूप देने की आवश्यकता है। नवाचारी, प्रकृति पर आधारित समाधानों से जल संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा। वर्तमान समय में चल रहे प्रयासों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाना जरूरी है।

भारत सरकार ने जल संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और उपाय अपनाने के महत्व को रेखांकित किया है। एकीकृत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को इस संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश तय करने और जल संसाधनों के विकास और नियमन कार्यक्रमों में समन्वय

जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए वर्तमान/अगले वर्ष के लिए तत्काल आवश्यकता हेतु पानी की आपूर्ति और मांग के बीच तथा भविष्य में दशकों के दौरान मात्रा एवं गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, लेकिन जल प्रबंधन विशेषज्ञों के लिए अपरिचित नहीं हैं।

का दायित्व दिया गया है। इनसे बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की स्थापना, भूमिगत जल संसाधनों का विकास, नदी विकास और पुनरुत्थान, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, अंतरराज्यीय जल विवाद और नदियों को जोड़ना संभव हो सकेगा। मंत्रालय को इस बारे में एक व्यापक रणनीति विकसित करने और अपनाने को कहा गया है। मंत्रालय ने इसके अनुरूप जल शक्ति अभियान शुरू किया है। यह अभियान जल संरक्षण और जल सुरक्षा के महत्वाकांक्षी उद्देश्य को ध्यान में रख कर चलाया गया है। अभियान लोगों की भागीदारी से चलाया जाएगा और इसके तहत जल संकट वाले जिलों और प्रखंडों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय, इस उद्देश्य से चिह्नित प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय तथा पर्यावरण, वानिकी, वन्य जीवन, कृषि, जल संसाधन, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नदी विकास, सिंचाई, ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी और गैर सरकारी विभाग/वैज्ञानिक संगठन दशकों से इस दिशा में काम कर

रहे हैं और इन्होंने जल संरक्षण की दिशा में देशव्यापी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत कर महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उदाहरण के लिए हाल के दशकों में भारत ने एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम लागू करने की दिशा में बड़ा निवेश किया है। यह लगभग एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, विशेषकर वर्षाजल अधिकता वाले क्षेत्रों में। संबंधित मंत्रालयों द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य प्रमुख कार्यक्रम-योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना : 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूंद अधिक उपज'; 'जल शक्ति अभियान'; 'नदी थाला प्रबंधन'; 'राष्ट्रीय जल मिशन'; 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन-नमामि गंगे', 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन', 'राष्ट्रीय सतत हिमालय मिशन'; 'बांध सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम'; 'नदियों को जोड़ना', 'भूमिगत जल प्रबंधन', 'बाढ़ नियंत्रण और पूर्वानुमान', 'जैव विविधता संरक्षण', 'आर्द्र भूमि संरक्षण', 'ग्रीन इंडिया मिशन', 'कैम्पा और जलवायु परिवर्तन' पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं।

देश में समय-समय पर, उपरोक्त क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक विभिन्न नीतियां और कानून बनाए गए हैं। माननीय न्यायालयों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बार-बार के निर्णयों और केंद्रीय/राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रमुख उपायों के कारण दिन-प्रतिदिन, कानूनों (वन, वन्यजीव, पर्यावरण संबंधी) का प्रवर्तन स्पष्ट रूप से हो रहा है। सभी बाधाओं के बावजूद, 2014-19 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने गंगा के कायाकल्प (अवरिल और निर्मल धारा) के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नमामि गंगे को लागू किया है, जिसमें वानिकी हस्तक्षेप, मलजल उपचार संयंत्रों (एसटीपीज) की स्थापना और रखरखाव, जलीय जीवों का संरक्षण आदि उपाय शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम को अब अधिक अंतर्दृष्टि, अनुभव, शक्ति और समर्थन के साथ निष्पादित किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रमुख भारतीय नदी प्रणालियों के कायाकल्प के लिए वानिकी हस्तक्षेप पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की पहल की है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम से प्रेरित होकर, कई राज्यों ने जल प्रबंधन से संबंधित अपने स्वयं





के प्रमुख कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं: राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) और ओडिशा सरकार का हरित महानदी मिशन, जिनमें क्रमशः पानी की कमी वाले रेगिस्तान में जल विकास और महानदी के कार्याकल्प पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ओडिशा में पानी पंचायत अधिनियम, 2002 द्वारा समर्थित भागीदारी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसमें पानी की कुशल और समान आपूर्ति और वितरण के माध्यम से किसानों द्वारा उसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

भावी दिशा

जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए वर्तमान/अगले वर्ष के लिए तत्काल आवश्यकता हेतु पानी की आपूर्ति और मांग के बीच तथा भविष्य में दशकों के दौरान मात्रा एवं गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, लेकिन जल प्रबंधन विशेषज्ञों के लिए अपरिचित नहीं हैं। जल संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों/क्षेत्रों के बीच तालमेल, उपयुक्त कानूनी और नियामक ढांचे, उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र और सामाजिक स्वीकृति के लिए परिवर्तन का एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है। एक ओर प्रकृति, पानी और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर एक समझ विकसित करने के मार्ग में नई बाधाएं पैदा होती हैं; वहीं दूसरी ओर स्थायी जल प्रबंधन के लिए नए आयाम खोलने के लिए

वैज्ञानिक विषयों और सरकारी संस्थाओं के बीच संवाद की आवश्यकता है। न्यू इंडिया अर्थात् नए भारत के सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही, जल संसाधन के सतत उपयोग के लिए रणनीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं को तैयार करने पर जोर दिया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में, जल बजट कहा जा सकता है।

निष्कर्षतः एक आक्रामक राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से देश में जल प्रबंधन को स्थायी बनाने के लिए छह प्राथमिक कार्यों की कल्पना की जाती है:

1. संस्था न और प्रशासन : जल प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले, योगदान देने वाले संस्थानों के लिए जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन की आवश्यकता होगी और सहक्रियात्मक परिणाम के लिए उनके प्रयासों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करना होगा। सभी स्तरों पर निश्चित रूप से विवेकपूर्ण जल उपयोग और संघर्षों की रोकथाम एवं समाधान के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
2. सहभागी दृष्टिकोण-राष्ट्रीय आंदोलन में निश्चित रूप से भागीदारी के दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि लोगों की भागीदारी और सशक्तीकरण हो और वे पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और बहुमूल्य जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकें।

3. ज्ञान प्रबंधन-यह जल संसाधन प्रबंधन का जटिल विषय है, जिसका लक्ष्य स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने के वास्ते पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों पर साक्ष्य-आधारित ज्ञान के विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग/नेटवर्किंग और तालमेल स्थापित करना है। जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रकृति-आधारित समाधान विकसित करने से बेहतर अवसर मिलेंगे और इससे व्यापक सहायता मिलेगी।
4. पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण-एकांगी दृष्टिकोण से समग्र दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होना प्राथमिकता के आधार पर वांछनीय है। इस प्रकार योजना, मूल्यांकन और उपायों के लिए नदी थालों और नदी घाटियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जनता को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता और प्रचार अभियान की आवश्यकता है।
5. सतत देखभाल-यह पहलू मौजूदा जल स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ नदियों के कार्याकल्प/जीर्णोद्धार/समाप्त जल संसाधनों के पुनर्भरण के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है। जल स्रोतों को बनाए रखने, उन्हें टिकाऊ बनाने और उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
6. क्षमता विकास - जल प्रबंधन कार्य के लिए समुचित कौशल आवश्यक है। पानी की बर्बादी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण रोकने में सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न हितधारकों में जागरूकता पैदा की जाये और उनमें उपयुक्त क्षमता विकसित की जाए। जल संबंधी कानूनी ढांचे के भीतर जल संसाधन के बजट का खाका तैयार करने के लिए विशिष्ट एजेंसियां तैनात की जानी चाहिए और फिर उसके सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। □



YouTube

I
A
S



P
C
S



Website

Committed To Excellence

Delhi Centre

सामान्य अध्ययन

हिन्दी माध्यम

9th

सितम्बर | 11:45 AM

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच
हिन्दी माध्यम

5th
सितम्बर
8:30 AM

प्रयागराज केन्द्र

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच
हिन्दी माध्यम

3rd
सितम्बर
11:30 AM

Online & Offline

Test-Series Programme

Available on Mobile APP

UPPCS Mains

5
Online Link
gsworld.online
सितम्बर

UPPCS PT

5
सितम्बर

BPSC Pre.

1
सितम्बर

NCERT & UPSC

PT & Mains

27
अक्टूबर

UPPCS 2019 Pre. Exam में शामिल हो रहे ऐसे प्रतियोगी छात्र जो किसी कारणवश कोचिंग कक्षा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते वो हमारे Online Live Class से जुड़ सकते हैं...

for more details —

9654349902 (Only Whatsapp)

GS World की Online Class एवं Online Test-Series के लिए अपने Mobile के Play Store से "GS World IAS Institute" App Install करें...

Delhi Centre

629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-27658013, 7042772062/63

Allahabad Centre

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Prayagraj
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

Lucknow Centre

A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

YH-1250/2019



शासन प्रणाली में सुधार

योगेश सूरी

भारत को दुनिया के नक्शे पर अग्रणी जमात में मजबूती से खड़ा करने के लिए शासन प्रणाली में बुनियादी बदलाव करना होगा। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' से जुड़े लक्ष्य हासिल करने और 2024-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए शासन प्रणाली में कई बदलाव करने होंगे। नीति आयोग ने 'नया भारत@75 के लिए रणनीति' दस्तावेज जारी किया है। इसके कुल 41 में से 7 अध्यायों में सिर्फ सरकार संचालन की प्रणाली पर फोकस किया गया है, जबकि बाकी ज्यादातर अध्यायों में बेहतर सेवाएं मुहैया कराने और ज्यादा प्रभावकारी परिणाम के लिए अच्छी शासन प्रणाली पर जोर दिया गया। इस आलेख का मकसद इस बात को प्रमुखता से रेखांकित करना है कि शासन प्रणाली

में सुधार के लिए हाल में उठाए गए कदम भारत को ऊंची विकास वाली अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगी और 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकेगा। साथ ही, इससे भारत को 2047 तक यानि आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर सबसे विकसित देशों में से एक बनाने में भी मदद मिलेगी।

सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद

1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और इसके बाद से सहयोगात्मक संघवाद के जरिये केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि राज्यों के मजबूत होने से ही देश भी मजबूत होगा। ढांचागत स्तर पर पहल और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए तंत्र के जरिये सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा

देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री/कैबिनेट मंत्रियों की बैठक; राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों का उपसमूह बनाना; अच्छी परंपराओं को साझा करना; नीतिगत स्तर पर सहयोग; राज्य/केंद्रशासित कर्मियों का विकास, 115 सबसे पिछड़े जिलों के लिए संभावनाशील जिला कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में थीम आधारित व्यापक सक्रियता; जमीन के पट्टे और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून बनाना और उत्तर-पूर्वी, हिमालय से सटे राज्यों व द्वीप के विकास के लिए क्षेत्रवार हस्तक्षेप शामिल हैं।

इस रणनीति की अनोखी बात विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शी रैंकिंग के जरिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन बेहतर बनाना है। इस सिलसिले में जो सूचकांक बनाए गए हैं, उनमें स्वास्थ्य सूचकांक, संयुक्त जल

प्रबंधन सूचकांक, एसडीजी सूचकांक और संभावनाशील जिलों का प्रदर्शन शामिल हैं। राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को डेटा प्राप्त करने में सहूलियत हो, इस मकसद से और दूसरे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में उनके प्रदर्शन को समझने के लिए 'डायनामिक रैंकिंग पोर्टल' प्रणाली बनाई गई है। जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा होने से राज्यों को मजबूती से उभरकर सामने आने में मदद मिलेगी और जब राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो देश मजबूत होगा। देश के कायाकल्प का जो लक्ष्य तैयार किया गया है, उस दिशा में यह पहल शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और आधार का उपयोग

अब जरूरतमंद लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने में आधार की भूमिका अहम हो चुकी है। अतः, देश की नीतियों और सेवा प्रदाता ढांचे में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लगातार अपनी जगह बना रहा है। फिलहाल, कुल 55 मंत्रालयों से जुड़ी 439 योजनाएं अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दायरे में आ चुकी हैं। डीबीटी प्रणाली के जरिये कुल 7.66 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं और इससे लीकेज संबंधित बचत 1.42 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। डीबीटी के कारण सिर्फ एलपीजी के मामले में 59,599 करोड़ रुपये (कुल बचत का 42 प्रतिशत) की बचत हुई। फर्जी/दोहरे

कनेक्शन को खत्म कर यह बचत संभव हुई। इसी तरह, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के मामले में डीबीटी के जरिये 47,633 करोड़ (कुल बचत का 34 प्रतिशत, करीब 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को खत्म किया गया) की बचत हुई। 2018-19 में डीबीटी के तहत 59 करोड़ लाभार्थी थे, जिन्हें नकद में लाभ मिला; जबकि 70 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अन्य तरह से लाभ मिला (उदाहरणस्वरूप, खाद्य और खाद)। राष्ट्रपति ने 23 जुलाई, 2019 को आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आधार के संचालन और इसके स्वैच्छिक इस्तेमाल के लिए मजबूत नियामकीय ढांचा पेश किया गया है। राज्य अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में आधार का उपयोग कर सकते हैं। देश के 124 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है और नए भारत द्वारा अब सेवाओं/लाभ की बेहतर सुपुर्दगी के लिए मोबाइल नंबर के साथ आधार का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने की संभावना है।

परिणाम आधारित निगरानी

बजट निर्माण प्रक्रिया में पिछले कुछ साल में ढांचागत बदलाव हुआ है। इसके तहत योजना/गैर-योजना का अंतर खत्म कर दिया गया है और केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्रीय योजनाओं को तर्कसंगत बनाया गया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, परिणाम आधारित बजट की शुरुआत है।

केंद्रीय बजट 2017-18 से ऐसा किया गया। यह पिछली प्रणाली के बिल्कुल उलट है, जिसमें सिर्फ वित्तीय खर्चों, अन्य व्यय और आउटपुट पर जोर दिया जाता था। यह शासन प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसमें सिर्फ इस बात पर जोर नहीं है कि संबंधित योजनाओं के तहत कितनी रकम खर्च की गई है।


संसद में पेश किया गया आउटकम बजट 2019-20 163 प्रमुख केंद्रीय/केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से जुड़ा है और इसके दायरे में कुल 591 योजनाओं का 95 प्रतिशत व्यय शामिल है। इन योजनाओं के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर आउटकम बजट तैयार किया है। फिलहाल, नीति आयोग में 2019-20 से जुड़े 3.3 लाख के बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 28 योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन का काम चल रहा है। क्रियान्वयन के स्तर पर भी विभिन्न योजनाओं के मामले में डैश बोर्ड तैयार कर योजनाओं व लाभार्थियों पर रियल टाइम डेटा मुहैया कराने पर है।

ई-शासन प्रणाली

सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक के उन्नत होने और आधार व मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन माध्यम से कई सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराना संभव हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति, तमाम योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटल डेटाबेस, आधार नंबर से योजनाओं को जोड़ना, लाभार्थियों के सत्यापन के लिए पीओएस मशीन का उपयोग और आधार से जुड़े बैंक खातों में फंड के हस्तांतरण जैसे उपायों से सेवाएं मुहैया कराने के तौर-तरीकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम तीन प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है। डिजिटल आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण उपयोगिता; मांग आधारित शासन व्यवस्था और सेवाएं एवं नागरिकों का

रेखाचित्र-1: डीबीटी से अनुमानित लाभ (रुपये, करोड़; कुल लाभ का प्रतिशत में) (मार्च 2019)



डिजिटल सशक्तीकरण। इस कार्यक्रम के प्रमुख पहलुओं में भारत नेट के जरिये सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए इंटरनेट सेवा, आधार नंबर मुहैया कराना, हर ग्राम पंचायत में सामूहिक सेवा केंद्र स्थापित करना, हर नागरिक के लिए डिजिटल लॉकर, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, डीबीटी, डिजिटल भुगतान आदि शामिल हैं। इसके अलावा, नागरिकों को सूचना मुहैया कराकर सीपीजीआरएएमएस, उमंग और माइगव जैसे पोर्टल नागरिकों को सूचनाएं मुहैया कराते हैं और उनसे राय लेकर उनकी शिकायतों का भी निपटारा करते हैं। भारत में ई-सेवाओं की पहुंच के व्यापक दायरे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ई-टाल के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की 3,700 से भी ज्यादा सेवाओं का एकीकरण किया जा चुका है और 1 जनवरी से 3 अगस्त 2019 के बीच 2,000 करोड़ (2018 में 4,200 करोड़) लेनदेन हुए और यह आंकड़ा 9 करोड़ रोजाना से भी ज्यादा बैठता है।

प्रशासनिक सुधार

भारत के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त करने में प्रशासनिक सुधार अहम पहलू है। नागरिक सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इस दिशा में कई तरह की पहल की गई है, मसलन बहु-पक्षीय राय के मूल्यांकन की शुरुआत, निचले स्तर के पदों के लिए इंटरव्यू का चलन खत्म करना, मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू करना और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न तरह के रिटर्न दायर करना, ई-कार्यालय पर अमल और प्रशिक्षण और प्रतिभा पर आधारित पोस्टिंग की प्रणाली को मजबूत करना। नीति आयोग ने अपने कार्यबल में बेहद उत्साही युवा पेशेवरों और सलाहकारों को संविदा पर नियुक्त करने का फैसला किया है, ताकि सरकार के कामकाज में नया नजरिया प्रदान किया जा सके। कुछ अन्य मंत्रालयों/राज्यों में भी इसी तरह की पहल की जा रही है।

नीति आयोग के 'नया भारत@75 के लिए रणनीति' दस्तावेज में बदलावकारी उपायों का प्रस्ताव किया गया है, मसलन टीटी अनुपात में सुधार करना, अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की संस्कृति को बढ़ावा देना, लोक अधिकारियों की संख्या कम करना,

सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति, तमाम योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटल डेटाबेस, आधार नंबर से योजनाओं को जोड़ना, लाभार्थियों के सत्यापन के लिए पीओएस मशीन का उपयोग और आधार से जुड़े बैंक खातों में फंड के हस्तांतरण जैसे उपायों से सेवाएं मुहैया कराने के तौर-तरीकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

काबिलियत के मुताबिक उम्मीदवारों का आवंटन, लेटरल एंट्री को बढ़ावा देना, नगर निकाय काडरों को मजबूत करना, प्रशिक्षण और कौशल मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण और प्रदर्शन मूल्यांकन को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना लोक अधिकारियों की सुरक्षा, ई-पहल और शुचिता आदि। नागरिकों के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डेटा आधारित शासन प्रणाली के अलावा शहरों में शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

कानून-व्यवस्था

लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समयबद्ध और प्रभावकारी तरीके से न्याय मुहैया कराने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कानूनी और न्यायिक सुधार करने की जरूरत होगी। हालांकि, कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार पुलिस सुधार के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। इससे जुड़े कुछ सुझावों में आदर्श पुलिस अधिनियम 2015 को स्वीकार करना, खाली पदों को भरना और महिलाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व, सूचना-प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल के जरिये एफआईआर प्रणाली में सुधार, पुलिसकर्मियों का बेहतर प्रशिक्षण और साइबर-अपराध, साइबर खतरों और फर्जीवाड़े के लिए अलग काडर की तैनाती शामिल हैं।

न्यायिक सुधार के मामले में भी सुधार की काफी गुंजाइश है, खासतौर पर सूचना

प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर यह और आवश्यक है। छोटे अपराधों के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान कर अपराधीकरण को कम करने की जरूरत है। मध्यस्थता पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ताकि ज्यादातर मामले अदालत से बाहर निपट जाएं। पूरे देश में अदालती प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप प्रदान करने और केस प्रबंधन को भी तकनीक से लैस करना होगा। पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करना होगा और नए कानूनों को आसान तरीके से लिखने की जरूरत है। फॉरेंसिक और अन्य तरह की जांच में अहम सुधार करना होगा। इसके अलावा, रैकिंग के आधार पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा यानि भारतीय कानूनी सेवा के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। नागरिकों को स्कूल स्तर से ही कानून पालन को लेकर संवेदनशील बनाने की जरूरत है, ताकि मुकदमेबाजी के बजाय कानून का पालन करने वाले समाज के निर्माण पर पूरा जोर हो।


निष्कर्ष

भारत को पूरी तरह से बदलना किसी भी लिहाज से आसान काम नहीं है। इसके लिए विचारों में स्पष्टता, सोची-समझी रणनीति और कार्य योजना जरूरी है, ताकि आसानी से यह लक्ष्य हासिल किया जा सके। साल 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों में हासिल करने के लिए भारत समेत सभी देशों के लिए रोडमैप पेश किए गए हैं। गौरतलब है कि भारत ने भी हस्ताक्षर कर इस अवधि तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने का संकल्प जताया है। हमारा देश इसी हिसाब से अपने लक्ष्यों पर काम कर रहा है। बेहतर शासन प्रणाली का मामला इस लक्ष्य के हर पहलू से जुड़ा है। हालांकि, लक्ष्य 16 में विशेष तौर पर न्याय सुनिश्चित करने और प्रभावकारी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों के निर्माण की बात है। यह काम सिर्फ सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। न्यायपालिका, सिविल सोसायटी, उद्योगपतियों, थिंक टैंक, अकादमिक जगत, मीडिया और खुद नागरिकों को सक्रिय भागीदारी दिखानी होगी, तभी सही अर्थों में भारत को बदलने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। □

1985 से अब तक सर्वश्रेष्ठ

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020

₹1595/-



ISBN: 9789353167875

मुख्य आकर्षण

- अद्यतन सामग्री के साथ प्रश्नपत्र I के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के नवीन पाठ्यक्रम का एक पूर्ण और व्यापक कवरेज
- भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन तथा भौतिकी नामक विषय में नवीन विषयवस्तु की प्रस्तुति प्रासंगिक जो समकालीन उभरते रुझानों के अनुरूप है
- प्रत्येक अध्यायों में सभी मौलिक एवं परीक्षोपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करने के क्रम में चरणबद्ध तरीके से माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एवं बुलेट आदि का सहारा लिया गया है ताकि विषयवस्तु आकर्षण का केंद्र बने एवं अभ्यर्थी पढ़ने हेतु आकर्षित हों
- प्रस्तुत पुस्तक के निहित विषयों में स्थित आंकड़ों के समायोजन में विभिन्न समाचार पत्रों / चैनलों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों, बजट 2019–20, आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 आदि महत्वपूर्ण घटकों का अटूट सहयोग

मुख्य आकर्षण

- नवीनतम प्रवृत्ति के आधार पर अध्यायगत अवधारणाओं एवं उसमें निहित प्रश्नों की गुणवत्ता में विश्वसनीय सुधार
- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अद्यतन प्रारूप के आधार पर 15 नए मानक अभ्यास प्रश्नपत्रों का समावेश
- अवबोध क्षमता खंड के अंतर्गत 20 नवीन अनुच्छेदों का समावेश
- प्रासंगिक समकालीन उभरते रुझानों, निर्णयन और समस्या समाधान, तर्कसंगत विवेचना और आंकड़ों का विश्लेषण आदि पर उदाहरणों सहित गहन व्याख्या

₹995/-



ISBN: 9789353167790

चंद्रयान-2 अभियान की शुरुआत (22 जुलाई, 2019) पर प्रधानमंत्री के संदेश



यह एक ऐसा विशेष क्षण है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्नों में अंकित होगा! #चंद्रयान-2 अभियान की शुरुआत, विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाई छूने के 130 करोड़ भारतीयों के संकल्प और हमारे वैज्ञानिकों के पराक्रम को दर्शाता है। आज हर भारतीय काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है!



#चंद्रयान-2 इसलिए विशेष है, क्योंकि यह अभियान चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव में खोजबीन और अध्ययन करेगा। पिछले किसी भी अभियान में इस तरह की खोजबीन और अध्ययन का काम नहीं हुआ है। यह अभियान चंद्रमा के बारे में नई जानकारी मुहैया कराएगा।



यह दिल से और अन्य तरीकों से पूरी तरह भारतीय है। हर भारतीय को इस बात से और खुशी होगी कि #चंद्रयान-2 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। इसमें चंद्रमा को दूर से समझने के लिए कृत्रिम उपग्रह होगा और चंद्रमा की सतह के विश्लेषण के लिए लैंड-रोवर मॉड्यूल भी होगा।



#चंद्रयान-2 जैसे अभियान से हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान, उच्चस्तरीय शोध और नवोन्मेष के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चंद्रयान के कारण भारत के चंद्रमा संबंधी अभियान को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, चंद्रमा को लेकर हमारे मौजूदा ज्ञान में भी व्यापक बढ़ोतरी होगी।



स्रोत: [narendramodi.in](https://www.narendramodi.in)
twitter.com

ज्ञान आधारित समाज के विकास की परिकल्पना

गोपालन माधवन नायर

22 जुलाई, 2019 भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन था। उस दिन इसरो ने चंद्रमा पर अन्वेषण के लिए अपने सबसे जटिल उपग्रह चंद्रयान-2 के साथ एक लैंडर और एक रोवर भेज कर चंद्रमा की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। जीएसएलवी एमके III, जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है, ने चंद्रयान-2 को पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा में स्थापित किया। वहां से अंतरिक्ष यान पर रॉकेट इंजनों को फायर करते हुए अपोजी को चरणबद्ध तरीके से उठाया जाएगा और फिर अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को तोड़ते हुए चंद्रमा तक का सफर तय करेगा। जैसे-जैसे वह चंद्रमा तक पहुंचेगा उसका वेग कम होता जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में खिंचता जाएगा। प्रारंभ में कम्पोजिट मॉड्यूल को चंद्रमा के चारों ओर 200 किमी की कक्षा में स्थिर किया जाएगा। लैंडिंग स्थल का हवाई सर्वेक्षण आधारभूत अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाएगा, जिसके आधार पर लैंडिंग अनुक्रम पर काम किया जाएगा। जैसा कि इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा है, उससे अगले 15 मिनट अत्यंत निर्णायक होंगे, जब लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास सही लैंडिंग स्थान के लिए निर्देशित किया जाएगा। रॉकेट इंजन, स्टीरियो कैमरा और लेजर श्रेणी इंस्ट्रूमेंट के वैरिएबल थ्रस्ट का एक सेट ऑनबोर्ड कंप्यूटर को जानकारी प्रदान करेगा जो इन जटिल ऑपरेशनों को करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। विक्रम नाम का यह लैंडर अपने प्रक्षेप पथ और कार्यनिष्पादन के बारे में अनिश्चितताओं के साथ पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र में नरम चंद्रातल पर जा रहा है, जो उल्का और चट्टानों से अव्यवस्थित सतह पर उतरने के लिए भारत का पहला प्रयास है। इसरो सितंबर में इस लक्ष्य को

हासिल करने की योजना बना रहा है और भारत विकसित देशों के श्रेष्ठ अंतरिक्ष क्लब में अपनी भली-भांति स्थापित चौथी स्थिति की पुष्टि करेगा। लैंडिंग साइट के चारों ओर घूमने वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों और नमूनों का विश्लेषण करने वाले रोवर के रूप में यह अद्वितीय मिशन एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनने जा रहा है। पानी की गुणवत्ता और मात्रा की पुष्टि, हीलियम-3 और दुर्लभ धातुओं से चंद्रमा के बारे में मौलिक ज्ञान बढ़ेगा और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मूल्यवान जानकारी मिलेगी। इसरो द्वारा चंद्रयान-2 से ली गई पृथ्वी की प्रारंभिक तस्वीरों से अंतरिक्ष यान के सामान्य कार्यनिष्पादन की पुष्टि होती है। इसरो की ये उपलब्धियां इसे भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रमुख संगठन बनाती हैं। यह भी साबित होता है कि भारत जटिल तकनीकों में महारत हासिल करने और वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति और देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करने में किसी से पीछे नहीं है। अपनी दीर्घकालिक दृष्टि और सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना तथा सबसे महत्वपूर्ण टीम प्रतिबद्धता के साथ इन अद्वितीय उपलब्धियों का श्रेय इसरो को जाता है।



भारत वैज्ञानिक विचारों और आविष्कारों की दृष्टि से 5000 ईसा पूर्व से ही समृद्ध रहा है। हमारे यहां सिंधु और सरस्वती नदियों के तट पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों में उत्कृष्ट नगर नियोजन, खेती पद्धतियों, आयुर्वेद, ज्योतिष और धातुओं के इस्तेमाल के पर्याप्त उदाहरण मिले हैं। व्यापक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी में भारत के वर्चस्व ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। 2000 साल पहले, हमारा अतीत शानदार रहा है, पर हम अतीत के गौरव पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते। इस अहसास ने वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण

में भारी बदलाव ला दिया था। स्वतंत्रता के बाद, आईआईटी जैसे शिक्षा संस्थानों और परमाणु ऊर्जा के लिए अनुसंधान प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा, कृषि आदि राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के लाभ आज हमें मिल रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियां पहले ही उजागर हो चुकी हैं। परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों ने हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और शांतिपूर्ण एवं सैन्य अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। इसी तरह से रक्षा क्षेत्र में, शक्तिशाली मिसाइलों और सैन्य विमानों को स्वदेशी प्रयासों के माध्यम से विकसित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां कृषि के क्षेत्र में हासिल की गई हैं। साठ के दशक के मध्य में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन और उनकी टीम ने हरति क्रांति को अंजाम दिया। इसने देश को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाया। अतीत में जहां भी हमने मिशन मोड में अपनी गतिविधियों को केंद्रित और व्यवस्थित किया था, हम सफल हुए हैं।

यदि हम समग्र परिदृश्य को देखें, तो बहुत कुछ किया जाना है। यह जानकर खुशी होती है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और सेवाओं का प्रसार करके एक ज्ञानवान समाज बनाने में कई उपाय कर रही है। चालू वर्ष के बजट में जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान एवं

जीएसएलवी एमके III, जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है, ने चंद्रयान-2 को पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा में स्थापित किया। वहां से अंतरिक्ष यान पर रॉकेट इंजनों को फायर करते हुए अपोजी को चरणबद्ध तरीके से उठाया जाएगा और फिर अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को तोड़ते हुए चंद्रमा तक का सफर तय करेगा।

विकास परिणामों के औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे संभावनाशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए चीन सहित विकसित देशों के लगभग 3-5 प्रतिशत की तुलना में भारत का 0.8 प्रतिशत बजट आवंटन बहुत कम है।

देश में एकीकृत तरीके से वैज्ञानिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और मार्गदर्शन करने के लिए विज्ञान परिषद की स्थापना का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। उदाहरण के लिए, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित अधिकार प्राप्त आयोगों को दिशा-निर्देश निर्धारित करने और उनकी गतिविधियों की देखरेख करने में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी गतिविधियों को एकीकृत करने

के लिए एक समान मॉडल अपनाते हुए सशक्त आयोगों की स्थापना आज समय की आवश्यकता है।

गतिविधियों में एकीकरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकते हैं:

- जलवायु परिवर्तन;
- जल संसाधन प्रबंधन;
- कृषि भूमि उपयोग;
- आयुर्वेद सहित चिकित्सा; और
- विज्ञान शिक्षा

लगभग आधा दर्जन सशक्त आयोग निश्चित रूप से लोगों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने संबंधी अनुसंधान गतिविधियों पर आवश्यक ध्यान केंद्रित करेंगे। निश्चित रूप से, वित्त पोषण के स्तर को बढ़ाना होगा ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के शोधकर्ताओं को पहुंच प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकें। आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग का घनिष्ठ संबंध आवश्यक है।

इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, मानव संसाधन विकास में निवेश करने का लक्ष्य वैज्ञानिक शक्ति के साथ युवा शक्ति को सक्षम बनाना है और इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एसटीईएएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) पद्धति को लागू किया जा सकता है ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचने और विश्लेषण करने और तार्किक तरीके से निर्णय लेने में सक्षम हों। उन्हें उनकी रुचि के क्षेत्र में तैयार किया जा सकता है उनके प्रयोगात्मक और व्यावहारिक कौशल को शुरू से ही विकसित किया जाना चाहिए ताकि जब बच्चे स्कूल छोड़ें तो वे संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक कार्य करने में सक्षम होंगे।

प्रतिभाओं की पहचान करने और अनुसंधान सहित उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सरकार का समर्थन अपरिहार्य है।

भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना है। इसके लिए न केवल निवेश बढ़ाना होगा, इन कार्यक्रमों को संकेंद्रित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक सशक्त निकाय होना आवश्यक है। □



चंद्रयान-2 के कैमरे से पृथ्वी



Give The Best
Take The Best

निर्माण IAS

हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.) सन

सामान्य अध्ययन

फाउण्डेशन

बैच 2020

निःशुल्क कार्यशाला
के साथ कक्षा प्रारंभ..

September
6:00 PM

5

वैकल्पिक विषय

- » इतिहास
- » हिन्दी साहित्य
- » भूगोल
- » समाजशास्त्र

September
9:00 AM

7

बेस्ट सीरीज

(प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)

UPSC, UPPSC, MPPSC, RAS, BPSC..

पत्राचार कार्यक्रम

(Correspondence Course)

प्रारंभिक परीक्षा

हेतु विशेष सत्र

सितम्बर अंतिम सप्ताह

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09 |

HEAD OFFICE/CLASS ROOM

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09 |

PH.: 011-47058219, 9540676789  9717767797

Website: www.nirmanias.com | E-mail: nirmanias07@gmail.com

You can also visit our digital platform-       



SINCE-1989
30 Years of Excellence

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

Our Super Achievers CSE - 2018

4 In Top 5

Total 187 Selections



2

Rank

Akshat Jain



3

Rank

Junaid Ahmad



4

Rank

Shreyans Kumart



5

Rank

Srushti Jayant Deshmukh

Our Super Achievers CSE - 2017

Our Super Achievers CSE - 2016



Rank
2

Anu Kumari



Rank
3

Sachin Gupta



Rank
13

Sagar Kumar Jha



Rank
20

Badole Girish



Rank
2

Anmol Sher
Singh Bedi



Rank
7

Anand Vardhan



Rank
8

Shweta Chauhan



Rank
16

Anuj Malik



Rank
19

Sahil Gupta

TARGET BATCH

Date : 12 Sept. & 25 Sept. 2019

FOUNDATION BATCH (For 10+2 Students)

Date : 12 Sept. & 25 Sept. 2019

WEEKEND BATCH

Date : 28 Sept. 2019

GENERAL STUDIES, ESSAY, CSAT

Optional Subjects

**HISTORY, PUBLIC ADMINISTRATION
GEOGRAPHY, POLITICAL SCIENCE**

For Registration

Visit :
www.vajiraoinstitute.com

Salient Features

- * Senior Expert faculty.
- * 11 months course duration.
- * Each part of General Studies covered in continuous classes.
- * Maximum opportunity for students to interact with the faculty.
- * Subject wise Test.
- * Hostel facility available.
- * Exclusive Study material.
- * Dedicated Current Affairs classes.
- * E-library for every student.
- * Test strictly based on UPSC pattern.
- * Mains Exam Test Series questions in according with UPSC pattern with through coverage of the entire syllabus, detailed model answers.

Delhi : 19/1A Shakti Nagar, Near Delhi University Campus Nagia Park Delhi. Call : 011-42547314, 9999458938, 8171181080



ऊर्जा क्षेत्र से मिलेगी सामाजिक-आर्थिक विकास को रफ्तार

सुमंत सिन्हा

भा रतीय अर्थव्यवस्था के तेज रफ्तार से बढ़ने के साथ ही सरकार के लिए कुछ चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं। इनमें से एक प्रमुख चुनौती ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि इसकी लगातार बढ़ रही जरूरतों को पूरा करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी ऊंची विकास दर की निरंतरता बनाए रखने के लिए सस्ती व स्थिर ऊर्जा की नियमित आपूर्ति जरूरी है। ऊर्जा की उपलब्धता से आर्थिक विकास के फायदों को समाज के निचले पायदान पर मौजूद लोगों तक धीरे-धीरे पहुंचाने में भी मदद मिलती है यानि समाज के वंचित तबके की जिंदगी में बदलाव मुमकिन हो पाता है। ऐसे में भारत जैसे विकाशील देश में ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को बिल्कुल भी नजरअंदाज

नहीं किया जा सकता।

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह दुनिया में ऊर्जा की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में ऊर्जा की मांग 5 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है। साल 2040 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी और ऐसे में भारत को मजबूत और स्वस्थ ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत है। इन वजहों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है। उसे भलीभांति यह पता है कि देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर ऊर्जा की उपलब्धता का क्या असर हो सकता है। इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि मानव विकास सूचकांक का सीधा संबंध ऊर्जा की खपत है। इस तरह से मानव जीवन की बेहतरी में

कई तरह से ऊर्जा की भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य-7 साफ-सुथरी ऊर्जा की उपलब्धता से जुड़ा है और इसका सकारात्मक असर सतत विकास के अन्य लक्ष्यों में भी देखने को मिलता है। मसलन लैंगिक समानता, गरीबी हटाओ, साफ पानी और सफाई व पर्यावरण संबंधी मामलों में यह असर देखने को मिलता है।

देश की एक चौथाई से भी ज्यादा आबादी यानि तकरीबन 31.1 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें बहुत लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है। कम आय समूह वाले आधे से भी कम घरों में बिजली है और ऐसे जिन लोगों के पास बिजली का कनेक्शन है, उन्हें भी इसकी नियमित आपूर्ति नहीं मिल पाती। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली की प्रति यूनिट लागत है। लागत से यह तय होता है कि यह उन घरों के लिए

किफायती है या नहीं, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

एनडीए सरकार ने 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सभी घरों तक बिजली पहुंचाना था। अब तक 99 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और इस तरह से विकास और प्रगति के नए दौर की शुरुआत हुई है। इसी तरह, बिजली के वितरण पक्ष की बात करें, तो राज्य वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत से उनके प्रदर्शन पर काफी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय पुनरुत्थान के लिए उदय योजना का ऐलान किया है, जिससे पूरे ऊर्जा क्षेत्र में नई जान फूंकने में मदद मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा पर जोर के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए देश में ऊर्जा उत्पादन हो। सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 से अनुकूल नीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जाहिर तौर पर सरकार की नजर अक्षय ऊर्जा विकसित करने पर है, जो ऊर्जा का बेहतर और साफ-सुथरा माध्यम है। यह पहल रंग लाई है और साल 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हुए भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग के लिए ऊर्जा की उपलब्धता जरूरी है- उद्योग की सफलता, आय पैदा करने वाले अवसर तैयार करने और

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह दुनिया में ऊर्जा की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में ऊर्जा की मांग 5 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है। साल 2040 तक ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी और ऐसे में भारत को मजबूत और स्वस्थ ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत है। इन वजहों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है।

बड़ी संख्या में रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए भी यह आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र में यह मशीनरी और उन्नत तकनीक में पूंजीगत निवेश के लिए गुंजाइश बनाती है, जिससे परिचालन क्षमता और उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होती है। ऊर्जा की उपलब्धता वाली कंपनियों के पास दक्षता, सुविधा और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की क्षमता के कारण श्रम उत्पादकता का स्तर ऊंचा होता है। ऊर्जा की उपलब्धता में बेहतर से 'मेक इन इंडिया' जैसी सरकार की प्रमुख योजनाओं को रफ्तार

मिल सकेगी। इन योजनाओं का मकसद घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देना है। भारत में आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा है। ऐसे में ऊर्जा की उपलब्धता बेहतर सिंचाई, जोत और कटाई आदि में सुविधा प्रदान कर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करने में मददगार हो सकती है। इससे किसानों के उत्पादों के लिए व्यापक बाजार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

हमारी ऊर्जा अर्थव्यवस्था का करीबी संबंध महत्वपूर्ण विकास सूचकांक- महिला सशक्तीकरण से है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह भारत में महिलाओं को ऊर्जा की कमी का प्रकोप झेलना पड़ता है। ऊर्जा की उपलब्धता महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और सूचना की सुविधा (खासतौर पर पिछड़े इलाकों में) पर सकारात्मक असर डाल सकती है। हमारी सरकार को ऐतिहासिक, उज्वला योजना शुरू करने का श्रेय जाता है, जिसके तहत 7 करोड़ परिवारों को खाना बनाने के लिए रसोई गैस की सुविधा मिली और लकड़ी या कोयला से खाना बनाने से महिलाओं को मुक्ति मिली, जो अंदरूनी प्रदूषण का प्रमुख जरिया है। यह महिलाओं के लिए काफी अहम योजना है, जो उन्हें बिना धुआं वाली जिंदगी दे रही है और साथ ही काफी कम समय में खाना पक रहा है। ऐसे में उनके पास आजीविका के वैकल्पिक उपायों पर भी काम करने का मौका है। अक्षय ऊर्जा के स्तर में निरंतर बढ़ोतरी से खासतौर पर ग्रामीण भारत में महिला उद्यमियों के लिए काफी अवसर उपलब्ध हुए हैं। ऑफ ग्रीड सॉल्यूशन और विकेंद्रित आरई प्रणाली ने महिलाओं को इन इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया है और उन्हें आय भी हो रही है। ऊर्जा की नियमित उपलब्धता महिलाओं को अपना उद्यम ज्यादा बेहतर ढंग से चलाने का मौका दे रही है, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऊर्जा की उपलब्धता लैंगिक आधार पर बराबरी वाला समाज बनाने में भी मददगार है, जहां महिलाएं आर्थिक मुख्यधारा से पूरी जुड़ी हुई हैं और इस तरह समावेशी और संपूर्ण विकास की राह बन रही है।

कुछ समय पहले तक ही गांव के स्कूलों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या काफी कम थी और उनके स्कूल





छोड़ने का अनुपात भी काफी ज्यादा था। जो लड़कियां स्कूल जाती थीं, उन्हें सुरक्षा कारणों से अंधेरा होने से पहले स्कूल से वापस घर लौटना पड़ता था। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से लैस स्कूल युवा लड़कियों को बेहतर गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मुहैया करा रहे हैं और उनके करियर की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। इसके अलावा, बच्चे अब सड़कों पर सौर ऊर्जा वाली बत्ती होने के कारण सुरक्षित अपने घर लौट सकते हैं और अपने घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, जहां बिजली पहुंच चुकी है। इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि बिजली से लैस स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और उनके टिके रहने का रिकॉर्ड बेहतर है। साथ ही, बच्चों की उपस्थिति, परीक्षा में अंक आदि का औसत भी बेहतर है।

व्यापक स्तर पर साफ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने में भी ऊर्जा की अहम भूमिका है। पानी की निकासी, पानी के परिशोधन और इसके वितरण के लिए ऊर्जा आवश्यक है। जल क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा साल 2040 तक दोगुनी हो जाने की संभावना है। आबादी में बढ़ोतरी के साथ पानी की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही औद्योगिक, कृषि और घरेलू लक्ष्यों के लिए गंदे पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता बढ़ेगी। ऊर्जा के जरिये इस पानी का शोधन और इसके बाद पानी को संबंधित जगह तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल जल-ऊर्जा के करीबी संबंधों को प्रदर्शित करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ऊर्जा की उपलब्धता काफी अहम है। ज्यादातर अस्पतालों में रोशनी, पानी, तापमान नियंत्रण, हवा और कई तरह की जांच प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की

जरूरत होती है। ऊर्जा की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण टीकाकरण का काम प्रभावित हो सकता है, अन्य मेडिकल सुविधाओं और जांच-पड़ताल में बाधा पहुंच सकती है। रोशनी और संचार की कमी आपातकालीन सेवाओं के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकती है। ऊर्जा के विकेंद्रीकृत और साफ-सुथरे संसाधन देश के दूर-दराज में रहने वाली आबादी, हाशिए पर मौजूद और कम आय समूह वाले लोगों की क्षमता को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। देश में स्वास्थ्य संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही ऊर्जा की उपलब्धता के जरिये टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ ऐप्लिकेशन जैसी तकनीकी

भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए अनुकूल नीति बनाकर इससे जुड़ी क्षमता में बढ़ोतरी के बगैर ऊर्जा आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास की बात नहीं हो सकती। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव को अंजाम देने में अक्षय ऊर्जा की अहम भूमिका है और इससे ऊर्जा की उपलब्धता का मॉडल पूरी तरह से बदल सकता है। अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी से पृथ्वी भविष्य में ज्यादा साफ-सुथरी और बेहतर होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और हानिकारक ग्रीन गैसों का उत्सर्जन भी कम करने में भी मदद मिलेगी।


सेवाओं के विस्तार की रफ्तार मिलेगी और आम आदमी के दरवाजे पर बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए अनुकूल नीति बनाकर इससे जुड़ी क्षमता में बढ़ोतरी के बगैर ऊर्जा आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास की बात नहीं हो सकती। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव को अंजाम देने में अक्षय ऊर्जा की अहम भूमिका है और इससे ऊर्जा की उपलब्धता का मॉडल पूरी तरह से बदल सकता है। अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी से पृथ्वी भविष्य में ज्यादा साफ-सुथरी और बेहतर होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और हानिकारक ग्रीन गैसों का उत्सर्जन भी कम करने में भी मदद मिलेगी। बहरहाल, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर और लैंगिक समानता समेत कई अन्य सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में सुधार के लिए गुंजाइश बनेगी और गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर सुधारने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिक अदा करेगी।

किसी भी देश ने लोगों की जरूरतों के हिसाब से ऊर्जा की उपलब्धता मुहैया कराए बिना अपनी विकास यात्रा पूरी नहीं की है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सही मात्रा में और सही समय व सही स्थान पर अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक लाभ मुहैया करा सकती है। सरकार का पूरा ध्यान सबको ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत टिकाऊ और समावेशी तरीके से ऊंची विकास दर के रास्ते पर चलता रहेगा और समाज का सभी तबका आर्थिक विकास का फायदा प्राप्त कर सकेगा। □

प्रकाशन विभाग की कई ई-परियोजनाओं का शुभारंभ

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 31 जुलाई, 2019 को सूचना भवन की बुक गैलरी में प्रकाशन विभाग की कई ई-परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें प्रकाशन विभाग का फिर से डिजाइन किया गया वेबसाइट, मोबाइल ऐप, रोज़गार समाचार का ई-वर्जन और ई-बुक 'सत्याग्रह गीता' शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गण्यमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।



इस अवसर पर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'मन की बात' 2.0 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे किताब पढ़ने को अपनी आदत बना लें और देश में पढ़ने की संस्कृति को फिर से जीवित करें। उन्होंने पढ़ने की संस्कृति में और सुधार के लिए अपने आस-पड़ोस में पुस्तक क्लब बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रोज़गार समाचार में सुधार किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि रोज़गार समाचार को अगर कॉलेज के विद्यार्थियों में वितरित किया जाए तो इससे उन्हें अपने कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे रोज़गार की मांग के अनुसार बाजार के लिए अधिक उपयुक्त बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकाशन विभाग की नए सिरे से डिजाइन की गई वेबसाइट आकर्षक और गतिशील लगती है। प्रकाशन विभाग के मोबाइल ऐप के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ई-बुक्स और किंडल के आज के युग में लोगों की पढ़ने की आदत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर द्वारा शुरू की गयी ई-परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. नये सिरे से डिजाइन की गई डायनामिक वेबसाइट : हाल में नये सिरे से तैयार की गई प्रकाशन विभाग की वेबसाइट (www.publicationsdivision.nic.in) के साथ भुगतान सुविधा के लिए पेमेंट गेटवे जोड़ा गया है जिससे रियल टाइम में खरीदारी करने की सुविधा के साथ-साथ प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट से पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं की खरीद करना आसान हो जाएगा। ये सभी



पुस्तकें वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे 'भारतकोश' के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। वेबसाइट का स्वरूप बड़ा आकर्षक है और इसे सुनियोजित तरीके से सुसज्जित किया गया है। सुरुचिपूर्ण लेआउट, सुंदर रंग विन्यास, सुघड़ आइकन के साथ आसानी से देखने के लिए इसमें पाठ्यसामग्री और पृष्ठभूमि के बीच अच्छा कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। सूचनाओं को विभिन्न खंडों और श्रेणियों में रखा गया है ताकि यह सभी सहभागियों, जैसे पाठक, लेखक, अन्य प्रकाशक, मुद्रक, एजेंट आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए साफ सुथरी सूचियां दी गयी हैं जिनके साथ उचित दृश्य सामग्री दी गयी है जिसे आसानी से समझा जा सकता है।

यह वेबसाइट इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा आसान है और इसमें सोशल मीडिया टूल्स को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसका आसान इंटरफेस अंग्रेजी और हिन्दी में सुगम इंटरएक्टिविटी उपलब्ध कराता है। दिव्यांगजनों समेत कोई भी इसका इस्तेमाल (स्क्रीन रीडर के साथ) कर सकता है। इसमें फीडबैक की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है और फेसबुक व ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सुझाव भेजने और प्रकाशन विभाग के साथ संपर्क करने की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। इसमें Gandhi@150 नाम से एक विशेष खंड भी है। इसकी कुछ खास खूबियों में विशेष गांधी पुस्तक सूची, सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय और गांधी साहित्य पढ़ने के लिए गांधी धरोहर पोर्टल के साथ लिंक सुविधा शामिल है।



2. मोबाइल ऐप : यह गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और इससे बढ़ती हुई मोबाइल कॉमर्स क्षमता का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि पायरेसी को रोका जा सके। इसमें भारतकोश पेमेंट गेटवे के जरिए आसानी से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. रोज़गार समाचार का ई-संस्करण : रोज़गार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज (अंग्रेजी) का हिंदी संस्करण है। यह हिंदी का एक प्रमुख रोज़गार पत्र है जिसमें केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोज़गार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें विभिन्न व्यवसायों के बारे में विशेषज्ञों के लेखों के माध्यम से पाठ्यक्रमों के बारे में प्रवेश संबंधी सूचनाएं, रोज़गार के अवसरों की जानकारी और व्यावसायिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है। ई-रोज़गार समाचार इस पत्र को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता है और इसका वार्षिक चंदा 400 रुपये है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह संचार के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले नौजवान पाठकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

4. ई-बुक 'सत्याग्रह गीता' : जानी-मानी कवयित्री डॉ. क्षमा राव द्वारा 1930 के दशक में लिखी यह पुस्तक धरोहर के समान महत्व की है। इसमें गांधी जी के जीवन और कार्यों को संस्कृत श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में प्रकाशन विभाग ने पुस्तक का पीडीएफ संस्करण हासिल किया और इसका ई-पुस्तक संस्करण तैयार किया। अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सके इसके लिए पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी ई-संस्करण में दिया गया है। 18 अध्यायों में विभाजित (भगवद्गीता के अध्यायों की तरह) 'सत्याग्रह गीता' गांधी जी के विचारों, जीवन-दर्शन और उनके काम करने के तौर-तरीकों को संस्कृत श्लोकों के रूप में दिया गया है जो गांधीवादी संस्कार और सिद्धांतों के अनुसार है।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



सामान्य अध्ययन

★ फाउंडेशन कोर्स 2020

- ♦ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

DELHI
6th Aug

LUCKNOW
25th July

Batch also @
JAIPUR | AHMEDABAD

★ इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक

- ♦ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- ♦ नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- ♦ अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- ♦ एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- ♦ मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसेट टेस्ट सीरीज
- ♦ निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- ♦ PT 365, MAINS 365 कक्षाएं
- ♦ सीसेट कक्षाएं शामिल
- ♦ करेंट अफेयर्स मैगजीन

★ MAINS 365

English Medium
25 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
1 Aug | 5 PM

मुख्य परीक्षा 2019 हेतु 1 वर्ष का समसामयिक घटनाक्रम

★ मासिक समसामयिकी रिवीजन 2020

- ♦ सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
- ♦ प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

ENGLISH Medium

हिन्दी माध्यम

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS

- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

for **PRELIMS 2020**
Starting from
21st July

MAINS

- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Sociology
- ✓ Geography
- ✓ Anthropology

Starting from **28th July**

for **MAINS 2020**
English Medium: **21st July**
हिन्दी माध्यम: **21st July**

550+ Selections
in CSE 2017

9 in Top 10

SELECTIONS in CSE 2018



SACHIN GUPTA
AIR-3



KANISHAK KATARIA
AIR-1



AKSHAT JAIN
AIR-2



JUNAID AHMAD
AIR-3



ATUL PRAKASH
AIR-4



SHREYANS KUMART
AIR-4



SRUSHTI JAYANT DESHMUKH
AIR-5



KARNATI VARUNREDDY
AIR-7



PRATHAM KAUSHIK
AIR-5



VAISHALI SINGH
AIR-8



GUNJAN DWIVEDI
AIR-9



YOU CAN BE NEXT

5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कौशल

दिलीप चैनॉय

प्रधानमंत्री ने साल 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी कौशल से लैस श्रम की आवश्यकता होगी। कौशलयुक्त श्रम के जरिये विकास दर की रफ्तार तेज की जाएगी। कामकाजी आबादी की उम्र के मामले में भारत की स्थिति उसके बाकी प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर है। देश की आधी आबादी 25 साल से कम की है। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है।

साथ ही, 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की मानें तो अगले दो दशकों में भारत की आबादी में तेज गिरावट का दौर आएगा। इसका मतलब यह भी है कि पूरे देश को 'जनार्थक लाभ' के दौर का फायदा मिलेगा और कुछ हिस्से में 2030 तक समाज में बुजुर्गों की बड़ी संख्या देखने को मिलेगी।

अतः, आज बड़ी चुनौती युवा आबादी को फायदे में तब्दील करने की है। ऐसा करने के विभिन्न तरीके हैं। पहला माध्यम शिक्षा है। सभी के लिए शिक्षा जरूरी है। इसके तहत उच्च शिक्षा का विस्तार और ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं को आर्किटेक्चर, कानून, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य खास कोर्स में दाखिला दिलवाया जा सकता है। दूसरा, शुरुआती स्तर पर रोजगार के लिए कौशल विकास है- इसके तहत वैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। तीसरी चीज कौशल में बढ़ोतरी है- वैसे लोगों को नए कौशल से लैस करना और उनका कौशल बेहतर करना जो शिक्षित हैं, काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं और नए कौशल के अभाव में फिलहाल रोजगार नहीं मिल पा रहा है।



आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में आगामी दशक में कामकाजी आयु समूह के दायरे में 97 लाख लोग होंगे और 2030 तक इसमें सालाना 42 लाख की बढ़ोतरी होगी। सर्वेक्षण के अनुमानों के मुताबिक, 'अगर हम यह मानें कि श्रमिक बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अगले दो दशकों में 60 प्रतिशत हो जाएगी, तो अगले दशक में 55-60 लाख रोजगार सृजित करने होंगे।' साथ ही, सर्वेक्षण में एनएसएसओ रिपोर्ट 2011-12 का भी हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कुल कार्यबल में सिर्फ 2.3 प्रतिशत के पास संगठित क्षेत्र से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण है।

वित्त वर्ष 2009 में जब राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बनाई गई, तो इस तरह के प्रशिक्षण के लिए शुरुआती कदम उठाए गए। इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (एनएसडीएफ) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की गई। वित्त वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण (एनएसडीए) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की स्थापना हुई।

इस सरकार के पहले कार्यकाल में इस संबंध में कोशिशें तेज कर इन अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पिछले 5 साल में व्यापक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम

प्राथमिक प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना की शुरुआत की गई है। जून 2019 तक इस योजना के तहत 11.87 लाख उम्मीदवारों और 76,860 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था

बॉक्स 1: केंद्र और राज्य आधारित प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम

केंद्र सरकार की योजनाएं:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- संकल्प
- उड़ान (जम्मू-कश्मीर के लिए उद्योग संबंधी विशेष पहल)
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्र
- रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉयर लर्निंग
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना
- शिल्पकार (क्राफ्ट्समेन) प्रशिक्षण योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- समर्थ (कपड़ा क्षेत्र)
- कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉड्युलर एंफ्लॉयेबल स्किल
- हरित कौशल विकास कार्यक्रम
- दिव्यांगों के लिए कौशल विकास (एसआईपीडीए)
- कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्निक संबंधी अभियान
- विज्ञान और तकनीक के अग्रणी क्षेत्रों

में प्रशिक्षण और शोध के लिए केंद्रों की स्थापना

- प्रशिक्षुता और कौशल में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा संबंधी योजना
- अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास (विशेष कार्यक्रम)
- सीखो और सिखाओ
- पारंपरिक कला/शिल्प विकास कौशल और प्रशिक्षण उन्नतिकरण (उस्ताद)
- नई मंजिल
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी

चुनिंदा राज्य आधारित कार्यक्रम:

- मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन योजना (एमएमकेएसवाई): मध्य प्रदेश
- कौशल युवा कार्यक्रम: बिहार
- मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना: बिहार
- kaushalkar.com: कर्नाटक
- कौशल वर्द्धन केंद्र (केवीके): गुजरात
- सूर्या: हरियाणा
- सक्षम: हरियाणा
- सीखो-सिखाओ (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण): हरियाणा
- एस-मार्ट (कौशल मार्ट): हरियाणा।

को लागू किया गया है। इसी दिशा में नवंबर 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 तैयार की और इसके तहत कौशल विकास अभियान शुरू किया गया।

स्किल इंडिया (कौशल भारत) अभियान 2015 में शुरू किया गया। इससे जुड़े कार्यक्रम-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का मकसद उद्योग संबंधी कौशल के प्रशिक्षण के लिए युवाओं को इकट्ठा करना और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पहला संस्करण 2015 में शुरू किया गया और इसके तहत साल 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था और 19.8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत की

गई। स्किल इंडिया के तहत 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 50 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे संस्करण में (2016-20 के लिए) भर्तियों पर नजर रखने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं और इसमें 54 प्रतिशत भर्ती का लक्ष्य हासिल किया गया और छोटी अवधि के प्रशिक्षण में 12.05 लाख उम्मीदवार इसके उपयुक्त पाए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुल 30 लाख उम्मीदवारों में 27.9 लाख को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) के जरिये भी इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रशिक्षण को उद्योग के अनुकूल बनाने के

लिए प्रशिक्षुता अधिनियम 2014 में व्यापक सुधार किया और 2018 में संबंधित पक्षों की भूमिका और संचालन प्रणाली पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए। बाकी मंत्रालयों और राज्यों के भी अपने-अपने कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम हैं। इसके बारे में सूची बॉक्स-1 में दी गई है।

साल 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) में 851 केंद्र आवंटित किए जा चुके हैं और जून 2019 तक 901 ऐसे केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना की शुरुआत की गई है। जून 2019 तक इस योजना के तहत 11.87 लाख उम्मीदवारों और 76,860 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था।

साल 2017 में शुरू किए संकल्प अभियान का मकसद कौशल प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों के बीच सम्मिलन कायम करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता बेहतर करना और उद्योग केंद्रित व मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण क्षमता तैयार करना है। दिसंबर 2018 के मुताबिक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भुगतान की प्रक्रिया जारी है। इस सिलसिले में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है।

2017 में 'स्ट्राइव (एसटीआरवाईवीई)' नाम से एक और योजना की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद उद्योग समूहों के जरिये जागरूकता प्रदान करना और आईटीआई की प्रदाता गुणवत्ता का एकीकरण करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का योगदान

एनएसडीसी ने सार्वजनिक-निजी साझेदारी कंपनी के रूप में कौशल विकास में काफी अहम भूमिका अदा की है। इसने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए निजी क्षेत्र से जुड़ी 235 साझेदारी वाली इकाइयों को जोड़ा है और हर ईकाई को 10 साल से भी ज्यादा की अवधि में कम से कम 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। एनएसडीसी में फिक्की शेयरधारक है।

5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

हासिल करने के लिए उद्योग से जुड़ी बेहतर क्षमता अनिवार्य शर्त है। इसके लिए 38 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) बनाए गए हैं और इनमें से कुछ का फिक्की द्वारा संवर्द्धन किया जाता है। एसएससी ने राष्ट्रीय पेशेवर मानकों (एनओएस) के साथ 2,242 'क्वॉलिफिकेशन पैक' तैयार किए हैं। इनकी नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है और इन्हें नई अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम कौशल की सूची में जगह दी गई है। उद्योग 4.0 की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त योग्यताएं तैयार की जा रही हैं।

स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं कौशल हासिल कर सकें, इसके लिए 10 राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और एनएसडीसी द्वारा 2,400 से भी ज्यादा स्कूलों को इस दायरे में शामिल किया गया है। एनएसडीसी ने 1,400 प्रशिक्षण साझेदारों, 28,179 प्रशिक्षण केंद्रों, 16,479 प्रशिक्षकों, 20 रोजगार संबंधी पोर्टलों, 77 मूल्यांकन एजेंसियों और 4,983 तय मूल्यांकनकर्ताओं के साथ कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली तैयार की है।

कौशल विकास के लिए युवाओं के सपनों को पंख मुहैया कराने के लिए राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिताओं से संबंधित व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के भी आयोजन की बात है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

साल 2017 में शुरू किए संकल्प अभियान का मकसद कौशल प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों के बीच सम्मिलन कायम करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता बेहतर करना और उद्योग केंद्रित व मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण क्षमता तैयार करना है। दिसंबर 2018 के मुताबिक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भुगतान की प्रक्रिया जारी है। इस सिलसिले में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है।



डिग्री या प्रमाण पत्र इसके धारकों को खास बनाते हैं। एनएसडीसी ने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत काम कर रहे लोग भी प्रमाण पत्र हासिल कर अपना कौशल स्तर बढ़ा सकते हैं और इस तरह से श्रम बाजार में उन्हें मदद मिलेगी। 13 मई 2019 के मुताबिक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कुल 22.65 लाख लोगों ने इस योजना में दाखिला लिया था और इनमें से कुल 16.60 लाख उम्मीदवारों ने यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। तकरीबन 17.84 लाख उम्मीदवारों का मूल्यांकन आरपीएल के लिए हुआ।

भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए युवाओं को विदेशी बाजारों संबंधित कौशलों की खातिर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जापान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के साथ समझौतों के कारण भारत के युवाओं को इन देशों में रोजगार के लिए संबंधित कौशल और भाषा में प्रशिक्षित किया जाना संभव हुआ है। युवाओं को किस तरह के कौशल की जरूरत है, उन्हें यह बताने के लिए काउंसिलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इनमें कई काउंसिलिंग सेंटर निजी क्षेत्र की मदद से स्थापित किए गए हैं।

असर

रोजगार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत छोटी अवधि के प्रशिक्षण संबंधी असर के विश्लेषण से पता चला है कि प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण के कारण रोजगारशुदा लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ प्रशिक्षण से ही रोजगार संबंधी क्षमता को बढ़ाने में काफी हद तक मदद मिली है। अगर आय की बात करें, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण ने औसत मासिक आय में 15

प्रतिशत तक योगदान किया है। प्रशिक्षण का असर 9 प्रतिशत रहा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित लोगों की औसत मासिक आय 8,283 रुपये रही, जबकि अन्य समूह की मासिक औसत आय 7,584 रुपये थी। औसत मासिक आय पर प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र का 9 प्रतिशत असर देखा गया। कई प्रशिक्षण संस्थानों ने अपने कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने के लिए इन योग्यताओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय और कॉलेज, कौशल परिषद से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ रहे हैं, ताकि छात्र-छात्राओं को बेहतर कौशल से लैस किया जा सके।

कई अन्य बदलाव भी किए जाने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति का मकसद स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कौशल संबंधी पढ़ाई की शुरुआत करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अब एनक्यूएसएफ और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के पुनर्गठन की तैयारी में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी बदलाव करने पर चर्चा हो रही है।

निष्कर्ष

कौशल से जुड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है, वह वैसी कंपनियों की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है, जिन्हें सही लोगों की नियुक्ति में मुश्किल पेश आती है। संबंधित रोजगार के लिए लोगों में उचित योग्यता विकसित कर, इसके लिए मंजूरी हासिल कर और सही व्यक्ति के प्रशिक्षण और भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण साझेदार के साथ काम कर इस चुनौती से निपटा जा सकता है। इसी तरह, हम दुनिया के संदर्भ में प्रशिक्षण मुहैया करा सकते हैं। □

IAS

Join No. 1

पतंजलि

PCS

विश्वसनीय संस्थान, प्रामाणिक टीम, बेहतरीन रिजल्ट्स

“पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है तथा जिनसे हिन्दी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम के टॉपर्स ने भी पढा है।”

UPSC 2018-19 में एक बार फिर पतंजलि संस्थान से बेहतरीन रिजल्ट्स

GARIMA
AGRAWAL

AIR 40

VEER
PRATAP
SINGH RANK
92JASLEEN
KAUR RANK
152SIDHARTH
GOYAL RANK
163SIDHARTH
NAHAR RANK
182SINGHVI
RONAK
KUNDANMAL RANK
202SHAIKH
MDHD
ZAIB ZAKIR RANK
225

Phanendra sir's
lucid way of teaching,
explaining structured
way of answers writing
and Manjesh sir's
political philosophy
examples made this
session very interesting for me

ALOK
KUMAR
TIWARI RANK
332HARI
SHANKAR RANK
428IIT-ECE
ANUJ
PRATAP
SINGH RANK
441NAVEEN
TANWAR RANK
484RAJENDRA
CHAUDHARY RANK
590SUDHAMBIKA
R. RANK
624and
many
more...

हिन्दी माध्यम के प्रिय अभ्यर्थियों- दर्शनशास्त्र आरंभ से ही हिन्दी माध्यम का एक लोकप्रिय वैकल्पिक विषय रहा है। भारत भर में, हिन्दी माध्यम में पहले प्रयास में सफल अनेक युवा अभ्यर्थी दर्शनशास्त्र के साथ लाभांविता हुए। UPSC के साथ-साथ PCS परीक्षाओं में भी दर्शनशास्त्र के साथ बेहतरीन परिणाम रहा है।

द्वारा धर्मेन्द्र सर
दर्शनशास्त्र

- UPSC/UPPCS एवं BPS के लिए बेहतरीन विषय
- छोटा सिलेबस
- रिवीजन में आसान
- अंकदायी एवं सफलतादायी विषय
- लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- GS और निबंध में उपयोगी

निःशुल्क कार्यशाला
के साथ बैच प्रारंभ21 AUG.
9:15 AM

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch (Pre cum Mains)

निःशुल्क कार्यशाला
के साथ बैच प्रारंभ16 AUG.
11:30 AM

मुखर्जी नगर (पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

दर्शनशास्त्र
मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
(प्रत्येक रविवार) 11:30 बजे सेGS (PAPER-IV)
ETHICS
ऑडियो-वीडियो 16 AUG.
1:30 PMJAIPUR
CENTRE

RAS FOUNDATION

धर्मेन्द्र सर के निदेशन में पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है तथा जिनसे IAS/RAS टॉपर्स ने भी पढा है।

19 AUG.

DELHI CENTRE

202, 3rd Floor, Bhandari House
(Above Post Office) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Helpline No.: 9810172345, 9811583851

JAIPUR CENTRE

31, Satya Vihar, Lal Kothi,
Near New Vidhan Sabha, Jaipur
Helpline No.: 72406-72406, 9571456789

<http://iaspatanjali.com> <https://www.facebook.com/patanjaliiasclasses/>

YouTube
Patanjali IAS

► Ethics क्या है? ► Jitendra Kumar Soni IAS ► Yognik Baghel
► Govind Jaiswal IAS for more videos, subscribe our YouTube Channel

YH-1247/2019

भूजल संचयन के सर्वोत्तम तरीके

जल शक्ति अभियान - नागरिक भागीदारी से जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए यह अभियान शुरू करने की घोषणा की। पूर्वोत्तर में पीछे हटने वाला मानसून प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक इस अभियान का चरण 2 चलाया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में जल की कमी वाले जिलों और ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल संचयन में सहायक कुछ सर्वोत्तम तरीके निम्न प्रकार हैं:

• झारखंड में वर्षा जल संचयन के लिए डोभा निर्माण

जल संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में प्रचलित रहा स्वदेशी संरचनात्मक ढांचा - डोभा मौजूदा जल संकट के दौरान फिर से लोकप्रिय हो रहा है। डोभा, वर्षा जल को संग्रहित करता है जिसका उपयोग उन महीनों के दौरान सिंचाई के लिए किया जा सकता है जब वर्षा नहीं होती। यह मानसून पर किसानों की निर्भरता को कम करता है और फसलों में विविधता लाने में भी मदद करता है। पिछले दो वर्षों में भीषण गर्मी और कम बारिश के मद्देनजर जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 2016 के दौरान विशेष कार्य के रूप में एक लाख डोभा (खेत तालाब) का निर्माण किया था। इस योजना के तहत लाभार्थी डोभा के लिए आवेदन करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। इनके चार आकार हैं - 15 x 15 x 10, 20 x 20 x 10, 25 x 25 x 10 और 30 x 30 x 10 (फुट में)। इनका निर्माण किसानों की भूमि पर किया जाता है।



• मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत खोदे गए कुओं का कपिल धारा निर्माण

सिंचाई के प्रयोजनों और रोधक बांध, रोक बांध, खाइयों जैसी विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं के लिए खोदे गए कुओं के निर्माण से किसान अपने खेतों की सिंचाई करने में सक्षम हुए हैं और वे सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उगाए गए ज्वार और मक्का के स्थान पर गेहूं और धान की बुवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि हुई है।

• मांग पर कृषि तालाब योजना, विदर्भ और मराठावाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने खेत तालाबों के निर्माण के लिए, 1,11,111 खेत तालाबों का लक्ष्य निर्धारित किया है। खेत तालाबों के कई फायदे हैं। यह भूजल पर निर्भरता को कम करता है। इसमें पानी को पंप करने के लिए भूजल की तुलना में बिजली की आवश्यकता कम होती है, पुश्तों पर खेती से अतिरिक्त आय होती है और भूजल का पुनर्भरण होता है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, कुल 4,08,734 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। तालुका स्तरीय समिति ने 2,15,786 आवेदनों को मंजूरी दी गई और 1,89,253 कार्य आदेश दिए गए। लगभग 90,180 खेत तालाब बन चुके हैं और लाभार्थियों को 369.48 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

• जलयुक्त शिवर अभियान, महाराष्ट्र

इसमें गांव की सीमाओं के भीतर बारिश के पानी को रोकना, भूजल के स्तर में वृद्धि, विकेंद्रीकृत जल निकायों का निर्माण, पुरानी जल भंडारण संरचनाओं का कायाकल्प, नए जल निकायों का निर्माण, भंडारण क्षमता को बहाल करना, जल के किफायती इस्तेमाल से सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाना, भूजल अधिनियम का कार्यान्वयन, लोगों की भागीदारी से जल निकायों से गाद निकालना, जल के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार और जल बजट बनाने में लोगों की भागीदारी शामिल हैं। जलयुक्त शिवर अभियान 2015-16 में शुरू किया गया था।

• सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान 2018, गुजरात

इसका उद्देश्य अधिक वर्षा के पानी को समायोजित करने के लिए नदियों को साफ करने के अलावा, तालाबों, झीलों तथा नदी तल को गहरा करके और रोधक बांधों के विगादन से मौजूदा जलाशयों की भंडारण क्षमता को बढ़ाना था। यह अभियान गुजरात के 59 वें स्थापना दिवस पर 527 जेसीबी मशीनों और लगभग 27000 मजदूरों के साथ शुरू किया गया था।

अभियान के माध्यम से राज्य में 11,000 लाख क्यूबिक फुट जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई गई और 5,500 किलोमीटर नहरों के गाद और अन्य कचरे को निकालकर साफ किया गया। झीलों और नदियों से खोदी गई मिट्टी किसानों को दी गई और उन्होंने अपने खेतों में इस उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल किया जिससे कृषि उत्पादकता में और वृद्धि होगी।

• पानी पंचायत- ओडिशा जल संसाधन समेकन परियोजना

ओडिशा जल समेकन परियोजना (ओडब्ल्यूआरसीपी) का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के जल संसाधन के लिए योजना और विकास प्रक्रिया में सुधार करना था। इस प्रकार मौजूदा योजना में सुधार के लिए निवेश के माध्यम से समग्र कृषि उत्पादकता में वृद्धि की गई। किसान संगठन और टर्नओवर (एफओटी) के बैनर तले ओडिशा जल संसाधन समेकन परियोजना (ओडब्ल्यूआरसीपी) के तहत प्रायोगिक आधार पर 1995 में ओडिशा में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन शुरू किया गया था। बड़े पैमाने पर इसकी सफलता को देखते हुए, इसे बड़ी, मध्यम, लघु और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के सभी जल ग्रहण क्षेत्रों तक बढ़ाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के बीच पानी के समान वितरण को बढ़ावा देना और सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त रखरखाव, पानी का कुशल और किफायती उपयोग करना है ताकि कृषि उत्पादन को अधिकतम किया जा सके, पर्यावरण की रक्षा की जा सके और जल बजट तथा परिचालन योजना के अनुरूप सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व की भावना मन में बिठाते हुए पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।



• मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, राजस्थान

वर्षा जल संचयन - विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, सहभागी दृष्टिकोण, आईईसी गतिविधियां। परिपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से व्यापक तथा सशक्त जल विभाजक विकास गतिविधियों को संयोजित कर 128 मिलियन क्यूबिक मीटर (4516 मिलियन क्यूबिक फीट) पानी का संचयन करने से 11170 मिलियन क्यूबिक फीट मानसून जल को रोकने में मदद मिली जिसके परिणामस्वरूप निम्न लाभ हुए : (1) गर्मियों में पेय जल की बेहतर उपलब्धता, (2) भूजल में सुधार (3) निष्क्रिय हैंडपंपों, ट्यूबवैल और खुले कुओं को फिर से चालू किया गया (4) मंदी की अवधि में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने से इस मौसम की फसल और बगीचों का रकबा बढ़ाने में मदद मिली (5) वनस्पतियों और जीवों को विकसित करना और बनाए रखना, (6) सूखे को कम करना और लोगों को मुश्किलों से बचाना।

• जलस्रोत कायाकल्प के लिए कृत्रिम पुनर्भरण, दक्षिण सिक्किम जिला, सिक्किम

जलस्रोत शेड में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सांतर खाई।

• मिशन काकतीय, तेलंगाना

तेलंगाना राज्य में सभी लघु सिंचाई टैंकों और झीलों को बहाल करने के लिए मिशन काकतीय कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की कृषि आधारित आय बढ़ाना, लघु सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करना और टैंकों की बहाली के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है।

स्रोत: http://mowr.gov.in/sites/default/files/BP_State.pdf

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित करवाए जाने वाले पांचवे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (एसएस 2020)' की 13 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 टूलकिट, एसबीएम वॉटर प्लस प्रोटोकॉल एवं टूलकिट, एकीकृत कचरा प्रबंधन ऐप - स्वच्छ नगर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एमएसबीएम ऐप भी शुरू की गईं। इस कार्यक्रम में एक विशेष स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम वाले गीत का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि "इससे पहले इस वर्ष हमने स्वच्छता पर सेवा स्तरीय प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के साथ शहरों के जमीनी प्रदर्शन को बरकरार रखने के उद्देश्य के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 (एसएस लीग 2020) की शुरुआत की थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का क्षेत्र सर्वेक्षण जनवरी 2020 में संचालित करवाया जाएगा। यह इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें साफ, कचरा मुक्त और स्वच्छ 'नए भारत' के अपने वादे को एक बार फिर से पुष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 टूलकिट में विस्तृत सर्वेक्षण पद्धति और स्कोर के साथ घटक संकेतक हैं ताकि इस सर्वेक्षण के लिए शहरों को तैयार करने में मदद की जा सके।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने एसएस 2020 पर अपनी प्रस्तुति के दौरान जिक्र किया, "हर साल इस स्वच्छ सर्वेक्षण को नए तरीके से पुनः डिजाइन किया जाता है ताकि बदले हुए व्यवहारों को बनाए रखने पर ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती जाए।" उन्होंने एसएस 2020 के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों पर विस्तार से बात की। शहरी स्थानीय निकायों और नागरिकों को एकीकृत कचरा प्रबंधन उपाय मुहैया करवाने पर प्रमुख ध्यान को जारी रखते हुए स्वच्छ नगर मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। इस ऐप में कई विशेषताएं हैं जैसे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरा संग्रहण को मार्ग व वाहन की निगरानी के जरिए ट्रैक करना, नागरिकों को सूचना देना, उपयोगकर्ता शुल्क को ऑनलाइन जमा करना और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का होना।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

सामान्य अध्ययन



Rajnish Raj Sir



Abhay Kumar Sir



R. Kumar Sir



Ravi Agrahari Sir



Himanshu Sharma Sir



Yashwant Sir

9th Sep.

11:30 AM

ONLINE/ LIVE
CLASS
AVAILABLE

वैकल्पिक विषय

इतिहास

रजनीश राज सर



लोक प्रशासन

अभय कुमार सर




भूगोल

हिमांशु शर्मा सर



दर्शन शास्त्र

यशवंत सर



मैथिली साहित्य

डा. शेखर झा सर



ONLINE/ LIVE
CLASS
AVAILABLE

TEST SERIES

UPSC

PT+ MAINS - 2020

UPSC

MAINS- 2019

BPSC

(PRE & MAINS)

UPPCS

(PRE & MAINS)

MPPCS

(PRE & MAINS)

RAS

(PRE & MAINS)

639, DR. MUKHERJEE NAGAR, OPP. SIGNATURE APARTMENT, DELHI-110009
9811334434, 9811334480

स्वास्थ्य सेवाओं की कायापलट

चन्द्रकांत लहरिया

बेहतर स्वास्थ्य नीतियों को समय पर और प्रभावकारी ढंग से लागू करने (विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये) से स्वास्थ्य के मोर्चे पर बेहतर परिणाम दिख सकते हैं। वर्तमान साल यानि 2019 के मध्य तक भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र नीति निर्माण के दौर से आगे निकल गया और अब यह क्रियान्वयन के शुरुआती दौर में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में स्वास्थ्य क्षेत्र को दिशा देते हुए इसे ठोस स्वरूप प्रदान किया गया है और इसके केंद्र में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (सबको इलाज की सुविधा) है। नीति का मसौदा तैयार करते वक्त स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ी अहम चुनौतियों की पहचान कर इसे लिखा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की जरूरत को अच्छी तरह से समझा गया है।

साल 2017-20 का दौर वह समय है, जब भारत 'पारंपरिक रूप से स्वीकार्य' 15 साल की 'क्रियान्वयन चक्र संबंधी नीति' का कार्यकाल पूरा कर रहा है। देश में 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई और इसके बाद 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की घोषणा हुई। 1946 में सर जोसेफ भोरे समिति की रिपोर्ट के बाद एनआरएचएम को ही भारत के पहले प्रमुख स्वास्थ्य सुधार अभियान के रूप में पेश किया जाता है। एनआरएचएम के तहत पिछले एक दशक में उठाए गए कदमों से भारत में पोलियो, टेटनस आदि बीमारियों का उन्मूलन संभव हो सका। इसके अलावा, संक्रामक बीमारियों के मामले भी कम हुए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रणाली को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया। जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में रिकॉर्ड गिरावट का लक्ष्य हासिल किया गया। देश

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 4 और 5 को हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया (कुछ अनुमानों के मुताबिक, ये लक्ष्य हासिल कर लिए गए)। साल 2002 से भारत की प्रमुख स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में पहले बॉक्स में बताया गया है। कुछ नई प्रमुख बीमारी की चुनौती उभरने के साथ 15 साल का चक्र साल 2017 में पूरा हो गया जान पड़ता है। गैर-संक्रामक बीमारियां स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चुनौती बनकर उभरी हैं।

भारत में स्वास्थ्य की स्थिति उसी के बराबर की आर्थिक हैसियत वाले अन्य देशों के मुकाबले कमजोर है। हालांकि, 2017 में पेश की गई तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) और 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम शुरू किए जाने से हालात बदल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2019-20 में 'भारत के लिए



लेखक विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली में जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय प्रोफेशनल अधिकारी हैं। ईमेल: c.lahariya@gmail.com

बॉक्स 1: 2002 के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अहम घटनाएं

| | |
|---------|--|
| 2002 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी-2002) |
| 2005 | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) |
| 2008 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) |
| 2008 | जन औषधि योजना (इसे 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के रूप में फिर से शुरू किया गया) |
| 2009 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) |
| 2008-17 | खास तबके की आबादी के लिए राज्य केंद्रित सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं |
| 2010 | नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 |
| 2010 | यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट |
| 2013 | राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) |
| 2014 | स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) |
| 2014 | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति |
| 2015-16 | भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए कार्यबल |
| 2017 | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम |
| 2017 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी-2017) |
| 2018 | पोषण अभियान |
| 2018 | आयुष्मान भारत कार्यक्रम (एबीपी), दो चीजों के साथ (ए) हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) |

दृष्टिपत्र' जारी किया गया है। इसके 10 प्रमुख लक्ष्यों में स्वस्थ भारत: आयुष्मान भारत, स्वस्थ महिलाएं और बच्चे जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं। स्वास्थ्य नीतियों के क्रियान्वयन की निरंतरता बनाए रखने और 2030 तक स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में यह लक्ष्य तीसरे कदम के तौर पर काम कर सकता है।

संक्षेप में कहें तो 2017-20 का समय भारत में स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी सुधार का दूसरा दौर हो सकता है। हालांकि, इसके लिए उन कार्यक्रमों पर तेजी से काम करना होगा, जो शुरू किए गए हैं। साथ ही, इन्हें कुछ साल तक जारी रखना भी आवश्यक है। इस प्रक्रिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना काफी अहम होगा। देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए इस लेख में कुछ सुझाव पेश किए गए हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं (एनएचपी) को प्राथमिकता

हाल के वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत को लेकर नीतिगत स्तर पर काफी विचार-विमर्श

हुआ है। एनएचपी 2017 में स्वास्थ्य से जुड़े दो तिहाई या इससे ज्यादा सरकारी खर्च, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के मद में खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था। देश के राज्यों के पास 2,00,000 सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशाल नेटवर्क है, जहां बिना भर्ती वाले कुल 10 प्रतिशत मरीजों (मां और

बच्चा संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) इलाज होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क में इससे भी ज्यादा सेवाएं मुहैया कराने की क्षमता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का कुल उपयोग 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत खोले जा रहे 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' इस दिशा में मददगार हो सकते हैं। इसके साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत होने के प्रमाण मिल रहे हैं, जिसकी जरूरत किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली में होती है। जाहिर तौर पर सरकारी खर्च से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूती मिलती है, लागत कम होती है (सरकार और लोगों द्वारा) और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान में बढ़ोतरी करने में मदद मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्वास्थ्य संबंधी 80 प्रतिशत जरूरतों को पूरा कर सकती है और विशेषज्ञों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत कम कर सकती है। 2001 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू होने से पहले तकरीबन 30 साल पहले 1971 में थाइलैंड ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने पर काम शुरू किया था। निश्चित तौर पर भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को तेजी से मजबूत करने और बढ़ावा देने की जरूरत है।

इस प्रणाली ने हर वक्त में खुद को साबित किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा

रेखाचित्र 1: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत



एक व्यापक प्रणाली है, जिसमें सभी लोगों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर जोर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया है कि प्राथमिक सेवा और जरूरी स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक गतिविधियों को एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बनाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर नीतियों और कदमों के साथ-साथ सशक्त लोगों और समुदायों की भी जरूरत है। (रेखाचित्र 1)

मजबूत स्वास्थ्य सेवा

हालिया नीति भारत में पीएचसी प्रणाली को मजबूत करने के अनुकूल है। हमारा देश क्रियान्वयन के दौर में है और ऐसे काफी अनुभव मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल कार्यक्रम तैयार करने, इसके क्रियान्वयन और इसे आगे बढ़ाने में किया जा सकता है।

स्थानीय संकेतों के आधार पर पीएचसी प्रणाली में बदलाव हो: भारतीय संदर्भ में पीएचसी के सफल होने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत हो सकती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (पीएचसी) प्रणाली के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे भारत के 4 राज्यों (केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मेघालय) के अध्ययन में इन सूत्रों की पहचान की गई (ए) उपलब्धता के लिए अधिकतम गुंजाइश के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का पैकेज सुनिश्चित करना; (बी)


प्रदाताओं की पर्याप्त उपलब्धता और उचित मिश्रण; (सी) दिशा-निर्देशों के साथ सेवाओं का जारी रहना; (डी) अच्छी गुणवत्ता का स्तर हासिल करने के लिए उपाय; (ई) स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व; और (एफ) इन केंद्रों में सामुदायिक सक्रियता का प्रचलन तेज करना। ब्राजील, घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इस तरह के कार्यक्रमों और तौर-तरीकों ने अच्छे परिणाम दिए हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित हेल्थ और वेलनेस सेंटर ऐसे ही कार्यक्रमों से प्रेरित हैं और इससे भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर के अलावा, भारत में कई राज्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक, तेलंगाना में बस्ती दवाखाना खोले गए हैं। साथ ही, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में इस तरह के उपाय किए गए हैं। राज्यों ने बेशक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की मजबूती को प्राथमिकता दी है, मगर इस अभियान में तेजी लाकर इसे लगातार जारी रखने की भी आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रावधान और उपयोग के 'उल्टे पिरामिड' को दुरुस्त करना: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा दूसरे और तीसरे स्तर पर मुहैया

कराया जाता है। आदर्श तौर पर इन सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो सेवा के उपयोग और इसे मुहैया कराने का क्रम उल्टा है (रेखाचित्र 2)। भारत (और भारतीय राज्यों, जिन पर संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है) को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के स्तर पर (आपूर्ति पक्ष) स्वास्थ्य सेवाओं को पुनर्गठित कर उल्टा पिरामिड को ठीक करने की जरूरत है। साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (आपूर्ति पक्ष) के स्तर पर इन सेवाओं का उपयोग कर लोगों के रवैये को भी दुरुस्त करना होगा। इस संबंध में निर्देशात्मक तरीका दूसरे रेखाचित्र में पेश किया गया है। यह भारत में स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने संबंधी राय हो सकती है।

स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक निर्धारकों की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रित पहल (एसडीएच): बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजें, मसलन पीने का शुद्ध पानी और स्वच्छता; पोषण संबंधी नतीजे, महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा; साफ-सुथरी हवा और सुरक्षित सड़कें-स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे से बाहर हैं। अच्छे स्वास्थ्य का आधा हिस्सा इन चीजों पर निर्भर है। सूक्ष्म जीवों की रोकथाम, वायु प्रदूषण और गैर-संक्रामक बीमारियों जैसी नई चुनौतियों के साथ-साथ इन समस्याओं की भी पहचान की जा रही है। कई क्षेत्रों पर आधारित योजना

रेखाचित्र 2: स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रावधान और उपयोग के 'उल्टे पिरामिड' को दुरुस्त करना



तैयार करने और 'सभी नीतियों में स्वास्थ्य' के पहलू को ध्यान में रखने वाले रवैये की जरूरत है। इसके तहत अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों की पहल को समन्वित और जवाबदेह तरीके से विकसित किया जाए और संयुक्त रूप से संबंधित चीजों की निगरानी सुनिश्चित हो। मौजूदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा आयुष्मान भारत कार्यक्रम को एसडीएच से निपटने के लिए तीसरा उपाय माना जा सकता है।

देश में तहसील आधारित स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जाए: देश के जिलों की औसत आबादी 20 लाख है और इसमें 2,000 गांव या मुहल्ले हैं। दूसरे ऐसे देश जहां स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है, वहां एक जिले की औसत आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच है। जिनकी आबादी 1 लाख से 3 लाख हजार या लगभग 100 से 300 गांवों में हैं। आबादी के मामले में भारत के तहसील/ब्लॉक इन जिलों के बराबर है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रभावकारी योजना तैयार करने और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता दूर करने के लिए जिला स्तर से नीचे जाकर योजना बनाने की जरूरत है। हर प्रखंड में एक अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य ईकाई आदि हो सकते हैं और इसी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं (फंड, मानव संसाधन और विस्तृत योजना) की योजना तैयार की जानी चाहिए। उप-जिला आधारित स्वास्थ्य प्रणाली में केंद्रों को आबादी के हिसाब से तैयार करना होगा। दूसरे और तीसरे स्तर पर केंद्रों के लिए दोतरफा रेफरल नियमों को भी अपनाया चाहिए। इस सब के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन और अन्य ढांचे में बदलाव करना होगा। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती भी ऊपर सुझाए गए स्तर पर ही होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर केंद्रित मॉडल के बजाय काम को लेकर टीम आधारित रवैया होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य बजट के निश्चित हिस्से के तौर पर फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए नियम भी बनाया जा सकता है। जिला से निचले स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए औपचारिक तंत्र विकसित

बॉक्स 2: भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए ये कदम जरूरी हैं

1. स्वास्थ्य बीमा के लिए बेहतर रोडमैप विकसित करना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत दूसरे और तीसरे स्तर पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कवर में किसी तरह की वित्तीय सीमा नहीं और देश की 80 प्रतिशत आबादी इसके दायरे में हो। हालांकि, जो गरीब नहीं हैं, उनके लिए भुगतान करना जरूरी किया जा सकता है।
2. दूसरे और तीसरे स्तर की मौजूदा बीमा योजनाओं को बाहरी मरीजों (अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले) से भी जोड़ा जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो भर्ती मरीजों से जुड़े नियम और प्रभावकारी हों और बाहरी मरीजों को भी इस दायरे में लाया जाए। सेवाओं का सिस्टम इस तरह से तैयार किया जाए, ताकि इसे मुहैया कराते वक्त कोई फीस नहीं लगे।
3. अभी हर 50,000 की आबादी पर एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) है, जिसे 2022 तक हर 25,000 पर किया जाए और 2028 तक हर 10,000 पर एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र रखने का लक्ष्य रखा जाए।
4. देश में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संबंधी आधारभूत संरचना की कमी को पूरा करने के लिए 2022 तक अतिरिक्त 50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएं। शहरी क्षेत्रों में नए अंदाज में ऐसे और केंद्रों की स्थापना की जरूरत है।
5. देश के सभी राज्य रोग निरोधक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य काडर तैयार करेंगे।
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का अखिल भारतीय काडर बनाने पर विचार किया जाए। इससे और जिला के नीचे स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। ज्यादातर राज्यों में विशेषज्ञों की कमी का आंकड़ा 60-80 प्रतिशत तक है।
7. शोध के संचालन/क्रियान्वयन और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी सहयोग के लिए स्वायत्त संस्थागत तंत्र स्थापित करें। स्वास्थ्य एक विशेष क्षेत्र है और भारत में स्वास्थ्य संबंधी असरदार और व्यापक पहल के लिए पूर्णकालिक कर्मी द्वारा ठोस तकनीकी सलाह जरूरी है।
8. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस तरह योजना तैयार करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल संबंधी सेवाएं, दोनों सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से काम कर सकें। अनुभवों से पता चलता है कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को अस्पताल की बेहतर सेवाओं से सहारा मिलता है, तो यह प्रणाली अच्छा प्रदर्शन करती है। इसे ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने पर विचार होना चाहिए।

किया जाना चाहिए। इस तरह से भारत को तकरीबन 8,000-10,000 नियोजन इकाइयां और चीफ मेडिकल व स्वास्थ्य अधिकारियों की जरूरत होगी।

विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोगी के जरिये शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सहयोग को मजबूती: भारत की शहरी आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और 2030 तक इसके 60 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अगर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में उल्टा पिरामिड की चुनौती से निपटना है, तो शहरी

क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कारगर बदलाव करना होगा। इसके अलावा, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मजबूत प्रणाली बनाने की दरकार है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निर्वाचित शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को सौंप दी गई है। देश के राज्यों और प्रमुख शहरों में शहरी स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए असरदार संयुक्त तंत्र विकसित करना होगा।

बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र का उपयोग : 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में व्यवहार अर्थशास्त्र (नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर इसके जनक हैं) के महत्व को रेखांकित किया गया है। यह 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों में कारगर रहा है। व्यवहार में बदलाव के जरिये बड़े स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए किया जाना जरूरी है, क्योंकि लोग बीमारियों को रोकने के लिए शुरू में ही पहल कर सकें और उचित स्तर पर सेवा लें। इससे उच्च स्तर के केंद्रों पर भी बोझ कम होगा। सरकार को चाहिए कि वह उचित कार्यक्रमों को तैयार इसे लागू करे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल पर विशेष ध्यान: पोषण, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य संबंधी तौर-तरीकों को लेकर सार्वजनिक स्तर पर जागरूकता और शिक्षा को स्वास्थ्य सेवाओं का अटूट हिस्सा माना जा सकता है। कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए समर्पित कार्यकर्ता और कार्यबल हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में समर्पित कर्मी हैं और कुछ अन्य भारतीय राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। थाइलैंड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह है, जो रोग निवारक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। देश के राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल और उपायों की जरूरत है, ताकि रोग निरोधक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। भारत में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने के लिए मुख्य उपायों के अलावा कुछ पूरक पहल की भी जरूरत है (बॉक्स 2)।

निष्कर्ष

भारत अब स्वास्थ्य नीति बनाने के दौर से बाहर निकल चुका है और अब वह इन नीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में है। प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के साथ पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देश की आबादी की 80 प्रतिशत जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस प्रक्रिया में ये उपाय जरूरी हैं: (ए) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुधारने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए; (बी) स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उल्टा पिरामिड तरीके को ठीक किया जाए; (सी) स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएं; (डी) स्वास्थ्य प्रणाली का खाका जिला से नीचे के स्तर पर तैयार किया जाए; (ई) शहरी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाए; (एफ) स्वास्थ्य सेवा के आपूर्ति पक्ष से निपटने के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाए और (जी) सार्वजनिक स्वास्थ्य काडर बनाए जाएं आदि। जाहिर है कि भारत ऐसे जगह पर खड़ा है, जहां वह अतीत में किए उपायों के सहारे आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल सकता है, ताकि हमारा देश न्यूनतम असमानताओं के साथ सेहतमंद और समृद्ध बन सके। इससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, जिसकी कल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई है। साथ ही, 2030 की प्रस्तावित समयसीमा से पहले स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना संभव होगा। □

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडियो
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक

‘आप IAS
कैसे बनेंगे’



यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक
'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचा

कृष्ण देव

सरकार ने 'न्यू इंडिया' के निर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया है। इसके लिए कई परियोजनाएं शुरू की गयी हैं जैसे सागरमाला परियोजना (बंदरगाहों के जरिए विकास को बढ़ावा देने के लिए), भारतमाला परियोजना (भारत को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए), मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना (देश के सबसे बड़े समुद्री पुल के निर्माण के लिए) और सेतु भारतम् परियोजना (राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल फाटकों से मुक्त बनाने के लिए)। इनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति को सुधारना है। सरकार ने देश के विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया है जिससे ग्रामीण लोगों को आवागमन की सुविधा से बड़ी राहत मिली है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा रेलवे में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है और शहरों की हालत में आमूल परिवर्तन लाने के लिए स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। विकास की दिशा में इन सभी प्रयासों से एक ऐसे बेहतर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो मजबूत आर्थिक आधार पर खड़ा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

सरकार ने '2022 तक सबके लिए आवास' नाम का विस्तृत मिशन प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य सात साल में (2015-2022) समूचे देश में चार करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में चलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को ऐसा पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिसमें पानी का कनेक्शन

हो, शौचालय की सुविधा हो, सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध हो और जो सड़क संपर्क सुविधा से युक्त हो। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ और शहरी इलाकों में 1.2 करोड़ आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना है। आवास समस्या के सामाधान की जिम्मेदारी के तहत झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों का सुधार भी शामिल है। 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करना न्यू इंडिया विजन 2022 को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और कुशल तथा अकुशल कामगारों के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, आवास क्षेत्र का संबंध अन्य क्षेत्रों के साथ होने के कारण किफायती मकानों पर ध्यान देने से इस्पात और सीमेंट जैसे अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना के लक्षित लाभार्थी गरीब लोग और शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) और निम्न आयवर्ग (एल.आई. जी.) श्रेणियों के लोग होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 4041 वैधानिक शहरी इलाकों के 500 प्रथम श्रेणी शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्य तीन चरणों में इस तरह से किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण: अप्रैल 2015 से मार्च 2017
- प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय चरण: अप्रैल 2017 से मार्च 2019
- प्रधानमंत्री आवास योजना तृतीय चरण: अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक

1985 से भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ग्रामीण आवास योजना चला रही है। एक नयी योजना 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' 2016 में शुरू की गयी। इसके अंतर्गत मैदानी

इलाकों में प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी राज्यों/समन्वित कार्रवाई योजना जिलों/दुर्गम इलाकों में 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह सहायता बेघर परिवारों या सामाजिक-आर्थिक जाति गणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर कच्चे घरों में रहने वालों को दी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को शौचालयों के निर्माण और अकुशल मजदूरी वाले घटक के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ समन्वित कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करना है। पिछले पांच वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके दूसरे चरण में 2019-20 से 2021-22 तक पात्र लाभार्थियों के लिए 1.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। टेक्नोलॉजी के उपयोग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच और टेक्नोलॉजी संबंधी आधान की मदद से आवास के निर्माण की औसत अवधि में कमी आयी है और यह 2015-16 के 314 दिन की तुलना में 2017-18 में 114 दिन हो गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उद्देश्य चार आधार स्तंभों को अपनाते हुए 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करना है, जो इस प्रकार हैं: (क) झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों का उनके अपने स्थान पर फिर से विकास, (ख) ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के माध्यम से किफायती आवास निर्माण, (ग) सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के बीच सहयोग से किफायती आवास और (घ) लाभार्थी द्वारा खुद का मकान बनाने या पुराने मकान का विस्तार

लेखक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो इस समय स्वतंत्र सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे नीति आयोग में भी सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। ईमेल: kd.krishnadev@gmail.com

करने पर सब्सिडी। करीब 4.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 81 लाख मकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिनमें से करीब 47 लाख का निर्माण शुरू हो गया है। 26 लाख मकान बन चुके हैं जिनमें से 24 लाख लाभार्थियों को दिये जा चुके हैं। इन आवासों के निर्माण में नयी टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 13 लाख से अधिक मकान बनाए गये हैं।

ऊर्जा

सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की मौजूदा नीतियों का उद्देश्य किफायती, विश्वसनीय, चिरस्थायी और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच बनाना है। इसका एक और उद्देश्य घरेलू लक्ष्यों और वैश्विक विकास एजेंडा के बीच समन्वय से निम्न उपलब्धियां प्राप्त करना भी है :

- 2019 तक सब को सप्ताह के सातों दिन और दिनभर में चौबीसों घंटे (24x7) बिजली उपलब्ध कराना
- 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना और
- 2022-23 तक तेल और गैस के आयात में 10 प्रतिशत कमी करना।

भारत दुनिया का तीसरा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता देश है। लेकिन 2017 में उसकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत करीब 625.6 कि. ग्रा. तेल समतुल्य (केजीओई) के उपयोग की थी जबकि वैश्विक औसत 1860 केजीओई है। विद्युत क्षेत्र में अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता करीब 334 गीगावाट है जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली 62 मेगावाट क्षमता भी शामिल है। जहां तक ऊर्जा आपूर्ति का सवाल है भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब भी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भर है। भारत ने 2017 में अपनी कुल आवश्यकता का करीब 82 प्रतिशत कच्चा तेल और 45 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का आयात किया।

2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में कुछ प्रमुख बाधाएं हैं :

1. समग्र ऊर्जा : तरह-तरह के टैक्सों और सब्सिडियों ने ऊर्जा बाजार को विकृत बना दिया है। इनसे अकुशल/अत्यधिक कुशल इंधनों के उपयोग को बढ़ावा

भारत दुनिया का तीसरा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता देश है। लेकिन 2017 में उसकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत करीब 625.6 कि.ग्रा. तेल समतुल्य (केजीओई) के उपयोग की थी जबकि वैश्विक औसत 1860 केजीओई है। विद्युत क्षेत्र में अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता करीब 334 गीगावाट है जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली 62 मेगावाट क्षमता भी शामिल है। जहां तक ऊर्जा आपूर्ति का सवाल है भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब भी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भर है। भारत ने 2017 में अपनी कुल आवश्यकता का करीब 82 प्रतिशत कच्चा तेल और 45 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का आयात किया।

मिलता है जिससे भारतीय निर्यात तथा घरेलू उत्पादन प्रतियोगिता में टिके रहने योग्य नहीं रह पाते ऊर्जा कर जीएसटी के अंतर्गत नहीं हैं और इसलिए इनपर कोई इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जाता।

2. विद्युत : औद्योगिक/वाणिज्यिक शुल्क की ऊंची दर और क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था ने औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर असर पड़ा है।
3. तेल और गैस : तेल क्षेत्रों के लिए गैस के दाम बाजार निर्देशित न होने से और अधिक उत्पादन हतोत्साहित होता है। देश में गैस पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा भी पर्याप्त नहीं है।
4. कोयला : देश में खुली खदानों से कोयला निकालने प्रवृत्ति से भूमिगत खानों को बढ़ावा नहीं मिल पाता और जमीन के अंदर विद्यमान अच्छी किस्म के कोयले के भंडार धरे के धरे रह जाते हैं।
5. नवीकरणीय ऊर्जा : ऊर्जा की ऊंची लागत से बिजली खरीद समझौतों को

छोड़ दिया जाता है जिससे उनका महत्व कम हो जाता है। इससे बिजली खरीद को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है और निवेश की आगे की संभावनाएं खतरे में पड़ जाती हैं।

6. ऊर्जा दक्षता : सीमित तकनीकी क्षमताएं, उच्च प्रारंभिक पूंजी खर्च, सीमित बाजार और अन्य मसलों से ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों पर असर पड़ता है।

आगे का रास्ता

1. समग्र ऊर्जा : तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयले को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लागू किया जा सके और समान जीएसटी दर ऊर्जा के तमाम रूपों पर बराबरी के आधार पर लागू हो सकें।
2. बिजली : सभी पीपीएज, जिनमें राज्यों की उत्पादन कंपनियों के साथ समझौते भी शामिल हैं, प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित होने चाहिए। कृषि के लिए उर्वरक, बिजली, फसल बीमा आदि पर



अलग-अलग सब्सिडी देने की बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी का अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मौजूदा/निर्माणाधीन बिजलीघरों का उपयोग करने के लिए सीमा पार बिजली व्यापार को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3. तेल और गैस : गैस पाइपलाइनों के लिए साझा कैरिअर और गैस पाइपलाइनों के लिए खुली पहुंच उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है और पीएनजीआरबी के विकास संबंधी तथा विनियामक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया जाना चाहिए। इसके अलावा तटवर्ती और समुद्री इलाकों में फैले तेल व गैस क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले तेल और गैस के परिवहन के लिए साझा बुनियादी ढांचा इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए।
4. कोयला : उत्पादन/राजस्व भागीदारी मॉडल के आधार पर खोज और खनन पट्टों के जरिए विस्तृत खोज जिसमें संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।
5. नवीकरणीय ऊर्जा : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग या नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जैसी केन्द्रीय एजेंसियों को प्वाइंट ऑफ कनेक्शन या इसी तरह की प्रणाली प्रणाली की तर्ज पर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े बिजलीघरों के लिए कॉस्ट्स ऑफ बैलेंसिंग को सोशललाइज करना चाहिए।
6. ऊजा दक्षता : एलईडी बल्बों का उपयोग अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और सरकारी इमारतों में पुराने उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा की बचत करने वाले 5-स्टार उपकरण लगाने चाहिए। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) कार्यक्रम के जरिए निम्न आयवर्ग के परिवारों और छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम के दायरे में आने वाले उपकरणों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। परफार्म, अचीव एंड ट्रेड (पैट) कार्यक्रम को विस्तृत और सघन बनाया जाना चाहिए। पैट के अंतर्गत एनर्जी

भारत में माल और यात्री परिवहन में सड़क क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था, वाहन ऋण तक पहुंच और बेहतर सड़क संपर्क की वजह से सड़कों के जरिए आवाजाही की मांग भी लगातार बढ़ी है जिससे वाहनों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले वर्षों में नयी सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के विकास से पहुंच और आवाजाही में सुधार हुआ है।

सेविंग सर्टिफिकेट (ई-सर्ट) ट्रेडिंग को और कारगर बनाया जाना चाहिए तथा चूक करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

परिवहन सड़कें

1. गर्व की बात है कि भारत में दुनिया की सबसे विशाल सड़क नेटवर्क प्रणाली है और आकार की दृष्टि से यह सबसे सघन भी है। संपर्क सुविधा बढ़ाने और घरेलू व विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए सड़कों और राजमार्गों की कवरेज और गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है। 2022-23 तक भारत को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त कर लेने चाहिए:
2. सड़क नेटवर्क के विस्तार से संपर्क सुविधा में बढ़ोतरी : (क) भारतमाला प्रथम चरण के लक्ष्य के तहत 2021-22 तक 2,000 कि.मी. लंबी तटवर्ती सड़कों और बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों समेत 24,800 कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य पूरा करना, (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण को हर चरण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखकर पूरा करना, (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को वर्तमान 1.22 लाख कि.मी. से बढ़ाकर 2022-23 तक 2 लाख कि.मी. करना और (घ) सिंगल/इंटरमीडिएट लेन वाले राजमार्गों को चौड़ा करना और

2022-23 तक इस तरह के राजमार्गों की कुल लंबाई को (जो वर्तमान में कुल लंबाई का 26.46 प्रतिशत है), घटाकर 10 प्रतिशत के स्तर पर लाना।

3. सड़कों के लिए विनियामक ढांचे में सुधार कर बेहतर अनुपालन, अटूट संपर्क, सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता के लक्ष्यों को हासिल करना, सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या में 2020 तक 50 प्रतिशत की कमी लाना।
- भारत में माल और यात्री परिवहन में सड़क क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था, वाहन ऋण तक पहुंच और बेहतर सड़क संपर्क की वजह से सड़कों के जरिए आवाजाही की मांग भी लगातार बढ़ी है जिससे वाहनों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले वर्षों में नयी सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के विकास से पहुंच और आवाजाही में सुधार हुआ है।

चुनौतियां

1. क्षमता : राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की मौजूदा लंबाई 1.22 लाख कि.मी. है जो देश के कुल 56.03 लाख कि.मी. सड़क नेटवर्क का 2.2 प्रतिशत है। चार लेन या इससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 27,658 कि.मी. (22.57 प्रतिशत) है। सिंगल/इंटरमीडिएट लेन विद्युत वाले राजमार्ग 32,395 कि.मी. (25.46 प्रतिशत) हैं और बाकी 62,379 कि.मी. (50.59 प्रतिशत) राजमार्ग दो लेन वाले हैं।
2. रखरखाव : नियमित निवारक रखरखाव को सड़कों के क्षेत्र में निवेश का अभिन्न अंग होना चाहिए।
3. भूमि अधिग्रहण : मौजूदा भूमि कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज रफ्तार से पूरा किया जाना चाहिए।
4. विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल : परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच तालमेल और नेटवर्क के अन्य हिस्सों से जोड़कर समग्र क्षमता में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग से जमीन का नियोजित तरीके से उपयोग करना जरूरी है।
5. धन की व्यवस्था : सड़कों के निर्माण

के लिए धन के स्रोत मुख्य रूप से सकल बजट खर्च में की गयी वचनबद्धताओं के रूप में हैं। हालांकि ये पूर्वनिर्धारित राजस्व, करों और उपकर, सड़क निधियों या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे विशेष विकास कार्यक्रमों से प्राप्त होते हैं।

6. संस्थागत व्यवस्था : सड़कों का डिजायन बनाने, निर्माण, संचालन और रखरखाव के कार्य के लिए सरकार के तमाम स्तरों पर बड़ी संख्या में संस्थाएं और एजेंसियां उत्तरदायी हैं। किसी एक संस्था से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह तमाम तरह की सड़कों से जुड़ी तरह-तरह की जिम्मेदारियां और कार्य अकेले कर पाएगी।

आगे का रास्ता

1. सड़क नेटवर्क का विस्तार करके संपर्क बढ़ाना : इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चार अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाना है: (1) भारतमाला परियोजना-प्रथम चरण : 24,800 कि.मी. सड़कों का निर्माण 2021-22 तक पूरा, (2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, चरण 'ए' : पूर्वोत्तर में करीब 4,099 कि.मी. सड़कों का सुधार, (3) पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क संपर्क, फेज-1: मेघालय और मिजोरम में बुनियादी ढांचे में सुधार और अंतर-राज्य सड़कों व अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ संपर्क सुविधा बढ़ाना तथा चारधाम महामार्ग विकास परियोजना।
2. सड़क रखरखाव और सुरक्षा में सुधार: मेटेनेस मैनेजमेंट सिस्टम (एमएमएस) को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुसंधान।

3. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को दुरुस्त करना : प्रतिभागियों को भूमि अधिकरण के विवरण जैसे बाजार मूल्य निर्धारण, मुआवजे की राशि का फैसला करने, मुआवजे के सवितरण आदि का ब्यौरा तैयार करने के बारे में संवेदनशील बनाना (एमओआरटीएच के 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार)।
4. कौशल विकास : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सड़क निर्माण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले गाड़ी चलने के कौशल की ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से परिष्कृत विधियों से कठोर परीक्षा सुनिश्चित करना।
5. अनुसंधान और विकास पर जोर: एमओआरटीएच के वार्षिक बजट के 0.1 प्रतिशत को अनुसंधान और विकास पर लगाना, सड़कों के बारे में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट डेटा सेंटर की स्थापना, आईटी समन्वित यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए अनुसंधान और विकास बढ़ाना और राजमार्ग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से जुड़े नवीनतम घटनाक्रम के आधार पर टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित सहिता/मानदंडों/दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन।
6. सार्वजनिक परिवहन की क्षमता और पहुंच में बढ़ोतरी : राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में आमूल परिवर्तन करना और सार्वजनिक परिवहन, ग्रामीण परिवहन और आखिरी छोर पर संपर्क को बढ़ावा देना। केन्द्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर बस टर्मिनलों का विकास करना

होगा और टेक्नोलॉजी/सॉफ्टवेयर की सहायता (जैसे वाहनों के पंजीकरण के लिए वीएचएएन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी) उपलब्ध कराना।

7. इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन प्रणाली का विस्तार : 'फास्टैग' चार्जिंग प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाना और प्रतिभागियों और कनशेसनेयर के साथ संपर्क (पीपीपी टॉल प्लाजा के लिए), यह सुनिश्चित करना कि सभी टॉल प्लाजा में इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन (ईसीटी) के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा हो।

रेलवे

भारतीय रेलवे दुनिया में एकल प्रबंधन वाला तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रूट कि.मी. की दृष्टि से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है (2017 में 67,368 कि.मी.)। यह यात्री परिवहन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन (2017 में 1,150 अरब यात्री कि.मी.) और माल ढुलाई में चौथा सबसे बड़ा संगठन (2017 में 62 करोड़ नेट-टन कि.मी.) है। वित्त-वर्ष 2017 में 13,329 यात्री गाड़ियों ने रोजाना 2.22 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जबकि 1.1 अरब टन माल की भी ढुलाई की।

भारतीय रेलवे की स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्ण रेलवे के कुल नेटवर्क के 15 प्रतिशत के बराबर हैं। मगर इनपर चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों ने कुल यात्रियों में से 52 प्रतिशत को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 58 प्रतिशत माल की ढुलाई की।

2022-23 तक भारत में एक ऐसा रेल नेटवर्क होना जरूरी है जो न सिर्फ कार्यकुशल, विश्वसनीय और सुरक्षित हो, बल्कि किफायती और यात्रियों तथा मालढुलाई के लिहाज से लोगों की पहुंच के दायरे में हो। इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा:

- रेलवे के मौजूदा बुनियादी ढांचे का विस्तार
- बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार को वर्तमान 7 कि.मी। दैनिक से 2022-23 तक 19 कि.मी. दैनिक करना
- 2022-23 तक ब्रॉड गेज लाइनों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, जो 2016-17 में 40 प्रतिशत के स्तर पर था।
- माल गाड़ियों/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार को बढ़ाकर 2022-23 तक





क्रमशः 50 कि.मी. प्रतिघंटा (2016-17 में 24 कि.मी. प्रतिघंटा) और 80 कि.मी. प्रति घंटा करना (2016-17 में 60 कि.मी. प्रतिघंटा)

- रेलवे की सुरक्षा में सुधार, शून्य हताहत का लक्ष्य हासिल करना
- 2022-23 तक सेवा प्रदान करने में सुधार करके 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों का सही समय पर आगमन
- 2022-23 तक रेलवे के पास 1.9 अरब टनकी माल ढोने की क्षमता हो और माल ढुलाई के तमाम तरीकों से ढोए जाने वाले कुल माल में उसका हिस्सा मौजूदा 33 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत करना
- रेलवे के कुल राजस्व में किराये से इतर राजस्व का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना।

चुनौतियां

बुनियादी ढांचे पर क्षमता से ज्यादा दबाव है 60 प्रतिशत से अधिक रेल मार्गों की क्षमता का 100 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल हो रहा है जिससे यात्री और मालगाड़ियों की औसत रफ्तार में कमी आई है। दूसरी ओर, किराये से इतर राजस्व के बहुत कम होने और माल भाड़े की ऊंची दर से मालढुलाई में रेलवे का हिस्सा अनुकूलतम स्तर से कम हो गया है।

आगे का रास्ता

चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि क्षमता के उपयोग में सुधार हो और परियोजनाओं के समय पर पूरा हो जाने से रेलवे को और राजस्व मिले।

इसके साथ ही मौजूदा नेटवर्क को भी बनाए रखकर उसमें सुधार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति मांग के अनुरूप रहे।

यह सुनिश्चित करना कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर और मुंबई-अहमदाबाद हाइ-स्पीड रेल का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर 2020 तक पूरी तरह चालू हो जाने चाहिए और इसके साथ-साथ उनके फीडर मार्गों का भी विकास किया जाना चाहिए। फ्रेट टर्मिनलों, रेलइंजनों और डिब्बों आदि के स्वामित्व और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी खोला जाना चाहिए। रेल इंजन और डिब्बों आदि के निर्माण और रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष (रेलवे से इतर) और उचित विनियामक प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। इसके कार्यानिष्पादन में

भारतीय रेलवे दुनिया में एकल प्रबंधन वाला तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रूट कि.मी. की दृष्टि से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है (2017 में 67,368 कि.मी.)। यह यात्री परिवहन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन (2017 में 1,150 अरब यात्री कि.मी.) और माल ढुलाई में चौथा सबसे बड़ा संगठन (2017 में 62 करोड़ नेट-टन कि.मी.) है।

सुधार होगा और निजी उद्यमियों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे के भूमि संसाधनों से आमदनी, खास तौर पर रिटेल या इसी तरह की रेलवे से इतर गतिविधियों से राजस्व अर्जित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। रेलवे स्टेशनों से रिटेल राजस्व भी बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए सुविधाओं में निवेश बढ़ाने, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और निजी उद्यमियों को ठेके पर जगह देने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं।

हमारा जोर ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, फॉग सेफ्टी डिवाइसेज, एंड ऑफ टेन टेलीमीट्री डिवाइस और ऑनबोर्ड/ऑन लाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे परखी हुई और परिष्कृत टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाने पर होना चाहिए।

2022 तक चुने हुए 400 रेलवे स्टेशनों में से 100 को प्राथमिकता के आधार पर नये सिरे से विकसित करने की आवश्यकता है।

नागर विमानन

भारत के नागर विमानन क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है। 2026-17 में विमानों से यात्रा करने वालों की संख्या 15.8 करोड़ रही। घरेलू यातायात में 2007-08 और 2016-17 के बीच 10 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर बढ़ोतरी हुई। 2014-15 और 2016-17 के बीच घरेलू यात्रियों के यातायात में 48 प्रतिशत की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2016-17 में विमानों से माल ढुलाई में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई। आईएटीए ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत 2018-19 तक दुनिया के चोटी के 10 हवाई माल ढुलाई बाजारों में शामिल हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की प्रतिस्पर्धा क्षमता रिपोर्ट-2018 में भारत को हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे के लिहाज से दुनिया के 140 देशों में से 53वें स्थान पर रखा गया है।

लक्ष्य

- विमान यात्रा को किफायती बनाया जाना चाहिए ताकि घरेलू टिकटों की बिक्री 2016-17 के 10.37 करोड़ से बढ़कर 2022 में 30 करोड़ हो जाए।
- हवाई माल ढुलाई 2017-18 के करीब 33 लाख टन से बढ़ाकर 65 लाख टन किया जाए।

- अनुसूचक, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को 2017 के 1.8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.3 अरब डॉलर किया जाए।
- हवाई अड्डों की क्षमता पांच गुना बढ़ाई जाए ताकि साल में एक अरब ट्रिप्स हैंडल की जा सकें।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती बनाया जाए और इसकी उपलब्धता में सुधार किया जाए तथा इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैडों को क्षेत्रीय संपर्क योजना - 'उड़ें देश का आम नागरिक' के जरिए फिर से चालू/उच्चकृत किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि हवाई अड्डा शुल्क, ईंधन पर टैक्स, लैंडिंग शुल्क, यात्री सेवाएं, कार्गो और अन्य शुल्क कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्धारित किये जाएं।

चुनौतियां

- हवाई अड्डों को उनके वर्तमान स्थान पर ही, खास तौर पर देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों के विस्तार और हैंगर की पर्याप्त जगह के लिए जमीन की उपलब्धता।
- कुशल श्रमिक : नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कराए गये एक अध्ययन के अनुसार भारतीय विमानन उद्योग 2035 तक 10 से 12 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 10 से अधिक वर्षों में करीब 2.5 लाख लोगों को इस उद्योग के कौशल को प्रशिक्षण देना होगा।
- नागर विमानन मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों को एकल से संयुक्त ढांचे वाला बनाने को कहा है।
- विमान ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल-एटीएफ) भारत में अपेक्षाकृत महंगा है।
- विमानन सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन की घटनाओं में कमी लाना जरूरी है।

आगे का रास्ता

- विमानन के बुनियादी ढांचे का विस्तार : उड़ान पहल के तहत बनाए जाने वाले हवाई अड्डों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और दिल्ली तथा मुंबई के लिए दो नये हवाई अड्डों को 2022 तक पूरा किया जाए।
- वित्तीय और अवसररचना सहयोग के

जरिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता।

- कुशल श्रमशक्ति में बढ़ोतरी : मूल उपकरण निर्माताओं, उद्योग और शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विमानन उद्योग के प्रबंधन के सिद्धांतों और इसमें सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत इसकी नवीनतम अवधारणाओं को सिखाया जा सके।
- हवाई अड्डों के लिए आसान विनियामक माहौल : शुल्क निर्धारण के लिए एकरूप मॉडल को अपनाया जाए ताकि यात्रियों के लिए लागत में कमी लाई जा सके। विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में विचार करके करधान और मूल्य निर्धारण ढांचे को वैश्विक मानदंडों के अनुसार बनाया जाए।

बंदरगाह और जहाजरानी तथा अंतर्देशीय जल परिवहन

लक्ष्य

- तटवर्ती जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों से मालदुलाई का हिस्सा 2016-17 के 6 प्रतिशत से 2025 तक 12 प्रतिशत करना।
- बंदरगाहों की हैंडलिंग यानी माल लाने और उतारने की क्षमता बढ़ाकर 2022-23 तक 250 करोड़ टन करना।
- प्रमुख बंदरगाहों के टर्नअराउंड समय को 3.44 दिन (2016-17) से घटाकर 2022-23 तक 1-2 दिन करना (वैश्विक औसत)।
- अंतर्देशीय जलमार्गों का थ्रोपुट यानी प्रवाह क्षमता 55.20 एमएमटी (2016-17) से बढ़ाकर 2022-23 तक 20-70

एमएमटी करना।

- न्यूनतम उपलब्ध गहराई में वृद्धि करके अंतर्देशीय जल परिवहन की क्षमता बढ़ाना।

बंदरगाह और जहाजरानी

भारत का समुद्र तट 7,500 कि.मी. लंबा है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। मात्रा की दृष्टि से भारत के विदेश व्यापार को 90 प्रतिशत और लागत की दृष्टि से 70 प्रतिशत बंदरगाहों के जरिए गुजरता है। भारत के तटों पर 12 प्रमुख बंदरगाह और 205 अन्य बंदरगाह हैं और यह परिवहन का सबसे किफायती और कुशल तरीका है।

जहाजरानी मंत्रालय का सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विकास, बंदरगाहों के बीच संपर्क बढ़ाने, तटवर्ती इलाकों में रहने वालों समुदायों की मदद करने और बंदरगाहों की अगुवाई में औद्योगिकीकरण पर जोर देता है। सागरमाला का उद्देश्य घरेलू और विदेशी व्यापार की लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाना है ताकि 2025 तक सालाना 35,000 से 40,000 करोड़ की बचत हो सके। इसका एक अन्य उद्देश्य परिवहन के विभिन्न प्रकारों में जल परिवहन का हिस्सा बढ़ाकर दुगुना करना भी है।

सरकार ने परियोजनाओं पर अमल के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से गठित स्पेशल परपज ह्वीकल के वित्तपोषण के लिए सागरमाला डिवेलपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन किया है। सागरमाला के अंतर्गत बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं को चलाने के लिए इंडियन पोर्ट-रेल कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।





अंतर्देशीय जलमार्ग

- अंतर्देशीय जल परिवहन (आई.डब्ल्यू.टी.) भारत के संगठित माल परिवहन के 2 प्रतिशत से कम को लाता-ले जाता है और नाम मात्र की यात्री परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण को देश में समुद्री मार्गों, टर्मिनलों और नौ संचालन सहायता के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। अप्रैल 2016 में 24 राज्यों में 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। मंत्रालय जल मार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की क्षमता बढ़ा रहा है। इस परियोजना से और बड़े जहाजों (1,500-2,000 टन क्षमता वाले) की आवाजाही में मदद मिलेगी।

चुनौतियां

- जहाजों को बंदरगाहों में लंगर डालने के लिए कम से कम 18 फिट के जलमार्ग की आवश्यकता होती है। अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण के लिए पूंजी आकर्षित करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है।

आगे का रास्ता

- ट्रेडिंग के बाजार को मुक्त करने से और कंपनियों, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए भारत की ओर आकृष्ट होंगी।
- सागरमाला के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लानी होगी।

- आई.डब्ल्यू.टी. को मल्टीमॉडल/ इंटरमोडल कनेक्टिविटी से साथ समन्वित करना होगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-1 की क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जलमार्ग विकास परियोजना पर अमल की स्वीकृत दे दी है। इसके लिए विश्व बैंक से 5369,18 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता और निवेश सहयोग प्राप्त होगा।

लॉजिस्टिक्स

लॉजिस्टिक्स की समसामयिक परिभाषा में सूचना, परिवहन, इनवेंटरी, भंडारण, सामग्री संचालन और पैकेजिंग शामिल हैं। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के अंतर्गत सामग्री के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रणालियों का डिजायन तैयार करना और प्रशासन, चल रहे कार्य और व्यावसायिक इकाई रणनीति की मदद के लिए तैयार इनवेंट्री शामिल होते हैं।

उद्देश्य

- माल को परिवहन के विविध साधनों से पहुंचाने का कार्य लॉजिस्टिक्स के वैश्विक मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए।
- लॉजिस्टिक्स बाजार को वर्तमान 160 अरब डॉलर के स्तर से बढ़ाकर 2020 तक 2020 तक 215 अमेरिकी का करना।
- लॉजिस्टिक्स में कौशल में सुधार और

इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर 2016 में 2.2 करोड़ के स्तर से बढ़ाकर 2022-23 तक 4 करोड़ करना।

चुनौतियां

आखिरी छोर तक संपर्क सुविधा और बुनियादी ढांचा न होने, प्रतिस्पर्धा और क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न होने, परिवहन के विभिन्न साधनों को संचालित करने वाले अधिकारियों द्वारा साफ्टवेयर प्रणालियों का अदल-बदल कर इस्तेमाल न हो पाने से परिवहन का समय बढ़ जाता है।

आगे का रास्ता

शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए दरें कुशलतापूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए। एक ऐसा वृहद संगठन बनाया जाना चाहिए जिसके पास परिवहन के क्षेत्र के सभी भागीदारों के तमाम आंकड़े हों और जो डेटा का अच्छा विश्लेषण कर सके जिसके आधार परिवहन के विभिन्न साधनों पर आधारित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आदि स्थापित किये जा सकें। इससे बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी मसलों को निपटारा जा सकेगा। □

संदर्भ

1. भारतीय शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, 2011, (इशर अहलुवालिया कमेटी)।
2. नेशनल ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट पॉलिसी कमीटी रिपोर्ट, 2014, योजना आयोग, भारत सरकार 2010.
3. स्ट्रेजी फॉर न्यू इंडिया@75, नीति आयोग, भारत सरकार, 2018
4. रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन लॉजिस्टिक्स, योजना आयोग, भारत सरकार, 2010। 11वीं और 12वीं

पंचवर्षीय योजना

1. Report of the Working Group on Logistics, Planning Commission, Government of India, 2010.
2. 11th and 12th Five Year Plan, Planning Commission.
3. बजट दस्तावेज, 2019-20
4. दि इकोनॉमिक टाइम्स

वेबसाइट

1. https://www.pmindia.gov.in/en/major_initiatives/niti-aayog-transforming-indias-development-agenda/
2. <https://www.mygov.in/48months/performance-dashbord/index.html>
3. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/niti-unveils-strategy-for-new-india-75-to-make-india-4-trillion-economy-118122000054_1.html
4. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186599>.

समावेशी नीति से सबका विकास

शशि रानी

भा

रत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक सामूहिक धागे में बांधता है। संविधान में मौलिक अधिकार के जरिये नागरिकों को सुरक्षा मिली हुई है और इससे सरकार के नीति-निर्देशक तत्वों के पालन के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश मिलते हैं, ताकि नागरिकों के हित में समावेशी रवैये के साथ काम किया जा सके।

सतत विकास का लक्ष्य और समावेशन

सतत विकास का लक्ष्य जनवरी 2016 में अमल में आया और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति और फंडिंग को 2030 तक निर्देशित करता रहेगा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और वह सभी तरह की

असमानता को कम करने के लिए वैश्विक समाज एजेंडे को लेकर प्रतिबद्ध है। सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी दूर करने, भेदभाव हटाने और लोगों की खातिर शांति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कोशिशों पर जोर दिया जा रहा है। सतत विकास से जुड़े सभी लक्ष्य जनता, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और साझीदारी पर आधारित हैं। सतत विकास के 10वें लक्ष्य के संदर्भ में बात करें तो इसका मकसद 'संबंधित देशों के भीतर असमानता कम करना है।' सतत विकास का 16वां लक्ष्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सभी को न्याय की उपलब्धता के लिए प्रावधान और सभी स्तरों पर प्रभावकारी और जवाबदेह संस्थान तैयार करना है।

समावेशी नीति, रणनीतियां और हस्तक्षेप

संवैधानिक ढांच के तहत समाज के

वंचित और अलग-थलग पड़े तबकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार विभिन्न नीतियों, रणनीतियों और अन्य तरह के हस्तक्षेप के जरिये ऐसा कर सकती है। मौजूदा सरकार ने समावेशी समाज बनाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के जरिये कई तरह की पहल की है। इसके तहत समाज के वंचित तबकों को लेकर विशेष तौर पर काम किया गया है। इस दिशा में सामाजिक और लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, उद्यमिता, विद्युतीकरण, स्वच्छता, पेयजल आदि मोर्चे पर काम किए गए हैं।

महिला और कन्या शिशु: सरकार ने महसूस किया है कि लैंगिक समानता और विकास ऐसे क्षेत्र हैं, जहां विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने



लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल वर्क विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ईमेल: shashi.socialwork@gmail.com



के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, मसलन लड़कियों की सुरक्षा और उनके प्रति भेदभाव दूर करने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद कन्या शिशु के अस्तित्व को बचाना और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करना है।

प्रसव-पूर्व डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग जांच पर रोक) अधिनियम, 1994 का मकसद गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच के लिए तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है। स्वाधार गृह योजना दो महत्वपूर्ण योजनाओं का विलय है: पहला स्वाधार योजना 2002 और लघु प्रवास गृह योजना 1969। इन दोनों योजनाओं का स्वाधार गृह योजना में विलय किया गया है, ताकि हर जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाला केंद्र स्थापित किया जाए। जरूरतों के मूल्यांकन के आधार पर इस क्षमता को बढ़ाकर 50 से 100 किया जा सकता है।

आईसीडीएस की आधारभूत संरचना का इस्तेमाल कर किशोरी लड़कियों से संबंधित योजना के तहत इस आयु समूह की लड़कियों के लिए विशेष पहल की जाती है। इसका मकसद इन लड़कियों की कुपोषण और लैंगिक संबंधी दिक्कतों को दूर करना है, ताकि किशोरी कन्याओं को खुद से विकास के लिए अनुकूल माहौल मिल सके। इस योजना का मुख्य मकसद इन लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्म-निर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें। इन लड़कियों की सेहत सुधारने के लिए उनके आत्म-विकास और सशक्तीकरण, पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता आदि पर जोर है। इसके अलावा,

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पतालध सीएचसी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से सूचनाधदिशा-निर्देश मुहैया कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।

देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (पीएमएमवीई) है। इस योजना के तहत पहला बच्चा होने की स्थिति में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में सीधा 5,000 रुपये नकद मुहैया कराया जाता है। इसके लिए मातृत्व और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। किलकारी और मोबाइल अकादमी का मकसद गर्भवती महिलाओं, बच्चों के माता-पिता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले सेवक/सेविकाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद की देखभाल और टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है। किलकारी और मोबाइल अकादमी सेवाओं को पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया गया है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2016 में मातृत्व लाभ (संशोधन) बिल, 2016 पास किया गया। इसके तहत मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। इस बिल से संगठित क्षेत्र में काम कर रही 18 लाख महिलाओं को फायदा हो रहा है। महिला पुलिस वालंटियर, महिला ई हाट, मुद्रा लोन और उज्ज्वला योजना आदि काफी महत्वपूर्ण पहल हैं। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत युद्धस्तर पर घरों में शौचालयों का निर्माण किया

जा रहा है।

अनुसूचित जाति: हमारे संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार के पास विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के जरिये इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के तहत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने की बात है, ताकि उन्हें शिक्षा के लिए समान अवसर मुहैया कराया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा खतरनाक कार्यों से जुड़े बच्चों और स्वास्थ्य संबंधी खतरा झेलने वाले बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की सुविधा दी गई है। 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति; सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार के मकसद से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी) के पास माइक्रो क्रेडिट वित्त जैसी कई योजनाएं हैं। एनएससीएफडीसी 5 लाख रुपये तक की परियोजन लिए कर्ज देता है। लघु आय संबंधी गतिविधियों के लिए 60,000 रुपये तक की परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता दी जाती है। महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए एक लघु वित्त योजना है, जिसमें ब्याज पर छूट मिलती है। साथ ही, 60,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। महिला किसान योजना खासतौर पर उन ग्रामीण महिलाओं के लिए है, जो 2,00,000 रुपये तक की परियोजना लागत में खेती और



इससे संबंधित कोई काम करती हैं। 'शिल्पी समृद्धि योजना' के तहत छोटी आय से जुड़ी गतिविधियों के मद में 2,00,000 रुपये तक की परियोजना लागत पर वित्तीय मदद दी जाती है। लघु व्यवसाय योजना में 90 प्रतिशत तक वित्तीय मदद दी जाती है, जहां छोटी आय संबंधी गतिविधियों के लिए कर्ज और आसान भुगतान के मद में ईकाई लागत 5 लाख रुपये है।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के सम्मान और स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़े अहम उपाय माने जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत और अन्य अत्याचार से संबंधित अपराधों के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

अनुसूचित जनजाति: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण और जनजातीय संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े स्वंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए संग्रहालय बनाए गए हैं। आम आबादी और जनजातीय आबादी के बीच साक्षरता स्तर का अंतर खत्म करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रमुख जोर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने पर है, जिसका मकसद अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है।

छात्रावास और कर्मचारियों के लिए क्वॉटर समेत स्कूल भवनों, खेल के मैदान के लिए प्रावधान, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, शिक्षक संसाधन कक्ष आदि इंतजाम किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना भी मुहैया कराई गई है। वन धन योजना का मकसद कौशल को बेहतर बनाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण मुहैया कराना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदि महोत्सव' नाम से राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन किया, जिसका मकसद जनजातीय शिल्प कला, संस्कृति, पाक कला और वाणिज्य के बारे में बताना था। इसमें 20 राज्यों के 1,000 से भी ज्यादा कारीगरों, 80 जनजातीय शोफ और 14 नृत्य मंडलियों ने हिस्सा लिया। इन नृत्य मंडलियों में 250 से भी ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया।

गरीब और सामान्य आबादी के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं और इनमें से कुछ का जिक्र इस लेख में किया गया है। योजनाओं को जमीन पर उतारने से संबंधित बाधाओं को दूर करने और समावेशी रवैया अपनाने के लिए अहम कर्मियों का प्रशिक्षण और सभी संबंधित पक्षों, खासतौर पर प्रशासनिक इकाइयों की भागीदारी जरूरी है।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और 31,000 से भी ज्यादा महिला और पुरुष जनजातीय लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत विभिन्न राज्यों को 118.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास में कार्यालय प्रबंधन समेत नियोजन और प्रबंधन, सौर तकनीकीकर्म, ब्यूटीशियन, हस्तकला, निर्माण कार्य के लिए आवश्यक कौशल (मसलन राज मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, फिटर, वेल्डर आदि) जैसी विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। जनजातीय उप-योजना अनुसूचित जनजाति संभाग फंड की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली तैयार की गई है। मौजूदा परियोजनाओं और लाभार्थियों के विवरण के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु जनजाति (डीएनटी) तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी): भारत सरकार ने ओबीसी/डीएनटी/ईसीबी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मकसद स्वैच्छिक संस्थानों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की मदद से ओबीसी/डीएनटी/ईसीबी की शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक हालत में सुधार करना है। इसके तहत इन समूहों के कौशल में बेहतरी के जरिये उन्हें किसी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की बात है। इन समूहों से जुड़े ऐसे लोग जिनके माता-पिता की आय 1 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं है, वे इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त कोचिंग योजना का मकसद उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में सब्सिडी के लिए डॉ. आंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना है, ताकि इस समुदायों को विदेश में अध्ययन में आर्थिक मदद मुहैया कराई जा सके। इसके तहत ओबीसी और ईबीसी समूह के छात्र-छात्राओं को विदेश में एमए, एमफिल और पीएचडी

के स्तर पर विदेश में पढ़ाई के लिए ब्याज पर सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।

पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एनबीसीएफडीसी की उद्यमिता योजनाओं को नई स्वर्णिम योजना के तौर पर जाना जाता है। गरीबी रेखा से दोगुने स्तर तक आय वाली पिछड़ी वर्ग की महिलाएं इस योजना के तहत एनबीसीएफडीसी से 5 प्रतिशत की दर पर 1,00,000 रुपये तक का कर्ज ले सकती हैं। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा शिल्प संपदा, महिला समृद्धि योजना, कृषि संपदा जैसी योजनाएं भी आती रहती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय शहरी क्षेत्रों में 1,03,000 रुपये सालाना और ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000 रुपये सालाना से भी कम होनी चाहिए।

दिव्यांगजन: दिव्यांगों को सामान्य अन्य सहायता सामग्री की खरीद के लिए (एडीआईपी) मदद योजनाओं के तहत 1,456 एडीआईपी कैम्पों का आयोजन किया गया और साल 2018 में 2.40 लाख से भी ज्यादा दिव्यांगों को सहायता उपकरण दिए गए। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर 3 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।

दिव्यांगों के लिए तमाम जगहों पर सुलभता उपलब्ध कराने के मकसद से 3 दिसंबर 2015 को सुलभ भारत अभियान की शुरुआत की गई। विशिष्ट (यूनीक) दिव्यांग पहचान परियोजना का मकसद दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, ताकि सभी दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी किया जा सके। अब तक 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 463 जिलों में कुल 11.20 लाख ई-यूडीआईडी बनाए जा चुके हैं।

मानसिक अक्षमताओं और अन्य तरह की विकलांगता के शिकार लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और समावेशी भारत अभियान शुरू किया गया। भारतीय सांकेतिक भाषा शोध और प्रशिक्षण केंद्र (आईसीएलआरटीसी), नई दिल्ली ने 3,000 शब्दों का पहला भारतीय



सांकेतिक भाषा शब्दकोष तैयार किया है। त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में दिव्यांगों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 8 जून 2018 को किया गया। दिव्यांगों से जुड़ी चीजों के बारे में सूचना फैलाने और जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अपना समर्थन जाहिर करने के लिए सभी पक्षों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारतीय सांकेतिक भाषा शोध और प्रशिक्षण केंद्र ने 23 सितंबर 2018 को 'सांकेतिक भाषा दिवस' का आयोजन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में शारीरिक और मानसिक विकलांगता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मकसद भारत में भी वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बेहतर परंपराओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मुहैया कराना था।

अल्पसंख्यक: अल्पसंख्यकों को बराबर का मौका देने के मकसद से कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यक संकेद्रण क्षेत्रों मसलन अल्पसंख्यक संकेद्रण खंड (एमसीबी) और अल्पसंख्यक संकेद्रण शहर (एमसीटी) और अल्पसंख्यक जिला मुख्यालय (एमसीडी एचक्यू) अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के मानकों के आधार पर इनकी पहचान की गई है। इसके तहत वैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां 25 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी है, जहां सामाजिक-आर्थिक या बुनियादी सुविधाओं का मानक राष्ट्रीय औसत से कम पाया गया है। इन क्षेत्रों को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) लागू करने के लिए चिह्नित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत इन

क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास समेत अन्य मोर्चे पर स्थिति बेहतर करने की दिशा में ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के जरिये चिह्नित किए गए अल्पसंख्यक संकेद्रण खंडों, अल्पसंख्यक संकेद्रण शहरों, अल्पसंख्यक संकेद्रण जिला मुख्यालयों और आधारभूत संरचना विकास से जुड़े गांवों के समूहों में लागू किए गए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के ढांचे में बदलाव किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का मकसद शैक्षणिक स्तर पर सशक्तीकरण है। शोधकर्ताओं के सशक्तीकरण के मकसद से मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह, तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कौशल और ज्ञान बढ़ाने के मकसद से 'नया सवेरा' योजना के तहत मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विदेशी संस्थानों में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स के लिए गए कर्ज पर सब्सिडी के लिए 'पढ़ो प्रदेश' योजना शुरू की गई है। 'नई उड़ान' योजना का मकसद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) आदि की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मदद करना है। पारसी समुदाय की घटती आबादी जैसी चुनौती से निपटने के लिए 'जियो पारसी योजना' पेश की गई है। 'नई रोशनी योजना' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए है। 'सीखो और कमाओ' योजना अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास से जुड़ी पहल है। 'नई मंजिल योजना' बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वालों को औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल मुहैया कराने से जुड़ी है। 'उस्ताद' योजना का मकसद पारंपरिक कला/हस्तकला में कौशल सिखाना और प्रशिक्षण देना है। 'हमारी धरोहर योजना' का मकसद भारतीय संस्कृति की अवधारणा के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): गरीब लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में दो बड़े कदम उठाए गए हैं- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(एनएचपीएसएम)। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत यह पहल की गई है। इन कार्यक्रमों का मकसद सभी स्तरों पर समग्र तरीके से स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम के दायरे में 10 करोड़ से भी ज्यादा गरीब और कमजोर परिवार (तकरीबन 50 करोड़ लाभार्थी) शामिल होंगे और इन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मुफ्त मुहैया कराने का प्रावधान है। इस योजना से जुड़े लाभ में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च का भुगतान भी शामिल है। 'आयुष्मान मित्र' का मकसद मरीजों की मदद करना है और इसके जरिये संबंधित सरकारी और निजी अस्पतालों में लाभार्थियों के इलाज में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए अभियान छेड़ने के मकसद से राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। महिलाओं, बच्चों और गरीबों तक पहुंचने में सूचना और संचार तकनीक का उपयोग किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। आरक्षण के प्रावधानों के तहत

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। 103वें संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ मजदूरों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करना है। इसके तहत सिर्फ 100/55 रुपये प्रति महीना के योगदान से 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिल सकेगी। 'पीएम-किसान योजना' के तहत 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं।

आगे की राह

गरीब और सामान्य आबादी के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं और इनमें से कुछ का जिक्र इस लेख में किया गया है। योजनाओं को जमीन पर उतारने से संबंधित बाधाओं को दूर करने और समावेशी रवैया अपनाने के लिए अहम कर्मियों का प्रशिक्षण और सभी संबंधित

पक्षों, खासतौर पर प्रशासनिक इकाइयों की भागीदारी जरूरी है। जागरूकता पैदा करने और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में संचार के हरमुमकिन साधनों का उपयोग जरूरी है। □

संदर्भ

1. सालाना रिपोर्ट (2018-19), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया/ (2018), नीति आयोग, भारत सरकार।
3. आयुष्मान भारत, <https://www.pmjay.gov.in/about&nha>
4. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन (राष्ट्रीय पोषण अभियान) <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid%177166>
5. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>
6. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>
7. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191413>
8. <https://nsfdc.nic.in/schemes/>
9. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186633>
10. [http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Guidelines%20ISEL%20Scheme%20\(wef%2001%20Oct%202017\).pdf](http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Guidelines%20ISEL%20Scheme%20(wef%2001%20Oct%202017).pdf)



THE SUCCESS IAS

इतिहास

(वैकल्पिक विषय)

द्वारा

राकेश पाण्डे

16 सितम्बर
12:15 PM



हिन्दी माध्यम

सामान्य
अध्ययन

(Foundation Batch)
(Hindi/English)

New Batch Starts:

16 सितम्बर
12:15 PM

📍 H.O: 110, IInd floor, Jaina Ext. Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

☎ 9971250993, 9971250938

उच्च शिक्षा : संभावनाएं और चुनौतियां

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय

शिक्षा सशक्तीकरण का सबसे सशक्त माध्यम है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं लोगों की अजीबिका के सतत उपार्जन में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा संविधान के आलोक में भारत को एक लोकतंत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समझ से परिपूर्ण और सांस्कृतिक एवं मानवीय रूप से सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है। जिसमें सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं भातृत्व की भावना हो।

भारत ने अपनी साक्षरता एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की है। गुरु-शिष्य परम्परा से शुरुआत करने वाला भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में अमरीका एवं चीन के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में हर चार में से एक स्नातक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का उत्पाद है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने विशाल और सर्वोत्तम ज्ञान के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है लेकिन वर्तमान परिदृश्य आविष्कारों, नई प्रौद्योगिकी, विकसित होती अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा का दौर है।

भारत अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित करने की राह में आगे बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा का लक्ष्य विचारों और नवाचारों के विकास के लिए एक केन्द्र स्थापित करना है, जो व्यक्तियों को प्रबुद्ध करने के साथ देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गतिशिलता प्रदान करें। उच्च शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान एवं उद्यमशीलता का आधार है। जोकि व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास एवं समृद्धि की शुरुआत करती है। इसके लिए हमें अपने शोध एवं पाठ्यक्रम को समाज एवं अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। समस्या के समाधान की गुणवत्ता एवं कलात्मक सोच, अभ्यास के जरिए सीखने और आत्म विश्वास के साथ अपनी बात रखने की कला को

बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारतीय उच्च शिक्षा का ढांचा एवं व्यवस्था काफी विकसित है। और मानवीय रचनात्मक तथा बौद्धिक पहलुओं से जुड़ी लगभग सभी विधाओं - कला - मानविकी - प्राकृतिक, गणितीय और सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग तकनीक, चिकित्सा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य और प्रबन्धन, संगीत व परफार्मिंग आर्ट, राष्ट्रीय और विदेशी भाषाओं आदि में शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले मुख्य संस्थान हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम ने एक तरह से भविष्य में भारत के ग्लोबल लीडर बनने की आकांक्षा को व्यक्त किया है। सम्पूर्ण आर्थिक कार्यसूची और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और शोध के दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित होने पर ही यह सपना साकार हो पाएगा।

वर्तमान में 840 विश्वविद्यालय (तीन स्तरीय) हैं। जिनमें 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। 50 हजार महाविद्यालय और दो लाख से अधिक शिक्षक हैं। पिछले एक दशक में सकल नामांकन दर में 2005-06 के मुकाबले 2016-17 में भारी उछाल आया है और यह 8.1 प्रतिशत से 28.4 प्रतिशत हो गया है तथा शिक्षक शिष्य अनुपात में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा के प्रसार, गुणवत्ता रोजगारपरकता एवं नवाचार के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

बदलते भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा के आदर्श वाक्य के साथ शिक्षा को बदलने की दिशा में लम्बी छलांग लगाई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। मंत्रालय ने चुनिंदा उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनके परिसरों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्रमिक स्वायत्तता की नीति का पालन किया है ताकि वे वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में अपना स्थान बना सकें। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज से 5 साल पहले तक एक भी भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के 200 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं था। वहीं आज देश के दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस सूची में अपनी जगह बना ली है।

सरकार ने देश में विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान बनाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के तुलना में तीन गुना से अधिक है। वित्त मंत्री ने अनुसंधान और नवाचार के उद्देश्यों की पूर्ति के तहत अनुसंधान कार्यों के वित्त पोषण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एन.आर.एफ.) की

भारत को एक ताकतवर ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए उच्च शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करना होगा क्योंकि शिक्षा और अंततः ज्ञान तक पहुंच ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा दुनिया के ज्ञान केन्द्र के रूप में भारत के भविष्य की कुंजी है।



घोषणा की। यह इन शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान के बीजारोपण, उसे पल्लवित-पुष्पित करने और सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य भी तय करेगा। एन.आर.एफ. को 20000 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

ज्ञान निर्माण और अनुसंधान की प्रमुख भूमिका

किसी जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने, उसे सतत बनाए रखने एवं समाज की दशा को विकसित कर राष्ट्र को प्रगति की ऊंचाइयों पर से जाने की प्रेरणा देने के लिए ज्ञान निर्माण और अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

संस्थानों की स्वायत्तता देने के लिए सरकार ने भारतीय प्रबन्धन संस्थान बिल पास किया है ताकि इन संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाया जाए। मौजूदा केंद्र सरकार का नया दर्शन है 'फंड दो और भूल जाओ' सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के लिए

चरणबद्ध स्वायत्तता अभियान शुरू किया है। अच्छा काम करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत करने की भी योजना शुरू की गई है ताकि दूसरे संस्थान भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस योजना के तहत पन्द्रह फीसदी संस्थान ए-प्लस की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें आईआईएम की तरह 75 प्रतिशत स्वायत्तता मिलेगी। मंत्रालय 20 श्रेष्ठ संस्थानों की सूची भी तैयार किया है।

सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं :-

क. राष्ट्रीय अविष्कार व अभियान:

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान 6-8 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु जुलाई 2015 में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का ढांचा एक साथ ही दो रास्तों पर कदम बढ़ाने के दृष्टिकोण पर आधारित है।

(1) विद्यालयीन शिक्षा में प्रणालीगत सुधार
(2) वैकल्पिक रणनीतियों के माध्यम से गणित, विज्ञान को प्रोत्साहित करने का प्रयास। कार्यक्रम की रणनीति का लक्ष्य शिक्षक, छात्र, कक्षा में प्रभावी संवाद विज्ञान और गणित के बेहतर सुविधाएं और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है।

ख. ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को (ज्ञान) कहा गया है। इस योजना का शुभारम्भ 30 नवम्बर 2015 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिसके अन्तर्गत देश-विदेश के श्रेष्ठ शिक्षाविदों का एक समूह बनाने का प्रयास करना जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में नवाचार एवं नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाए। ज्ञान के अन्तर्गत अब तक लगभग 1500 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा चुके हैं।



ग. उन्नत भारत अभियान : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। इसके अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जन भागीदारी के जरिए अनवरत विकास के लिए उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे और गावों को गोद लेंगे। यह अभियान उन प्रक्रियाओं को समर्थ बनाएगा, जो उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जुड़ेगी। जल प्रबन्धन जैवकृषि अक्षय ऊर्जा अवस्थापना और अजीविका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

घ. राष्ट्रीय रैकिंग फ्रेमवर्क: विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए रैकिंग (क्रय निर्धारण) का एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय रैकिंग फ्रेमवर्क का गठन किया गया। इस रैकिंग सिस्टम में देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता

के निर्धारित मानदंडों के आधार पर रैकिंग की जानी है। भारत रैकिंग 2017 को कुल 2995 संस्थानों ने भाग लिया। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेन्सी (एचइएफए) भारत की उच्च शिक्षा के लिए सबसे क्रांतिकारी कदम है। जिसका लक्ष्य है बाजार से 20000 करोड़ रुपये की रकम जुटाकर सरकारी संस्थानों को ब्याज मुक्त कर्ज देना है। सरकार ने पहले ही 5000 करोड़ रुपये इन शिक्षण संस्थानों को प्रयोगशालाओं एवं संरचनात्मक विकास के लिए दे चुकी है।

ड. इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी (इंप्रिंट) इंडिया : देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नए प्रयोगों को बढ़ावा देने एवं इसे जनता से जोड़ने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवम्बर 2015 को इंप्रिंट योजना का शुभारम्भ किया गया। इंप्रिंट इंडिया का उद्देश्य समाज में नवाचार के लिए आवश्यक क्षेत्रों को पहचान करना है। पहचाने गए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनमें सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ आवास स्वास्थ्य, नैनोटेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन शामिल है। उच्चतर अविष्कार योजना में उद्योग और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

च. एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (ए.आर.पी.आई.टी) एवं इम्पैक्ट फुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस (आइएमपीआरईएसएस) योजना: सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं शोध के लिए वर्ष 2018 में दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। ए.आर.पी.आई.टी. योजना के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले शिक्षक को उनके विषयों से संबंधित नई जानकारी से अपडेट किया जाएगा। साथ ही उनके अन्दर नेतृत्व क्षमता भी विकसित किया जाएगा। जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में बदलाव आएगा और नेतृत्व में सुधार होगा। इसके लिए मंत्रालय शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया जो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत है।

छ. श्रेयस कार्यक्रम: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में युवाओं के प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए नई (27 फरवरी 2019) को योजना श्रेयस (स्कीम

फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिशिप एण्ड स्कील) की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नए स्नातकों को विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है।

- श्रेयस कार्यक्रम केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- श्रेयस कार्यक्रम का फोकस गैर-तकनीकी कोर्स के छात्रों पर है, इस कार्यक्रम के द्वारा गैर-तकनीकी छात्रों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण संस्थानों तथा उद्योग एक प्लेटफार्म करारेंगे जहां पर वे प्रशिक्षण की मांग व आपूर्ति उपलब्ध करवा सकते हैं।

ज. इम्प्रेस : सरकार ने 25 अक्टूबर 2018 को इम्प्रेस योजना के वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावी शोध को बढ़ावा देना है। इम्प्रेस योजना के तहत 1500 शोध परियोजनाएं होगी और प्रत्येक शोध अध्येताओं को उनकी शोध परियोजना के लिए 10 से 25 लाख रूपए आवंटित किए जाएंगे।

झ. भारत में पढ़ो कार्यक्रम : भारत सरकार ने 18 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत 30 से अधिक देशों के 160 उन चुनिंदा भारतीय संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं।

ञ. लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम (एलईपी) : सरकार द्वारा वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में दूसरे स्तर के शैक्षणिक कर्मियों के लिए तीन सप्ताह का प्रमुख नेतृत्व विकास प्रशिक्षण (दो सप्ताह घरेलू और एक सप्ताह विदेशी प्रशिक्षण) कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे स्तर के अकादमिक प्रमुख तैयार करना है जो भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

ट. प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप : आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध करने देश के प्रतिभा पूल का उपयोग करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 में 7 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री रिसर्चफेलोशिप नाम से नई योजना

शुरू की है। इसके अन्तर्गत 2018 में 135 छात्रों का चयन किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव

चिकित्सा शिक्षा के बेहतर नियमन एवं सबके लिए गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने 63 वर्ष पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन (एन.एम. सी.) को गठित करने का फैसला किया है। यह कमीशन देश में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए किया गया है। मेडिकल शिक्षा, चिकित्सा वृत्ति और मेडिकल संस्थानों के विकास और नियमन के लिए इस कमीशन का गठन किया गया है। अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) रखा जायेगा। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही डाक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा। साथ ही विदेशी छात्रों को भी NEXT परीक्षा पास करनी होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन को सलाह देने व सिफारिश करने के लिए एक आयुर्विज्ञान सलाह परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के समक्ष जो चुनौतियां परम्परा से चली आ रही थी जिनमें स्वायत्तता, फंडिंग और गुणवत्ता प्रमुख है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अपने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और यह प्रयास निरन्तर जारी है। उच्च शिक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती लैंगिक रूप से पक्षपाती होना है। सरकार ने इसके लिए 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ'

उच्च शिक्षा के समक्ष जो चुनौतियां परम्परा से चली आ रही थी जिनमें स्वायत्तता, फंडिंग और गुणवत्ता प्रमुख है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अपने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और यह प्रयास निरन्तर जारी है। उच्च शिक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती लैंगिक रूप पक्षपाती होना है। सरकार ने इसके लिए 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' मुहिम की शुरुआत की है जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

मुहिम की शुरुआत की है जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में लड़कियों की संख्या 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है तथा उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से सीटों का एक कोटा लागू किया है ताकि 2026 तक उनकी संख्या 20 प्रतिशत पहुंच जाए।

नई शिक्षा नीति मसौदे में प्रावधान

नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया गया, जो सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर सरकार सभी हितकारकों के सुझाव मांग रही है। प्रस्तावित मसौदा में उच्च शिक्षा के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिनमें 2035 तक

सकल दाखिला अनुपात 50 प्रतिशत करना है। नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षण संस्थाओं के स्वायत्तता और देश के प्रत्येक जिले में एक गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति में बहु-विषयक दृष्टिकोण भी अपनाने पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले पैनल के अध्यक्ष डा. के. कस्तूरीरंगन का मानना है कि यह बहु-विषयक दृष्टिकोण भारतीय छात्रों को भविष्य के नौकरी बाजारों के लिए तैयार करेगा। दरअसल आज सबसे प्रमुख चुनौती है कि कैसे उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाए जाए। आज नियोक्ताओं को उनके पास उपलब्ध काम के लिए उपयुक्त योग्य पात्र नहीं मिल रहे हैं। अर्थात् शिक्षा और रोजगार के बीच का मिलन बिंदू कहीं छूट सा गया है। इसलिए आवश्यक है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और कौशल से युक्त युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए।

भारत को एक ताकतवर ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए उच्च शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करना होगा क्योंकि शिक्षा और अंततः ज्ञान तक पहुंच ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा दुनिया के ज्ञान केन्द्र के रूप में भारत के भविष्य की कुंजी है। □

सन्दर्भ

1. <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=187442>
<https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1558519>
<https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191306>
<https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1566528>
<https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1557968>
<https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191559>
<https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=190979>
<https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1541358>
<https://www.studyinindia.gov.in/>
<https://mhrd.gov.in/>
2. इण्डिया टुडे 03 जुलाई 2019
3. इण्डिया टुडे 13 जुलाई 2016
4. भारत 2017, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
6. भारत 2019, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
7. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
8. नई शिक्षा नीति का मसौदा।



भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा राष्ट्रपति को गांधी एलबम भेंट

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर (9 अगस्त, 2019) केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'महात्मा गांधी: ए लाइफ थ्रू लेंसेज' की प्रतियां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट कीं। इन एलबमों में 550 फोटो के जरिए महात्मा गांधी के जीवन और समय की चित्रमय झांकी प्रस्तुत की गयी है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे, प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना राउत और परियोजना से जुड़ी प्रकाशन विभाग की टीम के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

महात्मा गांधी के दुर्लभ चित्रों के जरिए उनके जीवन और समय को दर्शाने वाले इस एलबम में न केवल एक शर्मीले लड़के के जन्म, उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों, शिक्षा-दीक्षा तथा महात्मा बनने (दक्षिण अफ्रीका में) और विभिन्न आंदोलनों के दौरान-पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत में सत्य के साथ उनके प्रयोगों को दर्शाया गया है, बल्कि 20वीं सदी के भारत के उस जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम की गाथा का भी बखान किया गया है जिसके सूत्रधार महात्मा गांधी ही थे।

पुस्तक अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए 'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा' नाम से एलबम का हिंदी संस्करण पहली बार प्रकाशित किया गया है।

पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण सबसे पहले 1954 में प्रकाशित हुआ था जिसमें जनवरी 1949 में महात्मा गांधी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर राजघाट में आयोजित सर्वोदय दिवस प्रदर्शनी के चित्रों का इस्तेमाल किया गया था। हमारे इस धरोहर प्रकाशन को अब नये हिंदी संस्करण के साथ बेहतर डिजाइन और मुद्रण के साथ फिर से छपा गया है। इसके फोटो जुटाने में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से मदद ली गयी है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के सिलसिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराया।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक के बारे में राष्ट्रपति को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन एलबमों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बहुरूपदर्शी या कैलाइडोस्कोप कहा जा सकता है। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रकाशन विभाग के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का कार्य केवल अपने प्रयासों तक सीमित



नहीं है बल्कि इसके ऊपर अपनी मीडिया इकाइयों के माध्यम से भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है।

श्री जावड़ेकर ने राष्ट्रपति को संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रकाशन के बारे में जानकारी दी जो ई-संस्करण के रूप में भी उपलब्ध है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में प्रकाशन विभाग ने करीब 20 पुस्तकें और 50 ई-पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कस्तूरबा गांधी पर एक पुस्तक भी शामिल है। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने महात्मा गांधी के जीवन-मूल्यों और आदर्शों के प्रचार-प्रसार की दिशा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस साल गांधी जयंती से एक सप्ताह पहले इस दिशा में अपने प्रयास और तेज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। □

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'महात्मा गांधी : ए लाइफ थ्रू लेंसेज' और 'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा' की प्रतियां राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना राउत भी साथ में हैं।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



- हमने तय किया है कि इस कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी नई व्यवस्था विकसित होंगी।
- हमने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना संजोया है। आज़ादी के 70 साल बाद हम दो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर पहुंचे थे, लेकिन पिछले पांच साल के भीतर हम लोग दो ट्रिलियन से तीन ट्रिलियन पहुंच गए। इस गति से हम आने वाले पांच साल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकते हैं।
- आज़ादी के 75 साल में देश के किसान की आय दो गुनी होनी चाहिए, हर गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए, हर परिवार के पास बिजली होनी चाहिए, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो।
- हमारी समुद्री संपत्ति, बल्यू इकोनॉमी इस क्षेत्र पर हम बल दें। हमारे किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बनें। हमारे किसान, ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बनें। हमारे देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगा। हमारा हर ज़िला एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचें। हिन्दुस्तान का कोई ज़िला ऐसा नहीं होगा जहां से कुछ न कुछ एक्सपोर्ट न होता हो। वैल्यू एडिशन वाली चीजें दुनिया के अनेक देशों तक एक्सपोर्ट हों।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा-आकांक्षा पूरी हो, यह हम सब का दायित्व है। वहां के मेरे दलित भाइयो-बहनो को, देश के अन्य दलितों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां हमारे कई ऐसे समाज और व्यवस्था के लोग चाहे वह गुर्जर हों, बरवाल हों, गद्दी हों, सिप्पी हों, बाल्टीक हों - ऐसी अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। भारत विभाजन हुआ, लाखों-करोड़ों लोग विस्थापित होकर आये उनका कोई गुनाह नहीं था लेकिन जो जम्मू-कश्मीर में आकर बसे, उनको मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सुख-समृद्धि और शांति के लिए भारत के लिए प्रेरक बन सकता है। भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अब, जम्मू-कश्मीर का सामान्य नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है। उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। यह सीधी-सीधी व्यवस्था आज हम कर पाए हैं।
- जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार किया है। पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन, वन ग्रिड को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड - इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया है और आज चर्चा चल रही है, 'एक देश, एक साथ चुनाव'। यह चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए।
- जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है लेकिन हमारे देश में एक जागरूक वर्ग भी है, जो इस बात को भली-भांति समझता है। उनके सम्मान की आवश्यकता है। समाज के बाकी वर्गों को जोड़कर जनसंख्या विस्फोट की हमें चिंता करनी ही होगी।
- भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद ने हमारे देश का कल्पना से परे नुकसान किया है और दीमक की तरह हमारे जीवन में घुस गया है। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसको हमने निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए निरस्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
- आज़ाद भारत का मतलब मेरे लिए यह है कि धीरे-धीरे सरकारें लोगों की जिंदगी से बाहर आएँ। ऐसा इको-सिस्टम हमको बनाना ही होगा। न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर आगे बढ़ें। ईज़ ऑफ़ लिविंग आज़ाद भारत की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन



- आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए हम विकास दर को बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण समीकरण को ले करके चले हैं।
- जब *गवर्नमेंट स्टेबल* होती है, *पॉलिसी प्रेडिक्टेबल* होती है, व्यवस्था *स्टेबल* होती है तो दुनिया का भी एक भरोसा बनता है। विश्व भी भारत की *पॉलिटिकल स्टेबिलिटी* को बड़े गर्व और आदर के साथ देख रहा है।
- हमारी अर्थव्यवस्था के *फंडामेंटल्स* बहुत मजबूत हैं। जीएसटी और *आईबीसी* जैसे सुधार लाना अपने आप में एक नया विश्वास पैदा करते हैं। हमारे निवेशक ज्यादा कमाएं, ज्यादा निवेश करें और ज्यादा रोजगार पैदा करें। हम *वैल्यू क्रियेटर* को आशंका की नजरों से न देखें। उनका गौरव बढ़ाना चाहिए और *वैल्यू क्रियेटर* नहीं होगी तो *वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट* भी नहीं होगी। अगर *वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट* नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी।
- भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। आतंकवाद को पनाह, प्रोत्साहन और *एक्सपोर्ट* करने वाली ताकतों को उजागर करने में दुनिया के देशों के साथ मिलकर भारत अपनी भूमिका अदा करें, हम यही चाहते हैं। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में हमारे सैनिकों, सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनको नमन करता हूँ।
- भारत के पड़ोसी देश- बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमारा पड़ोसी और एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान चार दिन बाद 100वीं आज़ादी का उत्सव मनाने जा रहा है। मैं अफगानिस्तान के मित्रों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूँ।
- मैंने इसी लाल किले से 2014 में स्वच्छता की बात कही थी। कुछ ही सप्ताह बाद बापू की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर को भारत अपने-आपको खुले में शौच मुक्त राष्ट्र घोषित कर पाएगा। राज्यों, गांवों, नगरपालिकाओं और मीडिया ने स्वच्छता अभियान को जन-आंदोलन बना दिया।
- हमारा देश *टूरिस्ट डेस्टिनेशन* के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है। हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के *टूरिज्म* पर बल देना है। जब *टूरिज्म* बढ़ता है, कम से कम पूंजी निवेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। देश की *इकोनॉमी* को बल मिलता है।
- हमारे देश में सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति, सैन्य संसाधन - उसके *रिफॉर्म* पर लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। अनेक सरकारों ने इसकी चर्चा की है। अनेक *कमिशन* बैठे हैं, अनेक रिपोर्ट आई हैं और सारे रिपोर्ट करीब-करीब एक ही स्वर को उजागर करते रहे हैं। हमारी पूरी सैन्यशक्ति को एकमुश्त होकर एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल, थल, नभ में तीनों सेनाएं एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़ें। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम *चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एण्ड सीडीएस* की व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व मिलेगा।
- मैं एक छोटी-सी अपेक्षा आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या हम इस 2 अक्टूबर को भारत को *सिंगल यूज प्लास्टिक* से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके लिए हर नागरिक, नगरपालिकाएं, महानगर-पालिकाएं और ग्राम पंचायतें सब मिलकर प्रयास करें।
- *मेड इन इंडिया प्रोडक्ट* हमारी प्राथमिकता क्यों न होनी चाहिए? हमें बेहतर कल के लिये *लोकल प्रोडक्ट* पर बल देना है। देश की *इकोनॉमी* में भी इसके कारण हम मदद कर सकते हैं।
- हमारा *डिजिटल प्लेटफॉर्म* बड़ी मजबूती के साथ उभर रहा है, लेकिन हमारे गांव में, छोटी-छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे-छोटे मॉल में भी हम क्यूं न *डिजिटल पेमेंट* पर बल दें?
- हम *कॉमिकल फर्टीलाइजर*, *पेस्टीसाइड्स* का उपयोग करके धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं। क्या हम *10 परसेंट*, *20 परसेंट*, *25 परसेंट* अपने खेत में *कॉमिकल फर्टीलाइजर* को कम करेंगे, हो सके तो मुक्ति कर अभियान चलाएंगे। मेरे किसान मेरी इस मांग को पूरा करेंगे यह मुझे पूरा विश्वास है।
- हमारे देश के *प्रोफेशनल्स* उनकी आज पूरी दुनिया में गूंज है। उनके सामर्थ्य की चर्चा है। लोग उनका लोहा मानते हैं। *स्पेस* हो, *टेक्नोलॉजी* हो, हमने नये मुकाम प्राप्त किए हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा चंद्रयान तेजी से चांद के उस छोर की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां अब तक कोई नहीं गया है। हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि है।
- आने वाले दिनों में गांवों में डेढ़ लाख *वेलनेस सेंटर* बनाने होंगे, हर तीन लोक सभा के बीच एक *मेंडिकल कॉलेज*, दो करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए घर, 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है। सवा लाख किलोमीटर गांव की सड़कें बनानी हैं और हर गांव को *ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी*, *ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क* से जोड़ना है। 50 हजार से ज्यादा नये स्टार्टअप का जाल बिछाना है।
- बाबा साहेब आम्बेडकर के सपने भारत के संविधान के 70 साल हो रहे हैं और यह वर्ष महत्वपूर्ण है, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी है। आइये, बाबा साहेब आम्बेडकर, गुरु नानक देव जी की शिक्षा को ले करके हम आगे बढ़ें और एक उत्तम समाज का निर्माण, उत्तम देश का निर्माण, विश्व की आशाओं-अपेक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण हमें करना है। □





आईएएस 2018 में श्रेष्ठ परिणाम

टॉप 50 में 11 चयन

टॉप 100 में 28 चयन

संपूर्ण परिणाम में कुल 183 चयन

BYJU'S का Tablet कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है



वीडियो पाठ्यक्रम

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित सभी विषयों /अध्यायों /मुद्दों से सुसज्जित 500 से अधिक घंटे के वीडियो व्याख्यान



छात्र पोर्टल

साप्ताहिक वेबिनार, चर्चित मुद्दे, समसामयिकी पत्र /पत्रिका और प्रैक्टिस सेट का रिकार्डेड सत्र उपलब्ध



नियमित टेस्ट

आपके ज्ञान उन्नयन के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक टेस्ट सीरीज जिसमें छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण भी सम्मिलित है



समसामयिकी वेबिनार

पुनरीक्षण नोट्स के साथ समसामयिकी पर चर्चा हेतु साप्ताहिक लाइव क्लासेस



विस्तृत पाठ्य सामग्री

भारतीय राजव्यवस्था (लक्ष्मीकांत), भारत का प्राचीन इतिहास (राम शरण शर्मा) आधुनिक भारत का इतिहास (बिपिन चंद्र), नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, एवं अभिवृत्ति (जी सुब्बाराव) तथा 16 अन्य पुस्तकें



नियमित मूल्यांकन

परीक्षा लेखन कौशल और ज्ञान का नियमित मूल्यांकन (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ), प्रश्न पत्र चर्चा, उत्तर और उत्तर लेखन रणनीति के व्यक्तिगत विश्लेषण द्वारा संवर्धन



मेंटर सपोर्ट

हमारे मेंटर द्वारा व्यक्तिगत सुझाव और निर्देश

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

द हिन्दू समाचार पत्र पर आधारित दैनिक समाचार विश्लेषण

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रवीणता हासिल करने हेतु अभ्यास

मुख्य परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन

आईएएस टेबलेट कार्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध

हमारे कोर्स विशेषज्ञ के साथ सतर्क लिए संपर्क करें



9880031619



उपलब्ध कार्यक्रम

Class 4-12

JEE

NEET

IAS

CAT



प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल